


Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)




दिव्य शोध समीक्षा


Editor - Ashish Narayan Sharma


Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	07/08
03. Referee Board	09
04. Spokesperson's	11
05. Novel Strategy for Synthesis of ZnO Microparticles Loaded Cotton Fabrics and Investigation of their Antibacterial Properties (Renuka Thakur, Dr. S.K. Udaipure)	13
06. Indian Rural Market: A Potential To Heel GDP (Dr. Sandeep Kumar Agrawal)	15
07. Consumer Behaviour And Sustainable Development In Tourism Industries	17
(Dr. Vivek Kumar Mishra)	
08. वैश्वीकरण – श्रम एवं रोजगार पर प्रभाव (डॉ. ए. के. पाण्डेय)	19
09. भारतीय समाज के सन्दर्भ में उपेक्षित बालक की संकल्पना – आधारभूत समस्याए व सुझाव	22
(श्रीमती ज्योति पांचाल मिस्त्री)	
10. नशे की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन (मोहित पांचाल)	25
11. परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था बनाम डिजिटल शिक्षा व्यवस्था (श्रीमती नीतिनिपुणा सक्सेना)	29
12. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में साइबर अपराध एवं कानून के प्रति जागरूकता : एक समाज शास्त्रीय	31
अध्ययन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. पूजा तिवारी)	
13. 15 वीं सदी से 1857 ई0 तक मुद्रण का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान (प्रेमिका पंत)	33
14. भारत चीन संबंध वर्तमान परिदृश्य में (डॉ. रजनी दुबे)	34
15. देश के लोग स्वस्थ तो देश स्वस्थ (डॉ. सोनाली सिंह)	36
16. मुगलकालीन उद्योग एवं व्यवसाय (डॉ. सुनीता शुक्ला)	38
17. देश में बढ़ती बेराजगारी एवं भ्रष्टाचार (कुलदीप)	40
18. भिखारी ठाकुर, जीवन और रंग विमर्श: एक अनुशीलन (अमित रंजन)	43
19. भारतीय संस्कृति (डॉ. सुनीता शुक्ला)	46
20. भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन (डॉ. विनिता भालसे, डॉ. गिरधारीलाल भालसे)	47
21. संवेदना के आदिम स्रोतों के बीच नये गीत स्वर का प्रस्फुटन (डॉ. हरि नारायण राम)	49
22. पश्चिमी मध्यप्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगो का सामाजिक आर्थिक अध्ययन (डॉ. अशोक कुमार झा)	51
23. अवस्थापनात्मक तत्व एवं ग्रामीण विकास : विकास खण्ड कन्नौज का प्रतीकत्माक अध्ययन (डॉ. विकल कुमार)	54
24. ग्रामीण समाज में जजमान और कामिन जातियों के मध्य सम्बन्धों में कटुता (डॉ. ऋतु श्रीवास्तव)	56

25. स्वतंत्रतापूर्व जनजातियों में प्रचलित सामाजिक अपराध के प्रमुख कारणों का एक ऐतिहासिक अध्ययन 58
(आलीराजपुर रियासत के विशेष संदर्भ में) (डॉ. भूरबाई बघेल)







Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamalaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya
Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt.,
M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesha Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Novel Strategy for Synthesis of ZnO Microparticles Loaded Cotton Fabrics and Investigation of their Antibacterial Properties

Renuka Thakur* Dr. S.K. Udaipure**

Abstract - ZnO microparticles were in situ in the chitosan – attached cotton fabric following ‘equilibration – cum – hydrothermal’ approach to yield zinc oxide microparticles loaded cotton fabrics. The ZnO microparticles were characterized by surface Plasmon resonance (SPR), X-ray diffraction and scanning electron microscopy (SEM) techniques. The ZOMLC fabric showed fair antibacterial action against model bacteria E.coli.

Introduction - There is an increasing demand for health safeguarding products in market. The requirement for hygienic living conditions has led to a great need of antimicrobial materials that do not allow microbes to attach, survive or at least proliferate on materials surfaces. Textiles, being the chiefly used product by mankind, efforts are being made to use them to safeguard our health. Antimicrobial properties are being imparted to textile materials by chemically or physically incorporating various functional antibacterial agents onto fibers or fabrics by different techniques, organic compounds such as halogenated hydantoins have been employed in textile finishing processes as antibacterial agents N-helamine compounds have adequate solubility in water to allow a residual halogen concentration in excess of that required for disinfection microbial trends have demonstrated an increasing resistance toward antibiotics and thus there has been extensive search for newer and better moeds, to render antimicrobial functions to the fabrics surfaces with the emergence of nanotechnology, material scientists have focused their attention on immobilizing noble metals based nano-particles like silver, gold, copper, etc on fibers because these metal nanoparticles show biocidal action A number of methods are used for the surface modification of fibers and fabrics with these nanoparticles, including blending of the nanoparticles in the polymer matrix before spinning or chemical grafting of the desired functional groups onto the fibers. Silver and gold nanoparticles have proved to be highly efficient against microbes, but, the high cost of these metals has limited their use as antibacterial agents on industrial basis. Therefore, currently nanoparticle metal oxides, such as ZnO, have emerged out as a new class of important materials that are increasingly being developed for use in research and health related applications, due to their low cost, easy availability and unique chemical and

physical properties. Recently, there have been several reports regarding the antimicrobial activity of ZnO nanoparticles. It has been reported, on the basis of preliminary growth analysis, that ZnO nanoparticles have higher antibacterial effects on microorganism. Nano ZnO coat the same on cotton fabric to impart UV-radiation blocking properties. The nano ZnO (2%) coated cotton fabric absorbed nearly 75% of the incident UV-radiation. The air permeability of ZnO – coated fabric was found to be higher than plain fabric. A part of UV-blocking property, ZnO nanoparticles also show fair biocidal action. Recently, Vigneshwaran et al. Have impregnated cotton fabric with zinc oxide – soluble starch nanocomposites and investigated biocidal action of resulting fabrics against two representative bacteria, Staphylococcus aureus and Klebsiella. The fabric showed excellent antibacterial action. ZnO nanoparticles are most suitable for antimicrobial finishes in textile sectors, but in most of the research works carried out in recent past, the nanoparticles were coated on to the cotton fabrics. However, the attachment of microparticles to fabric is almost physical in nature in this work; we have proposed a unique approach which involves attachment of chitosan molecules onto cotton cellulose fabric via coupling reaction induced covalent attachment followed by incorporation of ZnO microparticles into chitosan layer by ‘equilibration-cum-hydrothermal’ approach. We used chitosan in this work due to its excellent biocompatibility and its strong binding tendency with metal ions. The most important property of chitosan is its chelating power with excellent adsorption capacities for a number of metal ions due to its parent amino (-NH₂) and hydroxy (-OH) groups in its structure. The fabric has been investigated for its biocidal action against.

**Experimental
Material**

Preparation of Chemically Modified Cellulose Fabrics

- Chemically modified cellulose fabric was prepared by oxidizing the fabric by potassium periodate and then chitosan was covalently attached to the modified fabric before loading with ZnO microparticles. In brief, cotton fabrics were washed thoroughly and dried in a dust free chamber. Oxidised fabrics were prepared by following the method given by Varavinit et al with slight modifications. 1 gm of cotton fabric was soaked in 250 ml of 0.01M of potassium periodate at 50°C for 24hrs. this lead to the oxidation of fabrics, thus resulting in formation of cellulose dialdehyde fabrics. Now, 1g of cellulose dialdehyde fabric, prepared as mentioned above, was immersed in 30ml of 1 and 2 percent chitosan solutions prepared in 2 percent acetic acid (v/v) solution, and allowed to react for a period of 2 h at 50°C. The fabric changed to pale yellow from white due to the attachment of chitosan on the surface. The chitosan attached fabrics were then further used to load ZnO microparticles.

Preparation of ZnO Microparticle Loaded Fabrics - 500 mg chitosan attached fabrics were immersed in 2% (w/v) aqueous solution of Zinc chloride for 12h at 30°C. The loaded fabric was transferred into 0.02M aqueous solution of sodium hydroxide. After 4h, the fabric was taken out and kept in electric oven (Tempstar India) at 70°C for 2h for complete conversion of Zn(OH)₂ into ZnO by thermal curing. Finally, the fabric was washed with de-ionized water and then put in vacuum chamber till further use. The sample thus prepared were designated as ZOMLCA (X) fabric where the number X in parenthesis denotes the concentration of solution used for equilibration. For example, the fabric prepared, as above, will be designated as ZOMLCA . fabric where the number X in parenthesis denotes the concentration of solution used for equilibration. For example, the fabric prepared, as above, will be designated as ZOMLCA.

Characterization - The FTIR spectra of fabrics were recorded with FTIR spectrophotometer (Shimadzu 8400 S, (Shimadzu, Japan) using KBr. The surface Plasmon resonance measurement of the fabrics was performed by using Systronics 2201 UV spectrophotometer (Systronics 2201, India) XRD analysis for ZnO microparticles loaded chitosan attached fabrics were also performed. Transmission electron microscopy (TEM) studies of the chitosan attached fabric and Zn microparticles loaded c chitosan attached fabric were also performed.

Antimicrobial Activity - The antibacterial activity of plain, chitosan attached and ZnO microparticles loaded chitosan

attached fabric was tested qualitatively and quantitatively by zone inhibition methods. In all these methods, E.coli were taken as model bacteria. For qualitative measurement of antimicrobial activity, the fabrics (Plain, chitosan attached and ZnO microparticles loaded chitosan attached) were cut into discs of known diameter and antimicrobial activity was tested using modified agar diffusion assay (disc test). The plates were examined for possible clear zones after incubation at 37°C for 24h. the presence of clear zone was recorded as inhibition against the microbial species.

For percent reduction test, the test fabric was shaken in a known concentration of bacterial suspension and the reduction in bacterial activity was measured. The percent reduction was calculated as:

$$R = (A - B) \times 100 / A$$

Where R is percent reduction, A is the number of bacteria in the broth inoculated with the fabric sample immediately after inoculation . contact time and B is the number of bacteria recovered from the broth inoculated with the fabric after the desired period.

Results And Discussion

Fabrication of ZnO Microparticle Loaded Fabrics – In the present study, we attached chitosan macromolecular chains to the cotton cellulose fabric and then used these polymeric chains as template for introducing ZnO microparticles. In this way, there occurs almost uniform distribution of ZnO microparticles throughout the fabric and the incorporated ZnO microparticles are well protected within the attached chitosan chains.

When the fabrics are treated with potassium periodate solution, the C₂-C₃ linkage in cellulosic chains is cleaved and cellulose dialdehyde is formed. Treatment of chitosan solution with the fabric at this stage leads to coupling of the amino (-NH₂) groups of chitosan, with the aldehydic groups of cellulosic fabrics . The chitosan attached fabrics are then immersed in aqueous solution of salt solution where Zn binds to the (-NH₂) and hydroxy1 (-OH) groups of chitosan and cellulosic networks .

From the above study it may be concluded that covalent attachment of chitosan to oxidized cotton cellulose results in formation of a fair substrate into which ZnO microparticles can conveniently be entrapped to yield antibacterial fabric. The fabric shows excellent biocidal action against . The antibacterial action of fabric can simply be increased by increasing the amount of chitosan bound. The fabric shows great potential to be used in biomedical applications.

Reference :-

1. Personal Research.

Indian Rural Market: A Potential To Heel GDP

Dr. Sandeep Kumar Agrawal*

Abstract - India lives in villages is still true, Approximately seventy per cent of India's population lives in rural areas and accounts nearly for more than half of Indian consumption. Even with increasing urbanisation and migration, it is estimated that 63 per cent of India's population will continue to live in rural areas in 2025(According to Mc Kensey). Normally huge population arises many problems for the country but in India population is not a problem, it is the opportunity for the marketers to serve their product in front of this giant population. Huge population means huge consumption, huge consumption makes huge demand and huge demand invites huge supply. This 63 per cent population makes a large market with a high purchasing power. Many multinational organisations are recognizing enormous opportunity and are stepping up efforts to gain a stronger foothold in the rural markets.

Keywords - Rural market, opportunity, Marketers, Urbanization, Growth, GDP, Potential

Introduction - India is a fast growing economy. This country has a great potential to attract multinationals because its huge population. Number of multinationals and domestic companies operates their business in urban sector as much as semi urban and rural areas but it is not enough to fulfil India's giant demand. A large sector of rural India is untouched till now. There are some rural myths remain regarding the size and potential of rural markets. One is Rapid Urbanisation and second is Rural India is a Agrarian Economy.

Rapid Urbanisation- It is widely believed that the pace of migration from rural to urban centres is very rapid, which of course means that rural India is shrinking at a very rapid pace. If this were to continue, rural India would eventually become insignificant in size and perhaps not worth the effort of entering, but the truth is different, In 2010 UN population data base revealed that the urban population had only a slight increase (0.75 times) over the rate of increase of the rural population, suggesting the migration levels were very low. In the present time after covid-19 effect there may even to be reverse migration, which ties in with recent field observation. As earning possibilities increase in rural areas, there is less incentive to leave for urban markets in search of work.

Rural India is an Agrarian Economy - However, it is no longer true. Already the non-farm sector accounts for higher incomes in rural India than the farm sector. Field observations have indicated that multiple sources of income for a house hold are increasingly becoming the norm, with only one family member involved in agriculture while other earning members in the family run a small business or shop or worked as salaried employees.

Rural Indian Market Potential - Rural Indian market has great potential to boost our economy. According to published

data in internet we make a bird eye view about rural market potential:

1. 377 million rural mobile users, more than the total number of subscribers in Brazil
2. 27 million mobile internet users in Dec. 2013
3. Of the 22 million DTH subscribers, 60 per cent reside in rural areas and small towns
4. 96 million Kisan Credit Card issued, which exceed the total number of (credit+debit) cards in urban areas
5. Rural India is growing faster than urban India. Durables (25 per cent vs 10 per cent urban growth in 2009), FMCG (18 per cent vs 12 per cent urban growth in 2009)
6. 11 per cent car sales coming from rural areas and small towns.
7. There are 42000 rural supermarkets (Haats) in India, which exceed the total number of retail chain stores in the United States (35000).

Above lines proves that rural market is untouched place where great potential for marketers waiting. Many multinational organisations are recognizing enormous opportunity and are stepping up efforts to gain a stronger foothold in the rural markets. There is a significant rise in the penetration of mobile telephony, direct to home (DTH), television service and internet service due to the technological advancements. Access to technology has transformed the decision making behaviour of rural households. Today a large chunk of rural consumers are aware, aspirational and has the ability to pay. The attractiveness of rural India has further increased due to the recent efforts of Indian government towards inclusive growth. Central and state governments has launched several schemes such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MANREGA), Jan Dhan Yojana, Direct Benefit

*Assistant Professor, Deptt. of Commerce, Handia P.G. College Handia, Prayagraj (U.P.) INDIA

Transfer (DBT) etc. The government's intention to create JAM (Jan Dhan, Adhar and Mobile) eco system is further going to change the rural land scape in India.

According to published data on internet by India Brand Equity Foundation the fast moving consumer goods (FMCG) sector in rural and semi urban India is estimated to cross US\$ 100 billion by 2025. The rural FMCG market is anticipated to expand at a CAGR of 17.41 per cent to US\$ 100 billion during 2009-25. Rural FMCG market accounts for 40 per cent of the overall FMCG market in India, in revenue terms.

Against the leading retailers, Dabur generates over 40-45 per cent of its domestic revenue from rural sales. HUL rural revenue accounts for 45 per cent of its overall sales while others companies earn 30-35 per cent of their revenue from rural areas.

Characteristics - There are many characteristics which attract foreign investors to invest in Indian rural market. Some of these are following:

1. Large and Scattered Population is the base of huge demand. Demand makes the room for supply and supply makes room for industrialisation. Indian rural population is scattered in over 6 lakhs villages. Which is highly scattered but hold a big promise for the marketers.
2. Higher Purchasing Capacity: Purchasing power of the rural people is in rise. Marketers have realised the potential of rural markets and thus are expanding their operations in rural India. In recent years, rural markets have acquired significance in countries like China and India, as the overall growth of the economy has resulted into substantial increase in purchasing power of rural communities.
3. Market Growth: The rural market is growing steadily over the years. Demand for traditional product such as bicycles, mopeds and agricultural inputs; branded products such as toothpaste, tea, soap and other FMCGs; and consumer durables such as refrigerators, T.V. and washing machines has also grown over the years.
4. Development of Infrastructure: There is development of infrastructure facilities such as construction of roads and transportation, communication network, rural

electrification and public service projects in rural India, which has increased the scope of rural marketing.

5. Low Standard of Living: The standard of living of rural areas is low and rural consumers have diverse socio-economic backwardness. This is different in different parts of the country. A consumer in a village area has a low standard of living because of low literacy, low per capita income, social backwardness and low savings.
6. Traditional outlook: The rural consumer values old customs and traditions. They do not prefer changes. Gradually, the rural population is changing its demand pattern and there is demand for branded products in villages.
7. Marketing Mix: The urban products can not be dumped on rural population; separate sets of products are designed for rural consumers to suit the rural demands. The marketing mix elements are to be adjusted according to the requirements of the rural consumers.

Conclusion - Rural marketing is not a cup of tea. As we discussed above, rural need is different from urban because of lots of above stated reasons. So there are various challenges that hinder the progress of rural marketers face a number problems like physical distribution, logistics, no proper and effective sales force and no business of rural markets, if we use proper attention and make a separate strategies to face rural challenges no doubt rural market gives us great room to promote our business and be a part to heel our economy situation.

References:-

1. Velayudhan, Sanal Kumar. "Rural marketing-Targeting the non-urban consumer", Response Books Sage Publications India (Pvt.) Ltd. New Delhi. (2002)
2. Dogra and Ghuman. "Rural Marketing Concepts and Practices" Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd. New Delhi. (2008).
3. Pradeep kashyap. Rural marketing Pearson India Education Pvt. Ltd. New Delhi (2016)
4. <https://www.ibef.org/industry/indian-rural-market.aspx>
5. https://www.researchgate.net/publication/329707882_INDIAN_RURAL_MARKET_OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES
6. <https://rural.nic.in/key-data-on-rural-development>

Consumer Behaviour And Sustainable Development In Tourism Industries

Dr. Vivek Kumar Mishra*

Abstract - Consumer behaviour involves the psychological processes that consumer go through in recognizing needs, finding ways to solve these needs making purchases decisions. Although consumer behaviour is one of the most researched areas in the field of tourism, few extensive reviews of the body of knowledge in this area exist. This review article examines what we argue are the key concepts, external influences and opportune research contexts in contemporary tourism consumer behaviour research.

Key words - Consumer, Behaviour, Tourism.

Introduction - Consumer behaviour is a diverse stream connecting active communication and transactions. Tourism is a speedily mounting observable fact and has developed into one of the chief industries around the globe. The impact of tourism is enormously diverse . it acts as significant and definitely optimistic role in the socio-economic and political development in destination countries by presenting novel opportunities of employment, on one hand. It also contributes to a wider ethnic consideration by creating understanding, respecting cultures and values. On the other hand as an instrument to create jobs, it has not fulfilled its expectations, complaints from tourist points related to harmful impact upon atmosphere and culture have led to the demand for a further sustainable development in tourism. The tourism industry it self can do to enhance its sustainability by focusing on the segments bringing a suitable level of differentiation and repositioning. The objective of this paper is to evaluate preferences in CB in Hospitality and tourism industries.

Component of Consumer Behaviour

1. Role of Internet - The tourism and hospitality industries has been one of the earliest industries using integrated marketing communication to promote their product and services. Internet plays a big role in their strategy since it has been covered to every corner of the world. Internet can be maximum exploited in the tourism industry for different types of marketing or promotional activates. Internet helps the tourism industry to expand and transfer its data which helps the industry to increase the turnover ratio and internet is the most suitable way to make direct relationship with customers. According to New York Times- expedia bought the Ausstralian site wotif.com in 2014 and seredtravelocity for \$ 280 million quickly in Jan 2015. Now expedia is buying to take over one of the another giants orpitz and this would give 75% controls of the domestic market in US to expedia for third-party online

booking. On-line responses and news discussions might provide a new opportunity for exploring consumer behaviour.

2. Service Recovery - In their framework of bringing newness to the services in tourist industry, Namasnayan and Hinkin (2003) reported that perceived control is one of the major components delivering customer satisfaction. The internet variability in tourism and Hospitality services is attribute primarily to two factors; the heavy reliance on human service providers and the near impossibility of quality inspection prior to consumption (Zeithamlet al., 1990, Chan et all, 2007) service quality problems or service failures in service businesses occur due to the following service quality gaps (Parasuraman et al., 1991). Irish and US consumers might perceive poor service but that their sensitivity of recovery attempt might be culturally oriented was reported by Mucller et al. (2003).

3. Customer Loyalty – Customer loyalty is a significant construct of consumer behaviour. The relation between quality and customer loyalty is obvious: the loyalty is impossible with the low quality. The importance of loyalty is also obvious. The mature industry require the long-term relations with clients. Some publications support this point of view. The Journal of Travel Research published a number of articles related to customers loyalty in tourism. Lynn (2003) brought together contrasting views on the association between tipping and service quality and then presented thrifts explanation of the scale effect. Relationship between actual performance and pre-purchase expectations is strongly linked to tip size.

4. Environment Wellbeing and Safety - To the segment who intends to tour of go on sabbaticals, environment wellbeing and safety are major issues. Despite the truth travel that various cross-cultural dissimilarities subsist in customer perceptions of our line service (Kim and Prideaux 2003) guarantee, together with security concerns, the most

*Assistant Professor, Deptt. of Commerce, Handia P.G. College Handia, Prayagraj (U.P.) INDIA

critical service quality measurement with international travellers was reported by Gilbert and Wong (2003). As safety is one of intrinsic motivational factors counted for tourist segment, considering their perceptions of crime, unrest and disturbance is significant for target marketing.

5. Assessment of Economic and Socio-demographic factors- The aging population, especially segment of affluent elderly is a most important demographic drift in today's world. To understand the need and gap level of these mature consumer with reference to tourism, many researchers have diverted their concentration to this growing market segment. An assessment of economic and socio-demographic factors reveal that the requirement for full service restaurants will increase in the future to some extent due to aging group (Kim and Geisfeld, 2003). Advertising, hospitality and tourism marketers have to know about the behavioural purchasing is TV ads impairing elderly consumers views of hospitality products and services (Peterson and Sautter, 2003).

6. Price Variation- Turbulent effects of positive and negative price variation on quality, price and value for money were evaluated by Oh (2003 b) Monty and Skidmore (2003) examined the worth of pricing in calculating consumers readiness to spend more for bed and breakfast type lodging. Differences exist in attitudes and behaviours of consumers based on their segmenting variables.

Conclusion - On the subject of tourism activities, the broad

categories of consumer research in tourism are the preference, attitude, segmentation and decision making or choice, appreciating the fundamental motivations in alternatives among different target markets was the main idea behind consumer behaviour tourism industry consumer behaviour is diverse and multidisciplinary in nature as it is influenced with other streams of knowledge. Therefore, it is extremely doubtful that there is a high degree of conformity regarding research in hospitality and tourism area should be conducted. None the less, it is apparent that a higher degree of relationship between hospitality and tourism is favourable for a deeper understanding of consumer behaviour in all together different setting.

References :-

1. Chien, C, Cole, S., 2003, online travel products shopping: differences between shoppers and nonshoppers, Journal of Trade Research
2. Mittala, A., Mount D, 2003 a, The impact of selected characteristics and response time on e-complaint satisfaction.
3. Kim, S, Prideaux, B., 2003, A Cross – cultural study of airline passengers, Annals of tourism research.
4. Pradeep Kumar Vishnoi & Suvijna Awasthi, Indian Journal of Public Enterprise, Consumer Behaviour and sustainable development in Tourism Industry.
5. Sui, J, Baloglu, S, 2003, The Role of Emotional Commitment in Relationship marketing. Journal of Hospitality & Tourism Research.

वैश्वीकरण - श्रम एवं रोजगार पर प्रभाव

डॉ. ए. के. पाण्डेय*

प्रस्तावना - 90 के दशक में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विश्वभर में अपनाए गए सुधारवादी उपर्यों की परिणति आज उदारीकरण एवं निजीकरण की सीमा से निकलकर विश्वव्यापीकरण के रूप में परिलक्षित हो रही है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजीय एवं बौद्धिक संपदा का निर्बाध आदान-प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थवैज्ञानिकों के अनुसार, वैश्वीकरण मुख्य रूप से चार घटकों के रूप में लागू किया जा सकता है। जैसे, व्यापार अवरोधकों को कम करना, पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह होना, टेक्नोलॉजी का निर्बाध आवागमन होना तथा ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के नीतिनिर्धारक सिद्धांतों का सर्वानुमति से विश्व के सभी देश पालन करें, इसके लिए सभी देशों के मध्य आपसी सहमति से एक वैश्विक सिद्धांतों का निरूपण किया गया।

भारत सरकार का उद्देश्य नवीन नीतियों उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (L.P.G.) के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़कर आर्थिक विकास को गतिमान करना था। वैश्वीकरण के निर्देशक सिद्धांत एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार एवं श्रम का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के लिए अवरोधक के रूप में श्रम की गतिशीलता में कमी, श्रम प्रतिस्पर्द्धा में कमी तथा श्रमिकों का असमान विस्थापन भी है।

उद्देश्य - शोध पत्र का उद्देश्य भारत में रोजगार एवं श्रम पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करना है। साथ ही वैश्वीकरण की अवधि में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण तथा पुरुष एवं महिला में रोजगार की प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध में विषय निरूपण विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के उद्देश्य प्राप्त के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक समंको का सहारा लिया गया है। साथ ही विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से द्वितीयक समंको के आधार पर तथ्यों का सारिणी प्रदर्शन भी किया गया है।

शोध की परिकल्पना - शोध विषय 'रोजगार एवं श्रम' अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक घटक है जो देश के आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा निर्धारित करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में रोजगार एवं श्रम एक महत्वपूर्ण घटक रहा है जिससे संबंधित प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं -

1. भारत में श्रम बाहुल्य एवं सस्ता है।
2. वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ यह परिकल्पना बनती है कि यहां रोजगार के अवसरों में कमी एवं श्रम का स्वाभाविक रूप से शोषण हुआ है।

3. साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट है कि पुरुषों के रोजगार में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

विश्लेषण - विश्वव्यापीकरण का निहितार्थ 'विश्व एक बाजार' के रूप में है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों में से रोजगार एवं श्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाना उचित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है। हमारी मुख्य ताकत सस्ता एवं सुलभ श्रम की बहुलता रही है। गांधी दर्शन से लेकर सभी समाजवादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि हमारे श्रमिक पूंजीवादी क्षेत्रों की तुलना में कम कुशल एवं तकनीकी रूप से पिछड़े हैं। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों की प्रतिस्पर्द्धा में अपने श्रमिकों की हालत कुछ 'हाथियों के झुंड में एक चूहे का घुसना' (Integration of a mouse into herd of elephant) जैसी रही है।

वैश्वीकरण के प्रारंभ में यह दावा किया गया था कि इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, भारतीय श्रम की विदेशों में मांग बढ़ेगी, श्रमिकों में प्रतिस्पर्द्धा एवं कुशलता में वृद्धि होगी। अंततः बेरोजगारी एवं गरीबी दोनों में कमी होगी। किन्तु वैश्वीकरण के युग में रोजगार की स्थिति बदतर हो गई। रोजगार वृद्धि दर जो 1984-94 के दौरान 2.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी गिरकर 1994-2000 के दौरान 0.98 प्रतिशत तथा 2009-10 में यह 0.53 प्रतिशत हो गई।

वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग ने उल्लेख किया है कि 'समग्र विश्व के लिए उपलब्ध अनुमानों से पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान खुली बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। भारत में इसका मुख्य कारण कृषि रोजगार में वृद्धि दर का नकारात्मक हो जाना था। साथ ही कृषि की उपेक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के बोझ को कम करना था इसके लिए सरकार ने एक तरफ नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी तो दूसरी ओर पूंजी प्रधान कार्य संस्कृति (कम्प्यूटर) को अपनाया गया।'

संगठित क्षेत्र जो विकास का इंजन समझा जाता है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा करने में विफल रहा है। वैश्वीकरण की अवधि (1991-2010) के दौरान संगठित सरकारी क्षेत्रों में रोजगार में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई है। तालिका क्रमांक- 01 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखी जा सकती है -

तालिका क्रमांक - 01 : संगठित सर्वाजनिक क्षेत्र में रोजगार (लाख व्यक्ति)

मद/क्षेत्र	वर्ष		
	1991	2005	2010
1. कृषि	5.56	4.96	4.78

2. खनन और उत्खनन	9.99	10.14	11.03
3. बिजली, गैस एवं जल	9.05	8.60	8.35
4. विनिर्माण	18.52	11.30	10.66
5. निर्माण	11.49	9.11	8.59
6. व्यापार	1.50	1.84	1.71
7. परिवहन, भंडारण एवं संचार	30.26	27.51	25.29
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा	11.94	14.08	14.13
9. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	92.27	92.52	90.51
योग	190.58	180.07	175.05 (-15.53)

स्रोत :- आर्थिक समीक्षा 2011-12

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आर्थिकव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे, कृषि, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, संचार तथा सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में रोजगार में कमी दर्ज की गई है। वहीं मात्र खनन, वित्त, बीमा आदि क्षेत्रों में कुछ मात्रा में रोजगार में वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की अवधि में संगठित सरकारी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नकारात्मक रही है। यह कमी 1991 से 2010 की अवधि में (-15.53) प्रतिशत ऋणात्मक रही है।

तालिका क्रमांक - 02 : संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार (लाख व्यक्ति)

मद/क्षेत्र	वर्ष		
	1991	2005	2010
1. कृषि	8.91	9.80	9.23
2. खनन और उत्खनन	1.00	0.79	1.61
3. बिजली, गैस एवं जल	0.60	0.49	0.64
4. विनिर्माण	44.81	44.89	57.84
5. निर्माण	0.73	0.49	0.91
6. व्यापार	3.00	3.75	5.02
7. परिवहन, भंडारण एवं संचार	0.53	0.85	1.66
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा	2.54	5.23	15.52
9. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	14.85	18.20	21.4
योग	76.77	84.52	107.87 (+31.11)

स्रोत :- आर्थिक समीक्षा 2011-12

वैश्वीकरण की अवधि में (1991 से) संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है जो 1991 से 2010 की अवधि में +31.11 अंको की रही है। किंतु चिंता की बात यह रही है कि निजी क्षेत्रों में कृषि, विद्युत, व्यापार, परिवहन आदि आधारभूत क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नगण्य रही है। जबकि निर्माण क्षेत्र, वित्त, बीमा एवं सामुदायिक या वैयक्तिक सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि अधिक हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने श्रमिकों का संगठित क्षेत्र से ढकेलकर असंगठित क्षेत्र की ओर अग्रसर किया है।

सामान्यतः यह माना गया है कि संगठित क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां अधिक सुरक्षित तथा दीर्घकालिक लाभ की होती हैं। किन्तु वैश्वीकरण की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में निरंतर गिरावट आई है। जो 1991 से 2010 की अवधि में (-11.95 लाख) कम

हुआ है। जबकि इसी अवधि में संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि (+31.11 लाख) हुई है। अतः वैश्वीकरण से दो तथ्य स्पष्ट हुए हैं -

1. संगठित सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुये हैं जिससे बेरोजगारी और नियमतीकरण, निम्न मजदूरी, अंशकालीन नौकरियाँ, कम या सुरक्षाविहीन नौकरियों की समस्याएं बढ़ गई हैं।
2. दूसरी ओर निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या बढ़ी है। किन्तु रोजगार सुरक्षा, लाभदायक वेतन तथा आदर्श रोजगार की दशाओं में कमी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। वैश्वीकरण के कारण अधिक लाभ जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं जबकि अधिक लाभ शोषणात्मक कुशलता का नतीजा है। वैश्वीकरण के द्वारा श्रम की पराश्रितता की प्रक्रिया तीव्र हुई है, मजदूर संघों की सौदा शक्ति कमजोर हुई है, श्रमिकों को नौकरी के नुकसान से बचाने के लिए मजदूर संघों को मजबूर होकर मजदूरी एवं वेतन में कटौती, मंहगाई भत्ते एवं अन्य लाभों पर नियायती सौदेबाजी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इस प्रकार वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकरण एवं श्रम के अनियमतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। वैश्वीकरण ने श्रम प्रबंधन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी कर दी है जैसे -

1. श्रम शक्ति का अधिक मात्रा में अनियमतीकरण करना, जिससे उन्हें नौकरी सुरक्षा के लाभ से वंचित किया जा सके।
2. श्रमिकों को मजबूर करना कि 'काम नहीं तो मजदूरी नहीं' के सिद्धांत को तालाबंदी के समय लागू करना।
3. अतिरिक्त श्रम की मात्रा को कम करना तथा श्रमिकों पर काम के बोझ को बढ़ाना।
4. कार्यावधि में वृद्धि तथा मजदूर संघों को कमजोर करना।

अतः वैश्वीकरण की अवधि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार के अवसरों को कम कर श्रमिकों पर अनियमतीकरण का दबाव बनाए रखना है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) के प्रतिवेदन 2004 में उन लोगों की पहचान करते हुए जिन्हें वैश्वीकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है, कहा गया है, कि 'विकसित देशों की भांति वैश्वीकरण से जिन लोगों को अधिकतम लाभ हुआ है, वे हैं- हिस्सेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या ठेकेदार। इसके विरुद्ध वैश्वीकरण का जिन पर दुष्प्रभाव पड़ा है उनमें गरीब, सम्पत्तिविहीन और अकुशल श्रमिक हैं।'

निष्कर्ष - वैश्वीकरण की अवधि में संगठित सार्वजनिक क्षेत्र एवं संगठित निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति एवं उनकी दिशा का निरूपण किया गया है। विश्लेषण में स्थापित परिकल्पना को काफी हद तक सत्य पाया गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व समग्र आर्थिक विकास के सुनहरे दावे किये गये, विशेषकर विकासशील देशों (भारत) जहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की बहुलता है। वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देश इनका प्रयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। पश्चिमी देशों ने गरीब देशों को व्यापार अवरोधकों एवं संरक्षण तथा अनुदान समाप्त करने के लिए मजबूर किया किंतु अपने यहाँ इन्हें जारी रखा (स्टिगलिज) परिणामस्वरूप भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि, खनन, व्यापार, बीमा आदि क्षेत्रों में नौकरियों में तेजी से गिरावट हुई। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र कम हुआ, निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ। वैसे-वैसे श्रम की जगह पूंजी एवं टेक्नोलॉजी का प्रतिस्थापन बढ़ता गया। अतः वैश्वीकरण से रोजगार एवं श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिन्हा वी०सी०, 'भारतीय आर्थिक नीति', मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2008
2. दत्त एवं सुंदरम्, 'भारतीय अर्थव्यवस्था', एस सन्द एवं कं० न्यू दिल्ली, 2009
3. मिश्र एवं पुरी, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009
4. डॉ० माहेश्वरी पी०डी० एवं डॉ० गुप्ता, 'भारतीय आर्थिक नीति', कैलाश पुस्तक सदन, 2006
5. प्रतियोगिता दर्पण 'भारतीय अर्थव्यवस्था' विशेषांक 2013
6. आर्थिक समीक्षा 2011-12
7. आर्थिक समीक्षा 2010-11

भारतीय समाज के सन्दर्भ में उपेक्षित बालक की सकल्पना – आधारभूत समस्याए व सुझाव

श्रीमती ज्योति पांचाल मिस्त्री*

शोध सारांश – जिस प्रकार प्रकृति की सुन्दरता फुलो से है। उसी प्रकार समाज की समृद्धि, सौन्दर्य, विकास हमारे समाज के बच्चों से जुड़ा है। जिस देश बच्चों जितने खुशहाल होंगे वह देश उतनी तरक्की करता है। यह सर्व विदित सत्य है वर्तमान के बालक भावी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व कर्ता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि देश की वृद्धि व विकास की चाह अगर कोई भी करता है तो उसे इस ओर जागरूक होना आवश्यक होगा कि उसके देश में बालकों के प्रति क्या रवैया है। फिर चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या विधिक। हर स्तर पर यह आवश्यक है कि हम अपने समाज के, देश के, बच्चों को एक ऐसा भविष्य दे सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। कोई परिवार अपने बच्चों को हर वो सुविधा देने में सक्षम है जो उसकी वृद्धि, मानसिक, शारिरिक विकास के लिए आवश्यक है। शायद सभी नहीं क्योंकि समाज का हर तबका उतना साधन सम्पन्न नहीं है कि वह अपने बच्चों की परवरीश में हर तरह की आवश्यकता को पूरा कर पाए। बच्चों का मन बड़ा भावुक व कोमल होता है। अगर उनके मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा आ जाती है तो वह उसे पाना चाहता है। और निश्चित रूप से उसके लिए वह अपने पालकगण से अपेक्षा करता है। कि उसे वह वस्तु दी जाए। अगर पालकगण सक्षम नहीं है तो वह अपेक्षा उनके कोमल मन के लिए उपेक्षा में परिवर्तित हो जाती है। यह उपेक्षित उपेक्षा का सबसे सुक्ष्म रूप है कई बार यह उपेक्षा अपना आकार बड़ा कर लेती है व फिर बालक व बालिका अपने आप को पूर्णतः उपेक्षित मान लेते हैं।

भारतीय समाज में उपेक्षित बालक की अवधारणा है परन्तु यह समस्या बहुत पुरानी है। उसके बाद भी भारत में बालकों के न्याय संबंधी अधिनियम को आने के काफी समय लगा। आज भी हमारे समाज में उपेक्षित बालक की समस्या पर उस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस प्रकार दिया जाना चाहिए।

शब्द कुंजी – यर्थाथ, अधिकार, उपेक्षा, अपचारिता, शोषण।

प्रस्तावना – वर्तमान के बच्चे भावी देश के निर्माता होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनसे जुड़ी हर तरह की आवश्यकता को हर स्तर पर पूरा किया जाए। फिर चाहे वह सामाजिक हो या पारिवारिक या कोई अन्य। बच्चों के गर्भ के आने से लेकर जब तक वह आत्मनिर्भर ना हो जायें उसकी जिम्मेदारी परिवार की मानि जाती है। परन्तु कुछ एसी विकट परिस्थितिया भी होती हैं जहाँ कुछ बच्चों को परिवार का सुख ही नहीं मिलता इस प्रकार वह राज्य/सरकार की व समाज की जिम्मेदारी होती है। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के लिए अपनी मौलिक जिम्मेदारी को समझे। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है जो प्रेम की भाषा समझता है उपेक्षा की नहीं। परन्तु हमारे समाज में बच्चों से जुड़े ऐसी कई गंभीर समस्या हैं। जिनका समाधान अत्यंत आवश्यक है। भारत जो की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। जहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या करोड़ों में है। पर इनमें से ज्यादातर बच्चों की भुखमरी, अशिक्षा, शोषण जैसी गंभीर समस्या से जुझना पड़ता है। वही एक पहल और भी जहाँ बच्चों स्वयं अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। क्योंकि वहाँ उन्हें सही और गलत का अन्तर बताने वाला ना तो परिवार होता है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति।

शोध उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध के माध्यम से उपेक्षित बालक की सकल्पना व यर्थाथ के मध्य के भेद का अध्ययन किया जा रहा है।

उपकल्पना :- 'भारतीय समाज के सन्दर्भ में उपेक्षित बालक की सकल्पना, सकल्पना ना होकर यर्थाथ है'

विश्लेषण :-

बालक – प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं। जो सामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ या हिन होते हैं। आनुवांशिकता तथा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों का शारिरिक व मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है।

बालक की परिभाषा – 'किशोर न्याय अधिनियम' 'बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015' धारा- 2, 12 किशोर अथवा बालक से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कि हो।

अर्थाथ इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो वह किशोर कहलाते हैं।

उपेक्षित बालक की सकल्पना – सामान्यतः उपेक्षित बालक से अभिप्राय बालकों के शोषण से लगाया जाता है। परन्तु उपेक्षित बालकों की सकल्पना के कई ओर पहलु भी हैं। जैसे यहाँ पर यह विचार किया जाना भी आवश्यक है कि उपेक्षा का बालक का कोई संबंध है 'उपेक्षित बालक' 'बालकों का शोषण' यह दो सकल्पना अपने आप से कुछ हद तक जुड़ी हुई भी हैं। व कहीं पर विपरित हैं। जैसे मेरे विचार में बालकों का शोषण एक विपरित विचार धारा है। व उपेक्षित बालक की सकल्पना उसकी शुरुआत का सबसे प्रमुख कारण है। जिसे हम तीन भागों में बाट सकते हैं :-

1. पारिवारिक उपेक्षा।
2. सामाजिक उपेक्षा।

3. विधिक उपेक्षा।

उपेक्षित बालक वह होते हैं जिन्हें मुलभूत सुविधाएँ जिनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व हर वह आधार भुत आवश्यकता की पूर्ति से वंचित किया जाता है। इस प्रकार की आवश्यकता की कमियों के कारण उनका पुर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि बाल्यावस्था व किशोरावस्था के कारण वह सही या गलत के मध्य फर्क नहीं कर पाते। उनकी क्या आवश्यकता है वह समझ नहीं पाते जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य। यह समय ऐसा होता है जब उन्हें परिवार की देखरेख की अत्यंत आवश्यकता होती है। परंतु उपेक्षा पुर्ण व्यवहार उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। उपेक्षित बालक की सकल्पना का सिधा संबंध बालक के शोषण व अपचारिकता से है। इसे दो भागों में बाटा जा सकता है। क्योंकि उपेक्षा इन दोनों संकल्पना का आधार है।

उपेक्षित बालक व शोषण ,

उपेक्षित बालक व उपचारिकता

उपेक्षित बालक व शोषण जहाँ किसी बालक को पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर उचित उपस्थिति मिलना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिस बालक पर व उसकी परवरिश पर परिवार का ध्यान नहीं होगा वहाँ उस बालक का सही व गलत का भेद करना मुशिकल हो जाता है। किशोरावस्था हो या बाल्यावस्था बच्चों की आवश्यकता विशेष होती है उनकी उम्र के अनुसार उन्हें उचित देखरेख की आवश्यकता होती है बच्चों के संपुर्ण विकास , जिसमें शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि बच्चे खुद को उपेक्षित न समझे। जो बच्चे उपेक्षा का शिकार होते है उनका आत्मविश्वास कम होता है। यहाँ अगर उनके साथ शोषण भी हो रहा हो तो वह उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते। बच्चों की निर्भरता उनके परिवार पर होती है। यहाँ अगर हम मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग की बात करें तो बच्चों के शोषण के मामलों यहाँ उच्च वर्ग की तुलना में ज्यादा देखे जाते हैं।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक शोषण के तिन प्रमुख रूप है-

- शारीरिक शोषण
- यौण शोषण
- भावनात्मक शोषण

एक सर्वे के मुताबिक भारत में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चें किसी न किसी प्रकार के शोषण के शिकार होते है। जिसमें अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति में शारीरिक शोषण का 866 प्रतिशत रिश्तेदारों द्वारा ही किया जाता है। 'उपेक्षा' को अगर बालक के संदर्भ में विस्तृत रूप से समझा जाए, उनक वह हर आवश्यकता जिसमें भावनात्मक संबंध भी सबसे महत्वपूर्ण हैं। को पुरा किया जाना फिर वह यदि शिक्षा हो , स्वास्थ्य हो या खेलकुद। उनके विकास के लिए आवश्यक हर प्रकार की सुविधाएँ मुहैया करना। व कौमल आयु को देखते हुवे भावनात्मक संभल भी बहुत जरूरी हो जाता है।

'उपेक्षित बालक' व 'अपचारीता' :- बालकों की कोमल आयु के विषय में जहाँ 'उपेक्षा' उनके लिये शोषण का मार्ग स्थापित करती है वहाँ एक और वह उन्हे अपचारी होने के लिये भी प्रोत्साहित करती है। बालक व बालिका की आयु शारीरिक व मानसिक स्थिति के कारण वे भेद नहीं कर पाते है। उनके विकास के लिए क्या सही है क्या गलत, यह नहीं समझ पाते। किस प्रकार के कार्य उनके लिये निषेध है। किन कार्यों के माध्यम से वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते है। यह उन्हे बताया जाना बहुत जरूरी है।

अगर कोई बालक समाज, परिवार या राज्य द्वारा उपेक्षित है तो यहाँ यह संभावना बड जाती है कि वह एक 'अपचारी' के रूप में अपना जीवन चलाएँ। **अपचारीता की परिभाषा -** विधी का अभिकथित उल्लंखन करते पाये जाने वाले बालकों को अपराधी की जगह अपचारी कहाँ जाता है। अपने कोमल आयु के कारण वे अपने द्वारा किये गये कार्य को ले कर सचेत नहीं रहते न ही उन कार्यों के परिणाम को भलिभाती समझ पाते है इस लिए इस उम्र के (7-18वर्ष) बालक व बालिका द्वारा किये गये अपराधों को किशोर अपचारीता कहाँ जाता है।

अपचारीता के अंतर्गत विधी द्वारा निषिद्ध वे समस्त कार्य सामिल है जो किसी भी किशोर को नहीं करने चाहिए। जैसे :- भीख मांगना, चोरी करना, नशा करना, घर से भाग जाना, मारपीट करना, यौन कार्यों लिप्त होना, अपहरण करना, या अन्य कोई भी अपराध शामिल है। इस लिए भारत में किशोर की इस दशा के कारण इस तरह की अपचारीता को रोकने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देख रेख व संरक्षण अधिनियम) बनाया गया है जो इस प्रकार के बालकों द्वारा विधी का उल्लंघन किये जाने पर उनकी देखरेख, संरक्षण व उनके संबंधित विधी द्वारा सर्वोत्तम हित तय कर सके व अपचारीता से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुवे समुचित सुरक्षा, विकास, उपचार, व समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मुलभूत जरूरतों को पुरा करते हुवे उनके पुर्नवास के लिये कार्य करता है।

उपरोक्त अध्ययन के बाद यह कहाँ जा सकता है कि बालकों का शोषण व अपचारीता का मुख्य कारण उपेक्षित बालक की संकल्पना का पर्याय में होना है इस लिए सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस संकल्पना को ही जड से खत्म करने का प्रयास करें। क्योंकि 'उपेक्षा' अपने आप में ही बालक-बालिका के विकास को खत्म करने में परिपूर्ण है।

उपरोक्त के संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत है। जैसे की उपेक्षा को हमने तीन भागो में विभक्त किया है यहाँ सुझाव भी उरोक्त संदर्भ में ही प्रस्तुत किये जा रहे है।

सुझाव :-

1. पारिवारिक स्तर पर - पारिवार बच्चें की पहली पाठशाला होता है जहाँ पर बच्चा घर को आधारभुत आवश्यकता को पाता है, वह सुरक्षित आवरण में अपनी उन्नती करता है। अगर हम संतान प्राप्त करने की आशा करते है तो एक जिम्मेदारी का भाव भी आवश्यक है उन संतानों को क्या हम एक सफल, सुरक्षित भविष्य दे पाएँगे क्या हमारे पास उनके लिए समय है, सही परवरिश के लिए चिंतनशील है। यहाँ पारिवारिक स्थिति को भी तीन स्तर में बाटा जा सकता है।

निम्न वर्ग

मध्यम वर्ग

उच्च वर्ग

निम्न वर्ग के तबके के परिवार में बच्चों को उचित परवरिश न मिल पाना सहझ रूप से समझा जा सकता है क्योंकि उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ पुरा करना उनके लिए कठिन होता है ऐसे मे बाल शोषण, अपचारीता, बाल श्रम इन समस्याओं से इन बच्चों को सुझना पडता है ऐसे में आवश्यक है की इस तबके को बच्चों को विशेष रूप से समाझ व सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जावे। क्योंकि यहाँ उपेक्षा प्रायोजित ना होकर सहज है।

फिर आता है मध्यम वर्गीय परिवार, आज के समय में मध्यमवर्गीय

परिवारों की स्थिति यह है कि सभी लोग एकल परिवारों में निवास करते हैं। माता पिता का कामकाजी होने के कारण न चाहते हुवे भी बच्चों उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं असमय गलत संगति में लगना, नशा करना, चोरी करना, या आत्महत्या कर लेना, इस प्रकार की घटनाएँ आम हो रही हैं। जिन्हे रोकने के लिए काउंसलिंग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता इस बात का ध्यान रखे की उनके बच्चों की दिनचर्या क्या कोई ऐसी बात है जो उन्हें अपने अभिभावक को बताना चाहिएँ। इस बारे में बात कि जाये क्या वे खुद को कही भी किसी भी जगह असुरक्षित महसूस तो नहीं करते हैं। क्या कही उनका शोषण तो नहीं हो रहा। इसी तरह के वार्तालाप व काउंसलिंग के माध्यम से उच्च वर्ग के बच्चों को शोषण व अपचारिता से बचाया जा सकता है क्योंकि यहाँ भी अत्यधिक सुविधाभोगी बनाया जाना भी उपेक्षा के समकक्ष है। क्योंकि बिना जाने बालक की हर जरूरत को पुरा किया जाना अत्यधिक व्यस्तता के चलते अपने ही बच्चों के लिए समय का ना होना उन्हें उपेक्षित महसूस कराता है।

2. सामाजिक स्तर पर – यह बहुत दुखद है पर कटु सत्य भी की आज लाखों करोड़ों बच्चों ऐसे भी हैं जिन्हे परिवार का सुख नहीं मिलता जिन्होंने अपने माता पिता की सुरत भी नहीं देखी। ऐसे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाये जाते हैं पर वहाँ परिवार तो मिलता है पर माता पिता नहीं। उपेक्षा का ठाकार होते हैं। आज समाज में कई ऐसी दम्पति हैं जो निःसंतान हैं परन्तु आज भी हमारे देश में अनाथ बच्चों को गोद(दत्तक) लिये जाने का चलन इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर इस दिशा में समाज के लोग गंभीरता से सोचे तो बालकों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। इसी तरह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर बच्चे के प्रति जागरूक होना आवश्यक है उनके शोषण के विरुद्ध भी व बाल श्रम के विरुद्ध भी। इस तरह समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के प्रति हम सभी कि जिम्मेदारी है। इस भावना के साथ रहना होगा तभी उपेक्षित शब्द को समाप्त किया जा सकता है।

3. विधिक स्तर पर – समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय विधिक व्यवस्था को जाता है। अगर समाज में बच्चों से जुड़े

अपराध अधिक है तो निश्चित रूप से विधिक व्यवस्था कमजोर है ऐसे में प्रत्येक स्तर पर इस तरह की विधियों का निमार्ण किया जाये जो बच्चों की उपेक्षा को दण्डनीय बनाए व प्रत्येक बच्चों की प्रति जिम्मेदारी का आभास कराए। हमारे देश में अभिभावकों द्वारा बच्चों के शोषण या उपेक्षा संबंधी कोई कठोर कानून नहीं है जिसका होना अत्यंत आवश्यक है जिससे हम बाल शोषण को रोक सके।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत शोधपत्र के लिए जिस उपकल्पना का निमार्ण किया गया या वह काफी हद तक साबित होती है भारत जैसे देश में उपेक्षित बालकों की समस्याएँ बहुत ज्यादा है परन्तु उनके लिए यथार्त प्रयास बहुत ही कम। कानून बनाये गये हैं परन्तु उनका निष्पादन इस प्रकार से किया जाता जैसे किया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग उपेक्षा को समझते ही नहीं हैं न यह समझ पाते हैं कि हमारे इस व्यवहार का बच्चों के कोमल हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बालश्रम को उपेक्षित कर जाते हैं बच्चों के शोषण को उपेक्षित कर जाते हैं जब की यहाँ हमे इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी अपने कर्तव्य को समझने की कौशिल्य करना अत्यंत आवश्यक है। अगर खुद बालश्रम को अनदेखी करते हैं या बालशोषण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनते हैं तो वहाँ हम उपेक्षित बालक की संकल्पना को यथार्त करने में सहयोगी होते हैं। जो देश, समाज व बच्चों के विकास के लिए हानिकारक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किशोर न्याय(बालकों की देख रेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 (पूजा लो हाउस)
2. अपराध शास्त्र व उतपीडन शास्त्र(पराजपे)
3. बाल अपराधी कानून संरक्षण या कानूनी व सामाजिक अनदेखी का परिणाम(जाग्रण जंक्शन)
4. अपराध संबंधी भारत सरकार की रिपोर्ट
5. hindi.oneindia.com
6. समाचार पत्र, पत्रिका

नशे की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन

मोहित पांचाल*

प्रस्तावना - आज औद्योगीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज को अनेक रूपों में प्रभावी कर रही है। जहाँ अनेक परिणाम स्वरूप भौतिक प्रगति हुई है वहीं विभिन्न प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हुई है। जैसे:- गंदी बस्ती, अपराध, नशा, जैसे मद्यपान, तम्बाकू सेवन आदी आज नरकीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक विघटन के लक्षण स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। 'नशा' यह एक ऐसी बुराई है, जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तम्बाकू और धूम्रपान (बीडी, सिगरेट, हुक्का, चिलमद्ध सहित चरस स्मोक, कोकिन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तंबाकू से संबंधित बीमारियों की वजह से हर साल करीब 5 मिलियन लोगों की मौत हो रही है, जिनमें 1.5 मिलियन महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 80 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों का करीब 10 फीसदी भारत में है। भारत में करीब 25 करोड़ लोग गुटका, बीडी, सिगरेट, हुक्का आदि के जरिए तंबाकू का सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में 125 देशों में तंबाकू का उत्पादन होता है। दुनिया भर में हड़ताल 5.5 खरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 1 अरब से ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं। भारत में 10 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के आधार पर इस समय समूचे विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख से अधिक व्यक्ति धूम्रपान के सेवन के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इस समस्या को रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2030 तक धूम्रपान से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक हो जाएगी।

शराब की खपत से साथ विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा होता है मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, संक्रमण कैंसर, स्तन कैंसर, आंख का कैंसर, यकृत कैंसर एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि कैंसर मामलों में 3.6% अल्कोहल सेवन के कारण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3.5% वैश्विक मृत्यु होती है, ब्रिटेन के एक अध्ययन में पाया गया है कि ब्रिटेन में अल्कोहल से 6% कैंसर निधन होते हैं जो कि प्रतिवर्ष 9000 लोगों की मृत्यु के बराबर है।

न्यू इंग्लैण्ड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे शोध के मुताबिक धूम्रपान के

कारण अब पुरुषों की तरह महिलाएं भी बड़ी संख्या में मर रही हैं सिगरेट का अधिक सेवन करने से प्रति वर्ष 2000 से 2010 के बीच धूम्रपान करने वाली महिलाओं में लंग कैंसर से मौत की आशंका सामान्य लोगों के मुकाबले 25 गुना हो गई थी, शोध में अमेरिका की 20 लाख से ज्यादा महिलाओं से इकट्ठा किए डाटा पर नजर डाली गई है। गुजरात में तंबाकू गुटके के सेवन से 32 हजार व्यक्ति हर वर्ष मरते हैं कारण है कैंसर। अकेले भारत में 1 दिन में 11 करोड़ की सिगरेट पी जाती है इस तरह 1 वर्ष में 50 अरब रूपयों का धुआं हो जाता है तथा कैंसर को नियंत्रण भारत में हेरोइन का इस्तेमाल 1980 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ा और बड़े शहरों और स्कूल कॉलेजों के छात्र इसके आदि बनते जा रहे हैं। हर धर्म और वर्ग के लोग इसमें लिप्त हो गए हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 78 प्रतिशत हिंदू, 13 प्रतिशत मुसलमान, 6 प्रतिशत सिक्ख, 1.7 प्रतिशत ईसाई इससे मुक्तिला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से 70 प्रतिशत निरक्षर या दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त थे। आमदनी के दृष्टिकोण से यह ज्ञात हुआ कि 12 प्रतिशत की कोई आमदनी न थी, 50 प्रतिशत की आय रुपये 200 से 500 प्रतिमाह थी, 25 प्रतिशत की आय रुपये 500 से 1000 रुपये प्रतिमाह आमदनी थी। 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक आमदनी रखने वाले केवल 2 प्रतिशत थे। नारकोटिक्स के सेवन की यह लत धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि तंबाकू के कारण पैदा हुई बीमारियों और उस से हुई मौत के मामलों में ज्यादातर शिकार गरीब लोग होते हैं 1.22 बिलियन धूम्रपान करने वालों में से 1 बिलियन विकासशील यह संक्रमण कालीन की दरे विकसित दुनिया में या तो खत्म हो गई है या उनमें गिरावट आई है हालांकि विकासशील दुनिया में तंबाकू सेवन प्रतिवर्ष 3.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है 2002 में थी।

(डब्ल्यूएचओ) ने 2004 में दुनिया भर में 58.8 मिलियन लोगों की मृत्यु का अनुमान लगाया है जिनमें से 5.4 मिलियन के लिए तंबाकू को जिम्मेदार ठहराया है और उसी तरह 2007 में 4.9 मिलियन मौते विकासशील देशों में हुई।

समस्या का कथन - नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसमें व्यक्ति के साथ-साथ अपने परिवार को भी किन्हीं कारणों से नुकसान पहुंचाता है। नशा करने के पश्चात व्यक्ति अपने हित-अहित किसी भी प्रकार के ज्ञान के बारे में नहीं समझ पाता। आज व्यक्ति अपने शौक को या लत को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी संज्ञाशून्य कर देने वाली दवाओं का सहारा लेता है जिससे कि व्यक्ति को अनेक रोग जकड़ लेते हैं जैसे - कैंसर, टीबी, हार्टअटैक, शुगर आदि इस प्रकार के घातक रोगों के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज बाजार में नशा करने के लिए अनेक सामग्री उपलब्ध है जैसे - तंबाकू,

बीडी, सिगरेट, शराब, गुटका, गांजा, भांग, स्मैक, सेल्युशन, व्हाइटनर, पेट्रोल सूधना आदि सामग्री बाजार में नशा करने वाले व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाती है सिगरेट पीने से व्यक्ति अपनी आयु के 5 मिनट कम कर लेता है। वहीं भारत में सालाना 9 लाख मौतें तंबाकू से होती हैं। नशा करने से व्यक्ति पर शारीरिक प्रभाव तो पड़ता ही है परंतु उसकी आर्थिक, सामाजिक, परिवारिक स्थिति भी गिरती चली जाती है। व्यक्ति स्वयं जानता है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु वह यह जानते हुए भी नशा नहीं छोड़ पाता एवं अनजान की तरह काल के मुंह में जाता चला जाता है। तंबाकू के कारण मुंह के कैंसर समेत 40 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तंबाकू के कारण 25 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पहले समय में केवल शहरों में ही नशा अधिक किया जाता था और गांव में सिर्फ तंबाकू का सेवन ही प्रचलित था परंतु वैश्वीकरण के फल स्वरूप आज गांव में भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, शहरों की भांति ही आज गांव में भी सभी प्रकार के नशे में घर कर गया है जिससे कि युवा पीढ़ी पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आज युवावस्था से पहले ही बच्चे नशे की लत का शिकार हो रहे हैं जिससे इन भविष्य के कर्णधारों का जीवन भी संकट में पड़ रहा है। आज सरकार द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं परंतु नशे करने वालों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रही है, नशा करने वालों की संख्या में अभी भी कमी आ सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नशे का त्याग करे एवं भविष्य को लेकर जागरूक हो।

शोध उद्देश्य :-


1. व्यक्तियों में नशा करने के कारणों का अध्ययन करना।
2. नशे की प्रवृत्ति से व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। आर्थिक प्रभाव का अध्ययन। सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध पद्धति - शोध विधि में मध्य प्रदेश के देवास जिले की हाटपीपल्या तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हाटपीपल्या नगर में आने वाले 11,000 व्यक्तियों में से 120 उत्तरदाता का चयन उद्देश्यपूर्ण पद्धति के द्वारा किया गया।

तथ्यों का सारणीयन, विश्लेषण एवं परिणाम

सारणी क्र. 01 : प्रतिदिन नशे का सेवन


	आवृत्ति	प्रतिशत
करते हैं	114	95.0 %
नहीं करते हैं	6	5.0%
कुल	120	100.0%



व्याख्या- सारणी क्र. 01 से स्पष्ट है कि नशा करने वाले लोगों में से 5 प्रतिशत लोग प्रतिदिन नशे का सेवन नहीं करते हैं, जबकि 95 प्रतिशत नशे का सेवन करते हैं।

सारणी क्र. 02 : नशा करने का कारण


	आवृत्ति	प्रतिशत
मन एकाग्र	19	15.8%
स्फूर्ति	43	35.8%
नशे के लिए	31	25.8%
शोक पूरा करने	22	18.3%
सभी	5	4.2%
कुल	120	100.0%



व्याख्या- सारणी क्र. 02 से स्पष्ट है कि 4.2 प्रतिशत व्यक्ति मिश्रित कारणों से नशा करते हैं, 15.8 प्रतिशत मन एकाग्र करने के लिये, 18.3 प्रतिशत शोक पूरा करने के लिये, 25.8 प्रतिशत नशे के लिये व 35.8 प्रतिशत व्यक्ति स्फूर्ति के लिये नशा करते हैं।

सारणी क्र. 03 : कमाये पैसे में घर चल पाता है


	आवृत्ति	प्रतिशत
गुजारा होता है	94	78.3 %
गुजारा नहीं होता है	26	21.7 %
कुल	120	100.0%



व्याख्या- सारणी क्र. 03 से स्पष्ट है कि 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कमाए पैसे में गुजारा नहीं होता है, जबकि 78.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कमाए पैसे में गुजारा होता है।

सारणी क्र. 04 : क्या सामाजिक सम्मान में कमी आई है

	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मान गिरा है	11	9.2%
हेय की दृष्टि से देखा जाता है	1	0.8%
समाज में स्थान गीरा है	3	2.5%
नहीं आई	105	87.5%
कुल	120	100.0%



व्याख्या- सारणी क्र. 04 से स्पष्ट है कि 0.8 प्रतिशत उत्तरदाता हो हेय की दृष्टि से देखा जाता है। 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता का समाज में स्थान गिरा है, 9.2 प्रतिशत उत्तरदाता का सम्मान गिरा है, 87.5 प्रतिशत उत्तरदाता के सम्मान में कोई कमी नहीं आई।


सारणी क्र. 05 : आयु - नशे का प्रकार (द्विगुणीय सारणी)

आयु	नशेका प्रकार					कुल
	तम्बाकू	बीड़ी-सिगरेट	शराब	गुटखा	मिश्रित	
1-25	21.7%	21.7%	00.0%	00.0%	00.0%	4
26-50	49.4%	10.8%	75.8%	32.5%	65.0%	78
51-75	14.1%	10.8%	65.0%	21.7%	32.5%	38
कुल	65.4%	28.3%	13.8%	54.2%	97.5%	120
						100.0%

व्याख्या- सारणी क्र. 05 से स्पष्ट है कि 3.3 प्रतिशत व्यक्ति जिनकी उम्र 1-25 वर्ष के मध्य है उनमें 1.7 प्रतिशत व्यक्ति तम्बाकू व बीड़ी-सिगरेट का नशा करते हैं, 6.5 प्रतिशत व्यक्ति जिनकी उम्र 25-50 वर्ष के मध्य है उनमें 2.5 प्रतिशत व्यक्ति गुटखे का, 5.0 प्रतिशत मिश्रित, 5.8 प्रतिशत शराब, 10.8 प्रतिशत बीड़ी-सिगरेट, व 40.8 प्रतिशत तम्बाकू का नशा करते हैं। 3.1.7 प्रतिशत व्यक्ति जिनकी उम्र 51-75 वर्ष के मध्य है उनमें 10.7 प्रतिशत व्यक्ति गुटखे का 2.5 प्रतिशत मिश्रित, 5.0 प्रतिशत शराब, 10.8 बीड़ी-सिगरेट व 11.7 प्रतिशत तम्बाकू का नशा करते हैं।

सारणी क्र. 06 : सरकारी योजना की जानकारी

	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	21	18.0 %
नहीं	99	82.0%
कुल	120	100.0%



व्याख्या - सारणी क्र. 06 से स्पष्ट है कि 18 प्रतिशत उत्तरदाता को सरकारी योजना की जानकारी है, जबकि 82 को जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - नशे से मुक्ति के लिए समय-समय पर सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं पहल करती रहती है। पर इसके लिए स्वयं व्यक्ति और परिवारजनों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को अक्सर सुझाव दिया जाता है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उनके नए मित्र दिखाई देने, क्षणिक उत्तेजा या चिड़चिड़ापन होने, जब खर्च बढ़ने, देर रात्रि से घर लौटने, थकावट, बेचैनी, अनिद्राग्रस्त रहने, बोझिल जलके, आंखों में चमक व चेहरे पर भावशून्यता, आंखों की लाली छिपाने के लिए बार-बार धूप के चश्मे का प्रयोग करते रहने, उल्टियां होना, निरोधक शक्ति कम हो जाने के कारण अक्सर बीमार रहने, परिवार के सदस्यों से दूर दूर रहने, भूख न लगने व वजन के निरंतर गिरने, नींद ना आने, खांसी के दौरे पड़ने, अल्पकालीन स्मृति में हास, त्वचा पर चकत्तो पड़ जाने, उंगलियों के पैरों पर चले निशान होना, बाहों पर सुई के निशान दिखाई देने, ड्रग ना मिलने पर आंखें नाक से पानी बहने, शरीर में दर्द खांसी उल्टी और बेचैनी होने व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान ना देने, बाल कपड़े अस्त-व्यस्त रहने, नाखून बढ़ने, शौचालय में देर तक रहने, घरेलू सामानों के एक-एक कर गायब होते जाने, आदत के तौर पर झूठ बोलने, तर्क वितर्क करने, रात में उठकर सिगरेट पीने, मिठाइयों के प्रति आकर्षण बढ़ जाने, शैक्षिक उपलब्धियों में लगातार गिरावट आना, स्कूल कॉलेज में उपस्थिति कम होते जाना, जल्दबाजी में घर से बाहर चले जाना एवं कपड़ों पर सिगरेट के चित्र दिखाई देने जैसे लक्षणों के दिखने पर सतर्क हो जाएं। यह बच्चों के मादक पदार्थों का वेतन होने की निशानी है। यही नहीं यदि उनके व्यक्तिगत सामान में अचानक माचिस, मोमबत्ती, सिगरेट का, तंबाकू, 3 इंच लंबी शिषे की ट्यूब, एलुमिनियम कौयल, सिरिज, हल्का भूरा-सफेद पाउडर मिलता है तो निश्चित जान लेना चाहिए कि वह शादी का शिकार है। ऐसे में तत्काल ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

1. नगर में 20 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति अधिक मात्रा में नशा करते हैं अतः सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस आयु वर्ग के लोगों को जागरूक करने की अधिक आवश्यकता है।
2. बहुत कम व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी है जिससे समाज का एक बहुत बड़ा भाग इन योजनाओं की जानकारी से वंचित रहता है इसलिए सरकार को चाहिए कि इस

- क्षेत्र में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम समय-समय पर संचालित करें।
- सरकार द्वारा तंबाकू पर बैन लगा देने के बाद भी बाजार में गुटखा व तंबाकू खुलेआम बेचे जा रहे हैं एवं क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशा करने वालों में से तंबाकू का सेवन करने वाले की मात्रा सबसे अधिक है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।
 - शराब की दुकाने नगर के मध्य स्थित होने के कारण व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करते हैं उन दुकानों को नगर के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए जिससे शराब के उपभोग में कमी आ सकती है।
 - करदाताओं में से 95 प्रतिशत व्यक्ति प्रतिदिन नशे का सेवन करते हैं इसलिए उन व्यक्तियों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत करवाकर उन्हें परामर्श देना चाहिए।
 - अधिकतर व्यक्तियों को नशे की आदत मित्रों के कारण पडी, व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो उन्हें नशा करने के लिए उकसाते हैं।
 - 83.3 प्रतिशत व्यक्तियों परिवार वालों को उनके नशा करने की जानकारी है परंतु फिर भी वह नशा करते हैं, व्यक्ति के परिवार वालों को चाहिए कि वे उन्हें नशा न करने के लिए प्रेरित करें।
 - सबसे अधिक नशा प्रारंभ करने वालों की उम्र 15 - 25 वर्ष है, जिससे बालों को को अपने बच्चों की इस उम्र में अधिक ध्यान देना चाहिए।
 - सबसे अधिक लोग नशा करने के लिए कर्ज लेते हैं जिससे वे आर्थिक रूप से कर्ज में डूबते चले जाते हैं इसलिए व्यक्तियों को नशा छोड़ कर एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए।
 - 81.7 प्रतिशत नशा करने वाले व्यक्तियों को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है इसलिए इस क्षेत्र में संगठनों का काम करने की अतिआवश्यकता है।
 - लोगों को भी नशे के प्रति जागरूक होकर नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए एवं जो व्यक्ति नशा करता है उसे भी जरूरी है कि अपने जीवन के महत्व को समझे और नशा करना छोड़ें और दूसरों के को भी प्रेरित करें।

समाजकार्यकर्ता की भूमिका - नशे की मुक्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका यह हो सकती है कि लोगों में नशे के प्रति जागरूकता कम है जिससे लोग अधिक मात्रा में ऐसा करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह उन्हें नशे से दूर होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें, एवं नशा करने वाले लोगों को परामर्श के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करें। अधिकतर लोग मित्रों के कहने पर नशा प्रारंभ करते हैं इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को उन्हें ऐसा नशा करने वाले लोगों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे कि उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव एवं उनके परिणामों के बारे में जागरूक करें। नासमझी के कारण लोग प्रारंभ तो कर लेते हैं परंतु जब वे नशे के परिणाम के बारे में तब तक

बहुत देर हो चुकी होती है और वे जानते हुए भी नशे से छुटकारा नहीं पा सकते इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह नशा करने वाले व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र ले जाकर नशे से छुटकारा पाने में उसकी मदद करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- आहूजा राम, 2012, मद्यपान, सामाजिक समस्याएं, पृष्ठ क्रमांक 367 - 370, रावत पब्लिकेशन जवाहर नगर जयपुर।
- अग्रवाल लाजपत, 1 जनवरी 2014 पियक्कड़ गटक गए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए की शराब पीपल समाचार पृष्ठ क्रमांक 1
- बड़वाल बृजेश, मई 2002 धूम्रपान पर पाबंदी योजना, पृष्ठ क्रमांक 28 - 31 प्रकाशन विभाग नई दिल्ली
- श्री गुप्ता निरुपमा, सन 1992 - 93 मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन, स्कूल आफ लिबरल स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
- कु. मौर्य चारुसीला, वर्ष 1995, तंबाकू सेवन करने वाले युवक-युवतियों (16 - 30 वर्ष) का समाजशास्त्रीय अध्ययन इंदौर नगर के संदर्भ में, स्कूल आफ लिबरल स्टडीज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
- स्वामी रामदेव, जून 2010, नशे के व्यापारी लाखों निर्देशों की मौत के गुनाहगार, योग संदेश, दिव्य योग मंदिर हरिद्वार
- पंडित शर्मा श्री राम आचार्य, लोग ऐसा क्यों करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 1 - 10
- पाण्डेय तेजसकर, पाण्डेय ओजसकर, 2012, सामाजिक बुराईयां मद्यपान, समाजकार्य, पृष्ठ क्रमांक 03 - 405, भारत बुक सेंटर लखनऊ
- मोहम्मद तारिक, जून 1998, गांव में प्रदूषण की समस्या और समाधान, कुरुक्षेत्र, पृष्ठ क्रमांक 10 - 12 प्रकाशन विभाग नई दिल्ली
- www.hi.wikipedia.org/wiki/rEckdw&/keiku
- www.asharm.org
- www.indg.in
- www.baithak.hindyugm.com
- www.theraigarsamaj.com
- www.hindi.ing.in/nasha.html
- www.mpjap.org
- www.hi.bharatdiscovery.org
- www.dainikbhaskar.com
- www.jkhealthworld.com
- www.hindi.speakingtree.in
- www.ranchiexpress.com>health
- www.hindi.citizen-news.org
- www.ranchiexpress.com
- www.jagran.com/.../rohtak-
- www.sanwariya.blogspot.com-

परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था बनाम डिजिटल शिक्षा व्यवस्था

श्रीमती नीतिनिपुणा सक्सेना*

शोध सारांश – मानव की बुद्धि को विकसित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए शिक्षा एक आधार स्तंभ है। शिक्षा काव्य के बिना मानव का संपूर्ण विकास असंभव है। समय परिस्थिति और परिवेश ने शिक्षा के स्वरूप में बहुत परिवर्तन किया है। आज डिजिटल युग में शिक्षा को भी डिजिटल स्वरूप दिया गया है। यह समय की मांग है। शिक्षा का यह बदलता स्वरूप स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। कोविड-19 के बाद यह परिवर्तन बहुत अचानक और बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज शिक्षा को बिना डिजिटल मीडिया के हम नहीं देख पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति रूम क्लासेस कौन्फ्रेंस क्लासेस वीडियो क्लासेज वीडियो अपलोडिंग इस सब के बिना मानव शिक्षा का अस्तित्व हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस शोध पत्र के द्वारा पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था एवं डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के लाभ एवं चुनौतियों को जानने का प्रयास किया गया है एवं डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त बनाने हेतु सुझाव अनुशंसित किए गए हैं।

शब्द कुंजी – पारंपरिक, डिजिटल, शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो, ऑडियो।

प्रस्तावना – मानव विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा से मनुष्य का ना सिर्फ आध्यात्मिक मानसिक और बौद्धिक विकास होता है बल्कि शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण का कारण भी बनती है। शिक्षा के बिना मानव के गरिमा पूर्ण अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा वह आधार है जिससे चहुंमुखी प्रगति प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा का अस्तित्व हर युग हर काल में रहा है।

पूरा वैदिक एवं वैदिक युग में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती थी इस तरह व्यक्ति का मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास होता था।

शिक्षा बिना किसी भेद भाव के सभी के लिए अनिवार्य है यह जितनी जरूरी एक गरीब के लिए है उतनी ही जरूरी एक अमीर के लिए महिला एवं पुरुषों में भी इसकी समान अहमियत है।

मध्यकालीन युग में अंग्रेजों के आगमन के बाद से शिक्षा के स्वरूप में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया अब यह शिक्षा स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से प्रदान की जाने लगी जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षक के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। समय के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को भी मान्यताएं प्रदान की जाने लगी।

कोविड-19 के बाद इसका स्वरूप पूर्णता डिजिटल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि समय की मांग है कि हम घरों पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करें।

परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था – परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध पूर्णता समक्ष का होता था एवं विद्यार्थी को एक शिक्षक के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष होता था। विद्यार्थी की गलती पर शिक्षक उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाता एवं दंडित करता था। इन सब व्यवस्थाओं में विद्यार्थी को शिक्षक की आंखों का भय या इसे सम्मान भी कह सकते हैं रहता था। विद्यार्थी को भी कोई परेशानी होने पर वह प्रत्यक्ष रूप से अपने शिक्षक से उसके समाधान के बारे में चर्चा का समाधान प्राप्त करता था इस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक आत्मिक संबंध भी

स्थापित होता था जो विद्यार्थी की प्रगति में बहुत हद तक सहायक होता थारोज मिलने बैठने और प्रत्यक्ष रूप से सामना करने के कारण विद्यार्थी में अपने शिक्षक के प्रति एक सम्मान तथा आदर भाव होता था जिससे वह गलत रास्तों पर भटकने से बच पाता था साथ ही विद्यार्थियों के माता पिता का जो विश्वास शिक्षकों पर होता था वह भी विद्यार्थियों को पथ प्रदर्शन में, एवं चरित्र निर्माण में सहायक होता था।

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था – कोविड-19 के बाद शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा है यह परिवर्तन इतना अचानक आया कि इसको स्वीकार करना कुछ कठिन तम महसूस हो रहा है डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के रूप में बदलता हुआ शिक्षा का यह स्वरूप जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और भौतिक रूप से शिक्षक का ना दिखाई देना विद्यार्थियों के लिए कुछ समय तो मजाक मस्ती और खुशी प्रदान कर सकता है किंतु एक लंबे समय में यह समस्याओं को उत्पन्न करेगा डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेज यायुम क्लासेस या वीडियो अपलोड करना या ऑडियो अपलोड करना एवं उनसे व्याख्यान को सुनना तथा भौतिक प्रत्यक्ष अता का ना होना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ समय के लिए खुशी प्रदान कर सकते हैं किंतु इससे होने वाली हानियां कई ज्यादा हैं इस प्रकार डिजिटल क्लासेज में कई संसाधनों की उपलब्धता को भी अनिवार्य किया है जिनमें स्मार्ट मोबाइल फोन का होना या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप के माध्यम से और इनके अलावा नेट का निरंतर प्रवाहित होता रहना भी ऐसी व्यवस्था है जो ना सिर्फ आर्थिक रूप से विद्यार्थियों के अलावा उनके परिजन या पालक पर भी प्रभाव डाल रही हैं इन सबके अलावा इन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग के ज्ञान का अभाव तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संचालन की समझ परिवर्तन सहज स्वीकार्य नहीं है।

अचानक सामान्य शिक्षा व्यवस्था व शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में थी उसमें होने वाला अचानक परिवर्तन आसानी से स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस परिवर्तन ने ना सिर्फ शिक्षकों को समस्या ग्रस्त किया है वरन

* सहायक प्राध्यापक (विधि) इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.) भारत

विद्यार्थियों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना सहज रूप से करना पड़ रहा है शिक्षक जहां इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के इतने आदी और निरंतर उपयोग करने वाले नहीं हैं इस कारण उन्हें ऑनलाइन क्लासेज लेना रूम लेक्चर के लिए तैयार होना तथा वीडियो अपलोड करना ऑडियो अपलोड करना आदि में विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन क्या डिजिटल व्यवस्थाओं के इतने ज्यादा उपयोगकर्ता नहीं हैं कि उन्हें बिना प्रत्यक्ष टीचर के सब कुछ आसानी से समझ में आ सके इन सबके अलावा सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन मोबाइल फोन लैपटॉप या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है वह जैसे कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसमें आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है साथ ही नेट पैक डलवाना नेट पैक डलवाने के बाद भी नेट का अवैध रूप से प्राप्त होना और वह भी जिस समय डिजिटल क्लासेस चल रही हो यह सब ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कुछ शब्दों में व्यक्त कर पाना अत्यंत मुश्किल है।

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के लाभ :

1. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के द्वारा दूर स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आसानी से शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध है।
2. व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
3. वीडियो एवं ऑडियो अपलोड किए जाने से किसी भी समय उनको सुना जाना एवं उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाना आसान हुआ है।
4. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों से भय समाप्त हो गया है।
5. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था ने विद्यार्थियों को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की है।
6. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था में मोबाइल कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के प्रयोग के कारण इन सब की खपत बढ़ी है एवं रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में सुलभ हुए हैं।
7. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था में नेट पैक एवं नेट को अबाधित रूप से प्राप्त करने के लिए इनकी खपत भी बढ़ी है तथा रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में भी सुलभ हुए हैं।
8. दूर स्थान पर बैठे-बैठे शिक्षा प्राप्त करने से परिवहन संसाधनों पर निर्भरता कम हुई है एवं पेट्रोल बचत कि क्षेत्र में यह एक उपलब्धि है इससे पर्यावरण की स्वच्छता भी प्रभावित होगी।
9. शिक्षा संस्थानों को अपने अधोसंरचना में अब ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है अब वह अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर खर्च को समायोजित कर सकते हैं।

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था से हानियां :

1. डिजिटल शिक्षा व्यवस्था ने एक और शिक्षकों और विद्यार्थियों की दूरी बढ़ाई है।
2. प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक और विद्यार्थी के ना होने से शिक्षकों के प्रति सम्मान भाव कम हुआ है।
3. प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों के समस्त विद्यार्थियों के ना होने से अनुशासन में कमी आई है।
4. प्रत्यक्ष नियंत्रण की कमी से विद्यार्थियों के बहकने एवं गलत मार्ग पर चलने के रास्ते ज्यादा आसान हुए हैं।
5. विद्यार्थियों की स्वतंत्रता नहीं उन्हें स्वच्छता की ओर धकेला है।
6. इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की अनिवार्यता गरीब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक है।

7. साथ ही नेट पैक भी एक ऐसा खर्च है जो अनिवार्य है और गरीब विद्यार्थियों के लिए यह एक बार से अधिक कुछ नहीं ठे एक प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि वह अपने आप को डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के कितने अनुकूल पा रहे हैं।
8. करीब 50 विद्यार्थियों पर इस अध्ययन के उपरांत यह पाया गया कि 38 विद्यार्थी इस डिजिटल व्यवस्था में अपने आप में एक झुंझलाहट का अनुभव कर रहे हैं साथ ही वह अपने आप को डिजिटल अध्ययन हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं सही नहीं पा रहे हैं 9 विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन की अनुपलब्धता 28 विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप का ना होना, 15 विद्यार्थियों के पास नेट की समस्या नेट की अनुपलब्धता के कारण थे एवं शिक्षक की अप्रत्यक्ष के कारण समझ में ना आने की समस्याएं 27 विद्यार्थियों द्वारा की गईं।

सुझाव :

1. डिजिटल शिक्षा आज की अनिवार्यता है इस हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों को ही संसाधनों के बारे में जानकारी ज्ञान और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है विभिन्न प्राइवेट एवं सरकारी माध्यमों से आवश्यकता की पूर्ति किया जाना अपरिहार्य होगा।
2. गरीब एवं मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को ही संसाधनों के खरीद हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक मदद किया जाना भी आवश्यक होगा जिससे वह इन्हीं संसाधनों को क्रय कर सके।
3. कि संसाधनों की उपलब्धता के बाद नेट पैक की व्यवस्था तथा नेट की अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उक्त दोनों की भी पूर्ति हो।
4. सरकार के माध्यम से ही संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की जाए।
5. सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा बड़े-बड़े टॉवर की स्थापना एवं एवं मुफ्त नेटवर्क की उपलब्धता प्रदान की जाए।
6. कुछ ऐसे नियमों को संयोजित किया जाए जिससे विद्यार्थी एवं शिक्षकों की हितों तथा सम्मान की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था जिसका हम अनुसरण कर रहे थे और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था दोनों का ही अपना अहम स्थान है किंतु अचानक से परंपरावादी शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित होने से कुछ असहजता का अनुभव स्वाभाविक है किंतु यह समय की मांग है कि हम डिजिटल व्यवस्थाओं से शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो विभिन्न परेशानियों के साथ भी हम इस प्रयास में हैं कि डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए तथा आज जो खामियां या कमियां हमें डिजिटल व्यवस्था के द्वारा शिक्षा दिए जाने में महसूस हो रहे हैं उन्हें दूर किया जाए उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव अनुशंसित किए जाते हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.asmaindia.in/blog/future-perspective-of-digital-education-in-india/>
2. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf
3. <https://www.franchiseindia.com/education/How-important-is-Digital-Education-for-students>.

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में साइबर अपराध एवं कानून के प्रति जागरूकता : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. पूजा तिवारी *

शोध सारांश - साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कम्प्यूटर और नेटवर्क शामिल है जब अवैध गतिविधियां एक कम्प्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से की जाती हैं, साइबर अपराध माना जाता है। किसी को निजी जानकारी प्राप्त करके उसका गलत उपयोग करना, कम्प्यूटर से डाटा चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल कर देना, या नष्ट करना आदि साइबर अपराध है। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 से कम्प्यूटर का दुरुपयोग एवं नये अपराध को साइबर अपराध में शामिल किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में साइबर अपराध एवं कानून के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में प्रश्नोत्तर प्रणाली से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - साइबर, छात्राएं, इंटरनेट, कम्प्यूटर, अपराध।

प्रस्तावना - वर्तमान समय में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व में महिलाओं से संबंधित अपराधों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए पुरुष प्रधान समाज एवं पुरुष मानसिकता तो जिम्मेदार है ही साथ ही इसके लिए जिम्मेदार है महिलाओं में जागरूकता की कमी, आत्मविश्वास की कमी तथा 'बेचारी अबला' वाली मानसिकता आज तकनीकी उन्नति के साथ ही महिलाओं को साइबर अपराध का सामना भी करना पड़ रहा है, वर्तमान में महिलाएं सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आती हैं, किंतु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव के कारण वो साइबर अपराध का शिकार बन जाती हैं।

शोध का क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए छिन्दवाड़ा जिले के 14 शासकीय एवं 19 अशासकीय महाविद्यालयों में से छात्राओं की संख्या के आधार पर 3 महाविद्यालयों का चयन करके 300 उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत दैव निर्देशन पद्धति द्वारा किया गया है तथा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है।

शोध के उद्देश्य :

1. साइबर अपराध से तात्पर्य
2. साइबर अपराध के प्रकार
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं से साइबर अपराध के प्रति जागरूकता संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
4. छात्राओं में मोबाइल, कम्प्यूटर के प्रति रुझान की जानकारी प्राप्त करना।

साइबर अपराध से तात्पर्य - जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर, इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में मनुष्य जिस चीज के विरुद्ध में सोच सकता है हर वो चीज

उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग आनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब, आनलाइन बिजनेस आदि। इंटरनेट के विकास और इसके लाभों के साथ ही साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है जो इसका काला पक्ष है या हानिकारक पक्ष है। साइबर अपराध से तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गलत कार्य करने से है, यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कम्प्यूटर और इंटरनेट द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध जिसे 'इसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कम्प्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क, का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है।

साइबर अपराध के प्रकार - साइबर अपराध को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. वे अपराध जिनमें कम्प्यूटर पर हमला किया जाता है, अर्थात एक लक्ष्य के रूप में कम्प्यूटर जैसे हैकिंग, वायरस हमले, Dos हमले आदि।
2. वे अपराध जिनमें कम्प्यूटर को एक हथियार/उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे साइबर आतंकवाद, आई.पी.आर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी ई.एफ.टी. धोखाधड़ी पोर्नोग्राफी, अश्लीलता आदि।

कम्प्यूटर अपराध के प्रकार - जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, फेरबदल करना, बाहरी नुकसान आदि।

साइबर अपराध के प्रकार - स्पैम ईमेल, हैकिंग, साइबर फिशिंग, वायरस फैलाना, साफ्टवेयर पाइरेसी, फर्जी बैंक काल, ई.मेल बम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक (Dos), डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल आफ सर्विस (D Dos), साइबर आतंकवाद, अश्लील साहित्य, ई कॉमर्स / निवेश, धोखाधड़ी, बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड से संबंधित अपराध, मानहानि, पहचान की चोरी, गोपनीयता का उल्लंघन, ऑनलाइन चोरी, जालसाजी, कापीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजायन, भौगोलिक संकेत आदि से संबंधित अपराध।

तालिका क्रमांक - 1 : छात्राओं में साइबर अपराध एवं उसके प्रकार संबंधी जानकारी

क्र.	तथ्य	स्नातक स्तर		स्नातकोत्तर स्तर	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	साइबर अपराध क्या होते हैं इसकी जानकारी है या नहीं	20%	80%	70%	30%
2	साइबर अपराध के पाँच प्रकार की जानकारी है या नहीं	16%	84%	60%	40%

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर पर छात्राओं में से मात्र 20 प्रतिशत उपरोक्त जानकारी रखती है जबकि 80 प्रतिशत नहीं रखती है, इसी प्रकार मात्र 16 प्रतिशत छात्राओं को साइबर अपराध के नाम मालूम है जबकि 84 प्रतिशत अनभिज्ञ हैं, वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर 70 प्रतिशत छात्राओं को साइबर अपराध के विषय में जानकारी है 30 प्रतिशत छात्राओं को जानकारी नहीं है, इसी प्रकार 60 प्रतिशत छात्राएं पांच प्रकार में साइबर अपराध के नाम से परिचित है जबकि 40 प्रतिशत अनभिज्ञ है।

तालिका क्रमांक - 2 : सोशल साइट्स के उपयोग संबंधी जानकारी

क्र.	तथ्य (सोशल साइट्स)	स्नातक स्तर		स्नातकोत्तर स्तर	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	फेसबुक	70%	30%	86%	14%
2	व्हाट्सअप	96%	04%	94%	06%
3	ट्विटर	10%	90%	22%	78%
4	इंस्टाग्राम	40%	60%	56%	44%
5	ऑन लाईन शॉपिंग	20%	80%	26%	74%
6	ई मेल का उपयोग	52%	48%	66%	34%

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर की 70 प्रतिशत छात्राएं फेसबुक का उपयोग करती है जबकि 30 प्रतिशत नहीं करती है, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर फेसबुक 86 प्रतिशत छात्राएं उपयोग करती है केवल 14 प्रतिशत नहीं करती है, व्हाट्सअप का उपयोग स्नातक स्तर की छात्राएं 96 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर की 94 प्रतिशत करती है, जबकि 04 प्रतिशत एवं 06 प्रतिशत क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं को रूचि नहीं है। इसी प्रकार से ट्विटर का उपयोग मात्र 10 प्रतिशत छात्राएं ही करती है, इंस्टाग्राम 40 प्रतिशत छात्राएं रूचि कर है, स्नातक स्तर पर करीब 90 प्रतिशत छात्राएं ट्विटर तथा 60 प्रतिशत छात्राएं इंस्टाग्राम में रूचि नहीं लेती है। स्नातकोत्तर की छात्राओं के ट्विटर मात्र 22 प्रतिशत एवं इंस्टाग्राम 56%का उपयोग करती है जबकि 78% ट्विटर 44%इंस्टाग्राम का उपयोग नहीं करती है। आनलाइन शॉपिंग करने में स्नातक स्तर की मात्र 20 प्रतिशत छात्राओं ने रूचि ली जबकि 80 प्रतिशत इसके खिलाफ रही, स्नातकोत्तर की 26 प्रतिशत छात्राएं आनलाइन शॉपिंग कर लेती है, जबकि 74 प्रतिशत नहीं करती हैं।

स्नातक स्तर की 52 प्रतिशत छात्राएं ईमेल का उपयोग करना जानती है जबकि 48 प्रतिशत छात्राओं को जानकारी नहीं है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर

स्तर की 66 प्रतिशत छात्राएं ई-मेल से परिचित है उपयोग करना जानती है, जबकि 34 प्रतिशत छात्राएं नहीं जानती हैं।

तालिका क्रमांक - 3 : साइबर कानून के प्रति जागरूकता संबंधी जानकारी

क्र.	तथ्य	स्नातक स्तर		स्नातकोत्तर स्तर	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	साइबर कानून की जानकारी है या नहीं	10%	90%	40%	60%

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर पर छात्राओं में जागरूकता का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत है जबकि 90 प्रतिशत छात्राएं अभी भी अनभिज्ञ हैं, इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत छात्राएं जागरूकता दर्शा रही है जबकि 60 छात्राओं को जानकारी या जागरूकता नहीं है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने हेतु जागरूकता फैलाने अलर्ट करने, सलाह जारी करने, कानून प्रवर्तन, अभियोजन प्रशिक्षण, जांच में तेजी लाने हेतु साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के कदम उठाए है। तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लांच किया है। लेकिन सरकार के साथ-साथ एन.जी.ओ. महाविद्यालयों के द्वारा भी साइबर अपराध एवं साइबर कानून के प्रति जागरूकता फैलाना होगा तथा छात्राओं एवं महिलाओं को स्वयं भी कुछ सावधानियां बरतना होगा यथा सोशल साइट पर निजी तस्वीरें डालने से बचे, फेसबुक पर अपना प्रोफाइल लॉक करके रखे, फेसबुक पर अज्ञान लोगों से दोस्ती न करे, ट्विटर पर आपकी अनुमति के बिना कोई फालों न कर पाये ऐसी व्यवस्था करें। अपने एकाउंट, ए.टी.एम. की जानकारी किसी से साझा न करें। तथा किसी भी तरह की आपराधिक घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

सोशल स्पेस पर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं पर क्रिमिनल साइकोलाजिस्ट अनुज्ञा त्रेहन कपूर का कहना है कि 'महिलाएं लाइक्स' की चाह में वर्चुअल दुनिया में आती है, जो एक सोचनीय तथ्य है। अंत में

अंत में निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अभी भी जिला स्तर के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालय की छात्राओं में साइबर अपराध एवं साइबर कानून के प्रति जागरूकता का अभाव ही देखा जा सकता है उन्हें जागरूक करने की महती आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ अभिभावकों की भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.फातिमा तलत - इंटरनेट विधि एवं साइबर अपराध
2. जैदी, सिंह, अमिताभ - साइबर क्राइम
3. साहनी राजेश - साइबर संसार एक परिचय
4. उपाध्याय स्पर्श - इंटरनेट ब्लॉग 18 नवम्बर 2019
5. डॉ.बघेल डी.एस. - अपराधशास्त्र

15 वीं सदी से 1857 ई० तक मुद्रण का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान

प्रेमिका पंत *

प्रस्तावना - भारत में सबसे पहले मुद्रण कला का विकास 15वीं शदी के बाद भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद हुआ 1450 से 1550 के बीच 100 वर्षों में इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पुर्तगाली में हो गया था। वह टाइपमशीन के लारेंस ने बनाया। 1550 ई. में पुर्तगाली व्यापारियों का जलयान मालबार के तट पर आकर लगाया इसमें दो छापाखाने भी थे। इन छापाखानों का प्रयोग धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये किया जाता था।¹ पुर्तगाली मिशनरियों ने ईसाई पादरियों का अनेक पुस्तकों का तमिल भाषा में अनुवाद किया तथा उन्हें मुद्रित किया जाता था। सन् 1577 में मलयालम भाषा की एक पुस्तक प्रकाशित की गई सन् 1578 में एक अन्य छापाखाना टिनवाली जिले में छापाखाना खोल गया छापाखाने की स्थापना के साथ-साथ पुस्तकें और पत्रिकाएँ छापने लगी समाज ने इसकी उपयोगिता को समझा भारत के विभिन्न भागों में छापाखाने स्थापित किये गये। 1650 में भीमाज पारिख ने कम्पनी की सहायता से गुजराती भाषा का छापाखाना स्थापित किया।³ जहाँ 1750 ई. में सस्तमजी केशपायी ने बम्बई में स्थापना की इसी छापाखाने ने आगे चलकर Bombay Courier समाचार पत्र प्रकाशित किया।⁴ कम्पनी कर्मचारियों को बंगाली भाषा सीखने के लिये 1778 में प्रकाशित पुस्तक Grammar of Bangali language इस पुस्तक का आइप चालस विलिकिण ने तैयार किया था। कम्पनी अपने घोषणा पत्र बंगला और फारसी में छापती थी।⁵ 1787 ई. के समीप इंग्लैण्ड के चार्ल्स विलकिन्स ने देवनागरी लिपि के टंकणों का निर्माण किया 1801 तक कलकत्ता में फारसी और देवनागरी लिपि के अनेक छापाखाने तैयार हो गये जान गिल काइस्ट ने सन् 1802 में अनेक भारतीय पुस्तकों का प्रकाशन किया सिंहासन बतीसी शकुन्तला आदि। उनमें राष्ट्रीय चेतना का जागरण और विकास हुआ।⁶ 1780 ई. में जे. ए. हिक्की ने साप्ताहिक बंगाल गजट प्रकाशित किया। यह चार पृष्ठों का एक छोटा सा समाचार पत्र था जिसमें यूरोप के समाचार पत्रों के विवरण के अतिरिक्त कभी-कभी कंपनी के बड़े-बड़े अधिकारियों की आलोचना की जाती थी। कलकत्ता गजट, इण्डियन वर्ल्ड, टि टेलीग्राम आदि 1798 ई. में लार्ड वेलेजली ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल बनकर आया उसने समस्त समाचार पत्रों पर सेसर लगा ही प्रथम देशी बंगला समाचार पत्र 1816 ई. में गंगाधर भट्टाचार्य हरचन्द्रराय ने मिलकर बंगाल गजट निकाला 1818 में श्री रामपुर के मिशनरियों ने प्रथम मासिक पत्र दिग्दर्शन निकाला यह पत्र मुख्यतया साहित्यिक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विषयों पर ही प्रतिपादन करता था डॉ. माशमिन के संपादन में समाचार दर्शन नामक पत्र का प्रकाशन हुआ।⁷ पहले भी कुछ लोगों ने कुछ अखबारों को शुरुआत की थी। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन कर उन्हें दूर करना⁸ इसी विषय पर कलकत्ता जरनल 1824 में प्रकाशित हुआ जो इतना खतरनाक था कि बारूद खाने में फारसी प्रकाशित 'मिरातुल'

अखबार इसके सम्पादक सदासुखलाल थे भारत में स्पष्ट प्रगतिशील राष्ट्रीय एवं जनतांत्रिक प्रवृत्ति के सबसे पहले प्रकाशक थे। ये समाज सुधार के प्रचारक और धार्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का आलोचनात्मक वाद विवाद के मुख्य पत्र थे।⁹ मनीराम ठाकुर और माथुर मोहन द्वारा शमलशुल अखबार (1823) आइने सिकन्दर (1831) और एम बहाजुधीन द्वारा माहे, आलम अफरोज (1833) लखनऊ के रजब अली द्वारा प्रकाशित सुलतानुल अखबार फारसी में एक महत्वपूर्ण अखबार थे।¹⁰ जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागने का काम किया कम्पनी विरोधी नितियों का प्रकाशन किया गया जिससे जनज न तक चेतना का विकास हुआ 1823 ई. में जान जहाँनामा नामक ऊर्दू का समाचार पत्रों से अवगत कराना था। जो ऊर्दू का ज्ञान रखते थे 9 फरवरी 1926 ई. में हिन्दी के प्रथम इस पत्र का प्रकाशन पं. जुगल किशोर शुक्ल ने किया प्रेस और प्रकाशन कि स्वतन्त्रता ने भारतीय पत्रों के विकास में विशेष योग दिया अनेक नवीन पत्रों का प्रकाशन हुआ।

लार्ड बेटिक के प्रगतिशील प्रशासनिक कार्यों से भारतीय पत्रकारिता को बल मिला 1830 में द्वारकानुथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील भारतीय प्रयास से बंगाली, गुजराती बंगदत की स्थापना हुई। उधशील पारसी पी एम मोती वाला ने 1831 में गुजराती में बम्बई से जामे जमशेद का प्रकाशन शुरू किया जो अब भी दैनिक रूप से छप रहा है। 1851 में बंबई में गुजराती के दो और पत्रों, रस्त गोपतार, 1822 में कानपुर एडवर्टाइजर, यूनिवर्सल मैग्जीन, आगरा, दिल्ली गजट रिकार्डर आदि समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया इसी का परिणाम जो जल्द दिखाई दिया प्रथम विद्रोह 1857 के क्रान्ति के रूप में आज भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. दिनेश चन्द्र भारद्वाज, आधुनिक भारतीय संस्कृति का इतिहास पृ. 23
2. वही पृ. 23
3. वही पृ. 24
4. वही पृ. 25
5. ए. आर. देशाई भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पृष्ठ 177
6. वही पृ. 28
7. वही पृ. 28
8. बी. एन. लुनिया, आधुनिक भारत का राजनैतिक सांस्कृतिक इतिहास 158
9. वही पृ. 28
10. ए. आर. देशाई, भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पृष्ठ 177

भारत चीन संबंध वर्तमान परिदृश्य में

डॉ. रजनी दुबे*

प्रस्तावना - ऐसे समय में जब व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुये हैं। हालिया विवाद का केंद्र अकसाई चीन में स्थित गालवन घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सीमायें अपने-सामने आ गई है। जहां भारत का आरोप है कि गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है।

उपर्युक्त घटनाएं भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है जो दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जनता की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। भारत और चीन दोनों ने लगभग एक-साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत में जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया, तो वहीं चीन के घट लोकतंत्र को अपनाया। भारत-चीन संबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आये। हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 की भारत के भारत चीन युद्ध से होते हुये दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में है कि भारत व चीन विभिन्न मंचों पर एक दूसरे मुखालफन करते नजर आते हैं।

भारत चीन संबंधों का विकास - हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गये।

1. बीसवीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों तीर्थ यात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक सीमित थे।
2. वर्ष 1954 में नेहरू और चाउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किये ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की जा सके।
3. वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमालय प्रदेश के धर्मशाला में बस गये। इसके पश्चात चीन ने भारत के तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया।
4. वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा

तथा उसके बाद 1976 में भारत-चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके साथ समय के साथ-साथ दोनों देशों के संबंधों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला।

5. वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न एवं द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुये। वर्ष 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे।
6. वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेई जी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा पर हस्ताक्षर किये।
7. वर्ष 2011 को चीन भारत विनियम वर्ष तथा वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया।
8. वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थ यात्रियों के लिये नाथू ला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया।
9. वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बुहान में भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
10. वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री एवं चीन के राष्ट्रपति के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
11. वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ है तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपल-टू पीपल संपर्क का वर्ष भी हैं।

भारत-चीन के बीच राजनीतिक तथा राजनयिक संबंध - भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किये गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान-प्रदान अंतर संसदीय गैत्री समूह स्थापना सीमा पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन किया जा रहा हैं।

भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान प्रदान के लिये लगभग 50 संवाद तंत्र हैं।

आर्थिक संबंध - 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार 3 बिलियन डालरसे बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

(32 गुना) हो गया। वर्ष 2019 में भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी भारत में औद्योगिक पार्कों, ई-कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1,000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियों चीन के बाजार में सक्रिय हैं। चीन में निवेश करने वाली दो-तिहाई से अधिक कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - भारतीय कंपनियों ने चीन में तीन सूचना प्रौद्योगिकी कारिडोर स्थापित किए हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत-चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

रक्षा संबंधी - भारत तथा चीन के बीच हैंड इन् हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

पीपल-टू-पीपल कनेक्ट - दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविजन संग्रहालय खेल, युवा पर्यटन, स्थानीय, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है।

दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़ें स्थापित किये हैं। फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में जबकि चिनझोऊ एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित किया जायेगा।

उपरोक्त संबंधों के बावजूद भारत-चीन संबंधों में निम्न बिंदुओं पर **विवाद भी परिलक्षित होता है जैसे** - सीमा विवाद, जैसे पैंगो त्सो मोरीरी झील का विवाद 2019, डोलकाम गतिरोध 2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र पर विवाद।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी) में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख।

बेल्ट एंड रोड पहल संबंधी विवाद जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे संबंधित विवाद।

सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन।

चीन में हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत टणअऊका सदस्य की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया है।

भारत-चीन संबंधों के मध्य विवादों को दूर करने के उपाय :

1. दोनों देशों के नेताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिये।
2. मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना होगा।
3. पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिये।
4. भारत व चीन को अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों को बढ़ाना चाहिये।
5. दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा।
6. दोनों देशों को पड़ोसी धर्म का पालन करते हुये संबंधों को कायम रखने पर बल देना होगा।

वर्तमान में भारत और चीन सभी लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिये सहमत हो गये हैं। दोनों पक्षों के बीच 18 वीं भारत चीन वार्षिक मैकेनिज्म फॉर कंसलटेशन एंड को-ऑपरेशन (डब्ल्यू एम सी सी) की वर्जुअल बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, शांति की बहाली आवश्यक होगी।

एक स्वतंत्र एवं सार्वभौमिक राष्ट्र होने के नाते भारत को इस चुनौती का सामना शांतिपूर्ण तरीके से अपना समय चुनकर करना होगा। साथ ही सम्पूर्ण देश को एकजुट होकर संकल्प लेना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इण्डियन चाइना वार : नेवली मैकसवेल 1970
2. भारत का बिखरता लोकतंत्र : मैक्सवेल
3. ऑन चाइना : किसिंगर
4. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 1 जुलाई 2020
5. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 21 अगस्त 2020
6. अन्य समाचार पत्र एवं पत्रिकायें

देश के लोग स्वस्थ तो देश स्वस्थ

डॉ. सोनाली सिंह*

प्रस्तावना – जब देश के लोग स्वस्थ होंगे तभी देश स्वस्थ होगा क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही देश के भविष्य का निर्माण करता है कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी परिश्रमी ही क्यों ना हो वह किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर सकता उसके लिए उसे अन्य लोगों की जरूरत होती है इसीलिए देश के हर व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है जिससे ना केवल समाज बल्कि देश तरक्की कर सके। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच देशों, समूहों और व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। इसपर उस जगह की स्वास्थ्य नीतियों सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर देश में जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने हेतु विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता है। आज जिस तरह से लोग समय के साथ खुद को बदल रहे हैं और अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं उसे देख कर लगता है की वाकई इंसान अब तेजी से खुद के बारे में और अपने देश व समाज के प्रति जागरूक बन रहा है। लेकिन कड़वा सच यह भी है की अभी हमारे देश में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने सजग नहीं हुए हैं जितना की पश्चिमी देश के लोग है। अधिकतर हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे पाते। बस हम हमेशा पैसे और रोजी हरोटी के लिए लगे रहते हैं और जिसके लिए हम पैसे कमाते हैं उसे भूल ही जाते हैं। दोस्तों ! हम यह सब अपनी हेल्थ के लिए ही करते हैं। उसी के लिए कमाते हैं। किन्तु अपनी हेल्थ के प्रति हम लापरवाह बने फिरते हैं। इसलिए अपनी आदत बदले, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे। अगर सभी ऐसा ठान ले तभी अपना देश सच्चे मायनों में विकसित देशों में आ सकेगा।

स्वास्थ्य का महत्व – मोटा मनुष्य ही स्वस्थ होगा, यह जरूरी नहीं है। दुबला-पतला व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। विद्यार्थी अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वे हमेशा अपने को कमजोर महसूस करते रहेंगे। संतुलित भोजन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सभी को अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन तथा आवश्यक खनिज तत्वों को शामिल करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जियाँ आदि खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य विषयक पुस्तकें पढ़कर हम स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। कपड़े और बिछावन आदि सभी साफ-सुथरे होने चाहिए। घर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। इससे किटाणु मर जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अधिक देर तक सोना हानिकारक है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मानव जीवन का सच्चा सुख उसके स्वास्थ्य में निहित है। स्वस्थ मानव ही संसार में हर प्रकार के सुख भोग सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के कारण वह जटिल-से-जटिल कार्य भी सरलता से सकता है। स्वस्थ मनुष्य में अदम्य साहस, उत्साह

और धर्म की भावना प्रचुर मात्रा में भरी होती है। उसमें आत्मविश्वास होता है जिस कारण उसका हृदय सदैव फूलों के समान खिला रहता है। स्वास्थ्य अनमोल खजाना- इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य रूपी खजाना नहीं होता है, वह धनवान होते हुए भी अपने जीवन को भार समझते हैं। उनके लिए घर में बने स्वादिष्ट व्यंजन जहर के समान होते हैं। वह स्वादिष्ट व्यंजन को खाना तो चाहता है, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण खानहीं पाता। अतः शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिए हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिये।

स्वास्थ्य के लिए व्यायाम – व्यायाम से आशय शरीर के अंगों के समुचित विकास से है। व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं, शरीर में नयी स्फूर्ति उत्पन्न होती है तथा पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर में रक्त का निर्माण होता है और रक्त का संचार तेजी से विकसित होता है। शरीर हृष्ट-पुष्ट तथा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे-दण्ड-बैठक लगाना, कुश्ती करना, दौड़ लगाना, जिमनास्टिक करना, घुड़ासवारी करना, यहां तक कि साइकिल चलाना, तैरना, आसन व प्राणायाम करना भी अच्छा व्यायाम है।

खेल और स्वास्थ्य- खेल खेलना भी व्यायाम का एक उत्तम साधन है। मस्तिष्क से काम करने वालों के लिए प्रातः धूमना, सूर्य नमस्कार करना आदि लाभकारी व उपयोगी व्यायाम है। इस प्रकार व्यायाम के द्वारा मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य संसार के सुन्दर एवं मन को आकर्षित करने वाले पर्यटन स्थलों को सरलता से देख सकता है।

स्वस्थ शरीर में जीवन का सुख – अप्राकृतिक चीजों को त्यागकर ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उपसंहार- इस प्रकार यदि सुख के साथ जीना है तो शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक मद्यपान, अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन, गरिष्ठ भोजन करना, दूषित जलवायु में रहना-ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अतः हमें इनसे बचकर अपने जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये।

स्वस्थ और देश – दुनिया के 169 देशों का स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन किया गया जिसमें यूरोपीय देश स्पेन, दुनिया का सबसे स्वस्थ देश बना। वहीं भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 1 स्थान गिरी है और सेहत के मामले में भारत पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर है स्पेन जबकि दूसरे नंबर पर है इटली। दुनिया भर के 169 देशों का स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन किया गया था जिसके बाद यह नतीजे निकले। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक स्थान घट गई है। 2017 में

भारत 119वें नंबर पर था और 2018 में भारत 120वें नंबर पर आ गया। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में भारत की रैंकिंग श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक की नेपाल से भी पीछे है। इस लिस्ट में श्रीलंका 66वें नंबर पर, बांग्लादेश 91वें नंबर पर और नेपाल 110वें नंबर पर है।

चीन 52वें नंबर पर भारत के पड़ोसी देश चीन की रैंकिंग भी उससे काफी बेहतर है और पिछले साल की तुलना में चीन की स्थिति बेहतर हुई है। 2017 में चीन जहां 55वें नंबर पर था वहीं 2018 में चीन 52वें नंबर पर पहुंच गया। ब्लूमबर्ग हेल्थइंडेक्स के 2019 एडिशन के तहत दुनिया के 169 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें कई फेक्टसदेशवासियों की ओवरऑल सेहत के अलावा संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों और अनुमानित जीवन काल जैसी बातों को शामिल किया गया था।

अमेरिका- अमेरिका उन देशों में शामिल है जो अपने नागरिकों की प्रति व्यक्ति सेहत पर दुनिया में सबसे ज्यादा 11 हजार डॉलर खर्च करता है, बावजूद इसके अमेरिका की रैंकिंग 35 है और पिछले 3 साल से लगातार वहां के लोगों का अनुमानित जीवन काल घटता जा रहा है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो यहां प्रति व्यक्ति सेहत का खर्च 4 हजार डॉलर है और इंग्लैंड की रैंकिंग 2018 में 19 रही जो 2017 में 23 थी। जिन देशों ने इस लिस्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया वे वैसे देश हैं जहां लोगों के हेल्थकेयर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा खर्च वहां की सरकारों को ध्यान में रसरकारें करती हैं। इनमें आइसलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में हैं। भारत में प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 240 डॉलर स्पेन और इटली जो पहले और दूसरे नंबर पर रहे, ऐसे

देश हैं जो दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में अपने देश के नागरिकों की सेहत पर प्रति व्यक्ति खर्च काफी कम करते हैं। ये दोनों देश हेल्थकेयर पर प्रति व्यक्ति 3500 डॉलर खर्च करते हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहां हेल्थकेयर पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति खर्च महज 240 डॉलर है। इसमें भी ज्यादातर पैसा लोग अपने सोर्स से खर्च करते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से बेहद कम सपोर्ट मिलता है। दुनिया के 30 सबसे अस्वस्थ देशों में से 27 अफ्रीकी देश हैं और उनके अलावा होती, अफगानिस्तान और यमन शामिल है।

निष्कर्ष - किसी भी राष्ट्र के विकास को मापने का उत्तम मानक वहां का स्वस्थ समाज होता है। नागरिकों की स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य-शक्ति पर पड़ता है। नागरिक कार्य-शक्ति का सीधा संबंध राष्ट्रीय उत्पादन-शक्ति से है। जिस देश की उत्पादन शक्ति मजबूत है वह वैश्विक स्तर पर विकास के नए-नए मानक गढ़ने में सफल होता रहा है। इस संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राष्ट्र के की रक्षा होना बहुत ही जरूरी है। शायद यही कारण है विकास में वहां के नागरिक-स्वास्थ्य का बेहतर कि अमेरिका जैसे वैभवशाली राष्ट्र की राजनीतिक हलचल में स्वास्थ्य का मसला अपना अहम स्थान पाता है। दरअसल किसी भी राष्ट्र के लिए अपने नागरिकों को स्वस्थ करना पहला धर्म होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://aahtak-intoday.in>
2. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता-By mukesh Jadaun -january-15-2019, <https://www-zindagiwow.com>
3. Health meaning and Imporance in Hindi May-17-2018, hihindi.com>health&meaning&impo

मुगलकालीन उद्योग एवं व्यवसाय

डॉ. सुनीता शुक्ला*

प्रस्तावना - मध्य युग में लघु उद्योगों का उत्पादन खपत पर निर्भर करता था। कारोबार सिर्फ इतना ही काम करता था जिससे उसका गुजारा चल जाये। लेकिन अधिकांश करीगर वंश परम्परागत होते थे अतएव वे अपने नाम एवं साख को बनाये रखने के लिये आकर्षक वस्तुएँ तैयार करते थे। गृह उद्योगों में कपास की कटाई और बुनाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग थे। कटाई और बुनाई की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ वे ही थीं जो आज भी भारतीय ग्रामों में प्रयुक्त की जाती हैं। तैयार कपड़े का थान नकद मूल्य के बदले या अन्य वस्तुओं के बदले टुकड़े करके या तौलकर भी बेचा जाता था। अन्य लघु उद्योगों में टोपी बनाना, जूते बनाना और हर प्रकार के हथियार, खासकर धनुष-बाण बनाना सम्मिलित था।

बंगाल के कारीगरों का एक वर्ग विभिन्न अलंकारों में शंख का काम भी करते थे। उसी तरह कांसे का काम करने वाले घड़े, गिलास, थालियाँ, भोजन के तथा अन्य बर्तन, घण्टियाँ, मूर्तियाँ, दीवट, पानदान इत्यादि बनाते थे। ढोल और अन्य बाजे बजाने वाले भी थे। 'रस्सी, टोकनी, मिट्टी के बर्तन, मशक, पंखे इत्यादि बनाने के साधारण उद्योग भी थे।'

बंगाल, गुजरात और पंजाब में गुड़ को साफ करके चीनी तथा मिश्री बनायी जाती थी। गुड़ की अपेक्षा चीनी का तथा चीनी की अपेक्षा मिश्री का भाव अधिक था। मिश्री का प्रयोग धनी वर्ग के अतिरिक्त अन्य लोग न कर पाते होंगे क्योंकि अकबर के समय में मिश्री रूपये की पांच सेर ही मिलती थी।

धनी वर्ग के लोग कई तरह के रेशमी, उत्कृष्ट मलमल, जरी साटिन के कपड़े और विभिन्न प्रकार के जानवरों - ऊदबिलाव, खरगोश, नेवला इत्यादि के रोओं से बने कपड़े पहनते थे। शीत के मौसम में, जब कि सम्पन्न व्यक्ति रोएँ तथा उन का प्रयोग करते थे, दरिद्र लोग निकृष्ट सूती कपड़े, रूई से भरे सूती वस्त्र और मोटे कम्बल पहनते थे। इसी तरह जूट का उद्योग था। जूट का उद्योग भी स्थानीय उद्योग था जिसके लिये बंगाल सर्वाधिक प्रसिद्ध था।

कर्मकार एवं व्यवसायी-वर्ग - विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तथा कपड़े करीगर अपने घरों में अपने निजी यंत्रों की सहायता से बनाते थे। डॉ० अवध बिहारी पाण्डे लिखते हैं कि अधिकांश कारीगर खुले बाजार में अपना सामान न बेच कर नगरों के व्यापारियों को अपनी चीजें बेचते थे।

इस युग का सर्वोत्कृष्ट व्यापार सूती, रेशमी वस्त्रों के निर्माण का था जिसके छोट-छोटे उद्योगों के अतिरिक्त बड़े-बड़े केन्द्र देश भर में फैले हुए थे। गुजरात, बनारस, पटना, बंगाल तथा उड़ीसा के नगर तथा ग्राम इसके लिये प्रसिद्ध थे। उड़ीसा से लेकर बंगाल तक का विस्तृत प्रदेश एक प्रकार से सूती वस्त्रों के कारखाने जैसा प्रतीत होता था, जिनमें से ढाके की मलमल विश्व विश्रुत थी।

ढाके के अतिरिक्त बंगाल के सोनारगाँव तथा चौबासपुर बने सुन्दर

वस्त्रों के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध थे। वस्त्र निर्माण के साथ ही उन पर बैल-बूटे काढ़ने, रंगने तथा छापने का व्यवसाय भी बढ़ा-चड़ा था और मूल्यवान रत्नों के जड़ाऊ काम, आभूषण निर्माण, हाथी दांत पर काम तथा मोतियों पर पॉलिश आदि के व्यवसाय भी इस युग में गुजरात में प्रचलित थे।

नमक, अफीम और शराब भी अच्छे व्यवसाय थे। नमक राजस्थान में सांभर की झील तथा पंजाब की पहाड़ियों से, गुजरात व सिन्ध में समुद्र के पानी से प्राप्त होता था।

व्यापार एवं व्यापारी वर्ग - भारत के बाहरी देशों में व्यापारिक सम्बन्ध थे। देश से खेतों की उपजें, सूती-रेशमी कपड़े और जमीन सिल्वर जैसी धातु, अफीम, नील आदि का निर्यात किया जाता था। घोड़े, ढट्टे, शाही परिवार और अमीरों के अमोद-प्रमोद की वस्तुएँ मुख्य रूप से विदेशों से मंगायी जाती थी। यह सुस्पष्ट है कि देश का निर्यात-आयत से कहीं अधिक था और व्यापारिक संतुलन भारत के ही पक्ष में रहता था। शेरशाह ने अवश्य अन्तर्देशीय व्यापार के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण किया था। अन्तर्देशीय व्यापार के दृष्टिकोण से मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल विशेष महत्वपूर्ण है। उनकी उन्नति के लिये सम्राट ने नई सड़कों के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा के साथ ही नदियों में नाविक यातायात की भी समुचित व्यवस्था की।

स्वाभाविक रूप से भारत में बहुत से व्यापारिक केन्द्र बन गये थे। इन व्यापारिक केन्द्रों में महाजन और थोक व्यापारी होते थे। थोक व्यापारी वस्तुओं को बड़े पैमाने में खरीदते व बेचते थे जबकि महाजन व्यापारियों को उधार देते थे। भारत के मुस्लिम शासकों ने आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये सड़को व पुलों का निर्माण नहीं करवाया था। अपितु सड़कों पर सुरक्षा की व्यवस्था भी थी। प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर जान व माल की सुरक्षा के लिये रक्षा दल नियुक्त होता था। हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार का परिमाण निश्चित करना लगभग असम्भव सा है, क्योंकि कभी भी आयात और निर्यात के कोई आँकड़े नहीं रखे जाते थे। गुजरात में खम्भायत कैम्बे और बंगाल में बंगाला, उत्तर में विदेशी व्यापार के दो महत्वपूर्ण बन्दरगाह थे।

संदर्भग्रंथ सूची :-

1. डॉ० विश्वेश्वर स्वरूप भार्गव-मध्ययुगीन भारत की समस्याएँ, संस्करण-1973, अध्याय-10, पृ० 211
2. डॉ० वे० एम० अशरफ- हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियाँ, भाग-2, पृ० 126
3. डॉ० के० एम० अशरफ वही, पृ० 127

4. डॉ० अवध बिहारी पाण्डे-मध्यकालीन शासन और समाज, संस्करण-1966, खण्ड-3, पृ० 250
5. डॉ० के० एम० अशरफ- हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियाँ, भाग-2, पृ० 130
6. डॉ० वी० एस० भार्गव-मध्ययुगीन भारत की समस्याएँ, संस्करण-1973, अध्याय-10, पृ० 208
7. डॉ० अवध बिहारी पाण्डे- मध्यकालीन शासन और समाज, संस्करण-1966, अध्याय-13, पृ० 254
8. डॉ० आर० सी० मजूमदार एण्ड एच० सी० राय चौधरी-एन एडवान्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग-3, अध्याय-6, पृ० 572-73
9. डॉ० वी० ए० स्मिथ- अकबर दि ग्रेट मुगल, अध्याय-14, पृ० 410-12
10. बी० एन० लुनिया- मुगल कालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास संस्करण- 1971, अध्याय- 24, पृ० 949
11. डॉ० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव-मध्य कालीन भारतीय संस्कृति, संस्करण- 1982, अध्याय-4, पृ० 31
12. प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी- भारतीय व्यापार का इतिहास, संस्करण-1951, अध्याय-12, पृ० 240
13. वही पृ० 241-42
14. डॉ० वी० एस० भार्गव-मध्ययुगीन भारत की समस्याएँ, संस्करण-1973, अध्याय-10, पृ० 205
15. वही-पृ० 205-206

देश में बढ़ती बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार

कुलदीप*

प्रस्तावना – हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार दिनों-दिन अपना विकराल रूप धारण कर रही है। देश में बढ़ती जनसंख्या के अपेक्षाकृत रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हो पा रही है। बढ़ती जनसंख्या भी बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ाने में कहीं न कहीं सहायक है। देश में अर्थव्यवस्था को गिरती विकास दर रोजगार की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था की आकार सिमटेगा, तो उसके निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्रभावित होंगे और रोजगार के अवसर घटेंगे। लगभग जिस दर से रोजगार के अवसरों में कमी आएगी उसी दर से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। क्योंकि कहीं न कहीं बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू प्रतीत होते हैं। रोजगार के साधनों में कमी से अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना दुःसाध्य हो जायेगा और समाज में अनियमितता का प्रसार होगा, जिसके कारण चोरी, हत्या, दंगा-फसाद, ब्लैकमेल आदि अमानवीय कृत्यों की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

प्रख्यात उपन्यासकार ने अपने कथाओं के माध्यम से समाज में पनपती बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। आदमी का जहर उपन्यास में अजीत सिंह एक पत्रकार था, और वह जनक्रांति प्रेस का सम्पादक था। कभी-2 स्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं कि प्रेस को आगे बढ़ाने की बात तो दूर खुद का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता तथा प्रेस को बंद करने की नौबत आ जाती लेकिन अजीत सिंह किसी भी कीमत पर जनक्रांति प्रेस को बन्द करना नहीं चाहता था इसके लिए वह ब्लैकमेलिंग जैसे घृणित कार्य की ओर उन्मुख हो जाता है। वह शहर में नेताओं, एवं शहर के अमीर व्यक्तियों की कमियों के बारे में छानबीन करता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके कृत्यों को अपने अखबार में छापने की बात कहकर उनसे पैसे ऐंठता! यह कार्य वह केवल नेताओं के साथ नहीं करता बल्कि रूबी जैसी परिस्थिति की मारी स्त्री तक को नहीं छोड़ता अजीत सिंह की मृत्यु के बाद पुलिस रूबी से काफी पूछताछ करती है। रूबी ने कहा

‘इंस्पेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? यही न कि अजीत सिंह मेरे और संदीप के रिश्ते को जानकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, और मैंने मौका मिलने पर उसे जहर देकर मार डाला। बोलिए, आपका यही मतलब है न?’ अजीत सिंह नेता शांतिप्रकाश को मलिना के हत्या के बारे में ब्लैकमेल करके वर्षों पैसा लेता रहा, और शांतिप्रकाश भी अजीत सिंह के झूठे से बचने के लिए मौका पाते ही जहर देकर अजीत सिंह की हत्या कर देता है।

‘पहला पड़ाव’ उपन्यास में लेखक ने मजदूरों, इंजीनियरों, मिस्री आदि के माध्यम से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों का वर्णन किया है, तथा बेरोजगारी के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार का भी बड़ा अच्छा एवं सटीक वर्णन

किया है।

इंजीनियर गलत कार्य करने के कारण अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, और वह पैसा कमाने के लिए अब्बल दर्जे की ठेकेदारी पर उतर आता है, वह मकानों के निर्माण कार्य का ठेका लेता, तथा धीरे काम करने वाले मजदूरों को वह महत्व नहीं देता था ‘यह बताकर कि ये काम कम करते हैं, मजदूरी ज्यादा लेते हैं, उन्होंने कई पुराने मजदूरों को चलता कर दिया।’¹² इंजीनियर जिन मजदूरों को काम पर रखता उन्हें भी कार्य के अनुसार पैसा नहीं देता। उन मजदूरों की स्थिति दयनीय, दिनभर मजदूरी करने के बाद शाम को उनके घर चूल्हा जलता था। तथा रोजगार के अभाव के कारण वे इंजीनियर द्वारा रखे गयी शर्त कम मजदूरी अधिक काम को स्वीकार करना पड़ता। मशीनीकरण श्रमिकों की छटनी को जन्म देती है। जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। सरकारी तंत्र के द्वारा कर्मचारियों को उनके पद से जबरदस्ती सेवा निवृत्ति कर दिया जाता है। वे हताश होकर घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। जिससे उनका पूरा परिवार विकास के पथ पर अग्रसर होने से बाधित होता है। जिससे व्यक्ति अपने को रोजगार के योग्य नहीं बना पाता है। एवं कुण्ठा पूर्ण जीवन जीने के लिए विवश रहता है।

‘पहला पड़ाव’ उपन्यास में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, कि किस प्रकार बेरोजगारी दंगा-फसाद, चोरी एवं हत्या जैसे कृत्यों को करने के लिए मजबूर कर देती है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण किस प्रकार डेली पैसेन्जर में आये दिन लूटपाट एवं दंगाफसाद होते रहते हैं जिसमें केवल सम्पन्न व्यक्ति ही नहीं मेडूराम (नेता) जैसे गरीब लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें वे घर नहीं जा पाते हैं, और न चाहते हुए भी फिर से मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। बनते हुए पार्कों की रेलिंग चुरा ली जाती है, इस तरह चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल छा जाता है। रेलिंग चुराने में एक खास गिरोह ने महारत दिखाई है। उनके पास एक बड़ी-सी मैटाडोर वान है। इस पर एक आदमी कई बार देखा गया है

अफसरों की तरह मुँह में टेढ़ी सिगरेट लगाए रहता है।¹³ कभी-कभी बेरोजगार स्वयं आक्रोश में आकर यह सब काम करते हैं एवं कभी-कभी यह सब काम बड़े लोगों द्वारा करवाया जाता है, बड़े व्यक्तियों के सम्पर्क में रहने के कारण उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं रहता एवं भ्रष्टाचार दिनों-दिन अपना उग्र रूप धारण कर लेता है। इसका प्रभाव एक व्यक्ति विशेष पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है, जिससे चारों तरफ डर एवं भय का वातावरण छा जा जाता है, एवं समाज में चारों तरफ अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है।

मेडूराम एक बार जब चोरों के गिरोह को चोरी करते हुए देख लिया, और मजदूर मेडूराम ने इस चोरी का विरोध किया, तो चोरों के गिरोह ने बड़ी

बेरहमी से मेडूराम की हत्या कर दी, और दुःख की बात तो यह है मेडूराम जैसे सच्चे व्यक्ति को न्याय दिलाने के बजाय उनकी लाश को लावारिश घोषित कर उस केस की फाइल बंद कर दी जाती है, क्योंकि चोरी करने वाले गिरोह को बड़े-2 लोगों का समर्थन प्राप्त था।

बेरोजगारी भ्रष्टाचार एवं अपराध को बढ़ावा देती है। समाज में यह देखा जाता है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। अपराध एवं चोरी करने वालों की पहुँच पुलिस प्रशासन एवं शहर के बड़े व्यक्तियों से होती है। वे निःशंक भाव से चोरी का कार्य करते हैं। पहला पड़ाव उपन्यास में लेखक ने चोरी करने का बड़ा ही सूक्ष्म ढंग से पर्दाफाश किया है। मजदूर नेता (मेडूराम) द्वारा चोरों के गिरोह को रंगे हाथों देख लेने पर एवं उन्हें मना करने पर उस मजदूर मेडूराम की हत्या कर दी जाती है। पुलिस उसके हत्यारे को ढूँढने में नाकाम रहती है। प्रेमबल्लभ एवं सन्ते (संतोष कुमार) के द्वारा कुछ संदिग्ध साक्ष्य बताये जाने पर पुलिस उसे एक महज घटना मानकर टाल देती है। और कहती है कि अगर कोई ठोस सुबूत मिल जाये तो मुझे (थानेदार) इत्तला कर देना। कुछ समय पश्चात रघुनाथ एक हरी ट्रैकर को एक ट्रक द्वारा पूँछ मारकर या साइड लग जाने से उसकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। तब वह गंभीर हालात में जखमी हो जाता है। जब वह अस्पताल में भर्ती या एवं अपनी अन्तिम साँसे तक भी नहीं गिन पा रहा था, अंततः वह जीवन से दम तोड़ देता है। उस समय उसे देखने के लिए पहले से ही थानेदार चौहान साहब भी एक विलायती पुलोवर, पहने हुए दिखायी पड़े। जिसको प्रेमबल्लभ ने चोरों के सरदार रघुनाथ को पकड़कर करार किये जाने की अपील की थी, प्रेमबल्लभ कहता है, 'मुझे चौहान के सामने पड़ना ठीक नहीं जान पड़ा। मैं कतराकर दूसरी ओर निकल गया।'⁴ इस प्रकार स्पष्ट है कि पुलिस भी चोरों के साथ किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है।

समाज में केवल बेरोजगारी के कारण भ्रष्टाचार नहीं होता अपितु भ्रष्टाचार के कारण भी बेरोजगारी का जन्म होता है। केवल बेरोजगार व्यक्ति ही चोरी हत्या आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते वरन प्रभुत्वशाली एवं भ्रष्ट व्यक्ति के मन के अनुसार यदि काम नहीं होने, पर वे जबरन अपने अण्डर में कार्य करने वाले को कार्य से निकाल देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि दोनों का एक दूसरे से अटूट सम्बन्ध है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह ही हैं।

लेखक ने रागदरबारी उपन्यास के माध्यम से पाठक को यह अवगत कराने का प्रयास किया है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी का जन्म होता है। रागदरबारी उपन्यास में वैद्य जी एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे। ग्राम पंचायत में सर्वे-सर्वा के साथ-2 'छंगामल इंटर कॉलेज' के मैनेजर थे। वे डरा धमकाकर चुनाव भी जीत लेते थे, तथा अपने मन के अनुसार काम न होने से कॉलेज के अध्यापकों को जबरन निकाल देता था। खन्ना मास्टर इतिहास पढ़ाते थे तथा प्रिंसिपल के बाद वे ही सबसे योग्य थे इसीलिए वे वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते थे लेकिन वैद्य जी को यह स्वीकार नहीं था खन्ना मास्टर अपने हक के लिए मुकदमा भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते वैद्य जी जैसे प्रभुत्वशाली व्यक्ति उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं।

भ्रष्टाचार एवं गलत नीतियों के द्वारा एक व्यक्ति को जो रोजगार में रहते हुए एवं अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह करते हुए उसे पद से जबरदस्ती हटा दिया जाता है। इसका खुला चित्रण श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास रागदरबारी के माध्यम से किया है। उपन्यास में वैद्य जी सबसे

प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते हैं। रंगनाथ के द्वारा पूछे जाने पर रूपन कहता है कि स्कूल में अध्यापकों का आना-जाना इन्हीं के द्वारा होता है। जिसको चाहें उसे हटा एवं जिसको चाहे उसे रख लें। 'छंगामल विद्यालय' में खन्ना मास्टर एक बहुत ही परिश्रमी एवं ईमानदार व्यक्ति होता है। उसे हमेशा ही उसके कार्यों के लिए प्रताड़ित किया जाता है। जबकि हमेशा वह अपने कार्य में दत्तचित्त रहता है। वैद्यजी, प्रिंसिपल, वलर्क आदि के द्वारा उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है, जिससे वह विद्यालय छोड़ दें। वैद्यजी रामस्वरूप को उसके पद सुपरवाइजर से गबन का आरोप लगाकर सोसायटी से उसे हटा देते हैं, उनके द्वारा (वैद्यजी) कहा जाता है कि सुपरवाइजर गेहूँ के कई बोरे गबन किया था। इसके बाद अपने बड़े लड़के बट्टी पहलवान को सोसायटी का सुपरवाइजर बना देते हैं। वैद्यजी शुरु में प्रधान नहीं बनना चाहते थे लेकिन जब पेपर में उस पद के बारे में होने वाले लाभ से वाकिफ होते हैं तो प्रधानी का चुनाव भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अपने अधीन रहने वाले एक व्यक्ति (सनीचर) को प्रधान बना देते हैं। जो सारा कार्य उन्हीं के कहने पर करता है। खन्ना मास्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे विद्यालय से निकालने की पूरी साजिश रच ली जाती है। इजलास भी खन्ना के मास्टर के विपरीत फैसला सुनाती है जो कि प्रिंसिपल एवं वैद्यजी की चाल थी। इजलास ने खन्ना मास्टर से कहा यह तमाशा बहुत हो चुका, अब यह झगड़ा खत्म होना चाहिए, या तो आपस में सुलहकर लो या कॉलेज छोड़कर बाहर चले जाओ। नहीं तो इस मुकदमे में फैसला मुझे लिखना पड़ेगा। गयादीन ने जम्हाई लेकर खन्ना मास्टर से कहा, सुलहकर लो। पर इसका मतलब

'वह तो तुम बता चुके हो मास्टर साहब, सुलह शिवपालगंज छोड़ देने से ही हो, तो वही करो। दिन-दिन की खिचखिच से क्या फायदा? बेकार ही तो हो जाओगे। बेकारी उतनी बुरी चीज नहीं है। बेकार तो करोड़ों लोग हैं। असल चीज खिचखिच है। इससे दूर रहना चाहिए।'

अन्ततः खन्ना मास्टर कॉलेज छोड़कर चले गये। जाते-जाते उन्होंने प्रिंसिपल की चेतावनी सुनी। वे चीखकर अवधी में कह रहे थे, 'अइसी फिर देखि परिही तौ मारे जूतन के पटरा कइ देबै। जान्यो मास्टर साहब! हमहूँ का जान लेव। भले मनइनका हम भले हन और गुण्डन के बीच या महागुण्डा।' प्रिंसिपल ने रंगनाथ से कहा देखो हमारे यहाँ लेक्चरर की एक सीट खाली है। खन्ना मास्टर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वह (रंगनाथ) सब कुछ कर गुजारिश जानता है वह खन्ना मास्टर की जगह नौकरी नहीं करता है। जिसे उसके पद से बलात् हटा दिया गया है। रंगनाथ खन्ना जैसे-ईमानदार मास्टर का साथ देता है। रंगनाथ उँचे विचार का होने के बावजूद खन्ना के पद को न स्वीकारने पर वह प्रिंसिपल द्वारा 'गधे' की उपाधि पाता है। प्रिंसिपल कहता है इससे तुम कहाँ तक बचोगे जहाँ जाओगे वहाँ खन्ना की ही जगह मिलेगी। लेखक के माध्यम से यह साबित होता है कि हर जगह ही भ्रष्टाचार है। तुम मँझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फँस गये हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़-ही-कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो। इस मुगालते में न रहो कि कीचड़ में कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है। वही फैलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आदमी का जहर, श्रीलाल शुक्ल, पृ0 50, राजकमल प्रकाशन, पाँचवाँ संस्करण 2018, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-110002
2. श्रीलाल शुक्ल, पहला पड़ाव, पृ0 29, राजकमल प्रकाशन, छठा

- संस्करण 2016, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-
110002
3. श्रीलाल शुक्ल, पहला पड़ाव, पृ0 92, राजकमल प्रकाशन, छठा
संस्करण 2016, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-
110002
4. श्रीलाल शुक्ल, पहला पड़ाव, पृ0 229, राजकमल प्रकाशन, छठा
संस्करण 2016, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-
110002
5. श्रीलाल शुक्ल, रागदरबारी, पृ0 307, राजकमल प्रकाशन,
बयालीसवाँ संस्करण 2019, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज
नई दिल्ली-110002
6. श्रीलाल शुक्ल, रागदरबारी, पृ0 314, राजकमल प्रकाशन,
बयालीसवाँ संस्करण 2019, 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

भिखारी ठाकुर, जीवन और रंग विमर्श: एक अनुशीलन

अमित रंजन*

प्रस्तावना – देश दुनिया में भोजपुरिया लोक मानस की अस्मिता के प्रतीक बन चुके लोक कलाकार भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर, समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, नवजागरण के संवाहक, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रखर उद्घोषक और लोक संस्कृति के अनन्य उपासक रहे जिन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'अनगढ़ हीरा', मनोरंजन प्रसाद सिंह ने 'भोजपुरी का सेक्सपियर' कहा तो अंग्रेजों ने 'राय साहब' की उपाधि से नवाजा, यह हम सालों से पढ़ते, सुनते और भजते आ रहे हैं।

वस्तुतः भिखारी ठाकुर आधुनिक हिन्दी रंगमंच के एक पुरोधा के रूप में परिलक्षित होते हैं परन्तु विडम्बना रही कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी और लोक कलाकार के दायरे में समेट कर रख दिया गया जबकि स्थापित सत्य है कि भोजपुरी मागधी ही प्रसूत है, उन पर कबीर और तुलसी की छाप स्पष्ट दिखती है। उनके बिदेशिया, गबरघिचोर, बेटी वियोग, पिया नसईल आदि की पीड़ा वैश्विक पीड़ा बन जाती है। इनके नाटकों की प्रभावोत्पादकता का आलम संजीव के सूत्रधार उपन्यास के एक प्रसंग में देखा जा सकता है। हजारीबाग का एक ग्रामीण समूह बेटी बेचवा नाटक से इस तरह प्रभावित हुआ कि सामूहिक रूप से शिव मंदिर में बेटी न बेचने की कसम खाई और बेटी बेचने वालों के लिए उनके यूनियन ने बहिष्कार का निर्णय लिया। 'जो कोई भी चोरी छिपे बेटी का सौदा करता पकड़ा जाएगा उसका हुक्का पानी बंदा'¹ गहरे भावबोध के साथ इनकी कला में सादगी और सरलता है, गबरघिचोर नाटक में 'घिचोर' को तीन टुकड़ों में काट कर गलीज बो, गलीज और गड़बड़ी के बीच बराबर बाँट देने की कल्पना उन्हें वैश्विक धरातल पर ले जाती है और ब्रतोत्त ब्रेख्त के खडिया का घेरा के समक्ष खड़ी कर देती है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक प्रो. अवधेश प्रधान ने भिखारी ठाकुर की सही पहचान की है, 'उनकी भोजपुरी खांटी भोजपुरी है, इसमें संदेह नहीं लेकिन वो केवल भोजपुरी के ही कवि नहीं हैं उन पर तुलसी दास की गहरी छाप है। सुनकर ही सही ब्रजभाषा की काव्य परंपरा से जो कुछ भी सीखा गुना था उसका भी रंग है। खड़ी बोली भोजपुरी मिल कर जो रूप लेती है उसका भी नमूना है। और हाँ उत्तर प्रदेश की नौटकी का भी प्रवाह है। सूत्रधार और विदूषक की योजना उनकी नितांत रचनात्मक है। हास्य- व्यंग्य और करुणा के वे उस्ताद हैं। लोक संगीत और लोक रूचि के पारखी, उसी तरह ब्रह्म जीव माया गुरु के संपर्क में रमना और अपने स्रोताओं दर्शकों को रमाना भी उन्हें अच्छा लगता है। वे हमारी माटी से उपजने वाले कला प्रतिभा के प्रतीक हैं।'² इसके साथ ही भिखारी ठाकुर ने लौंडा नाच जैसी कोरी मनोरंजक और पुरुषवादी अश्लील विधा को परिष्कृत कर गंभीर विषयों की तरफ मोड़ा तब जा कर बिदेशिया, बेटी वियोग और पिया नसईल जैसे नाटक मंचित हो सके। बिदेशिया की नायिका प्यारी सुंदरी

का गाया हुआ बारहमासा बरबस उन्हें मध्यकालीन सूफी काव्यधारा के जायसी की परंपरा की ओर ले जाता है।

आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिक आस,
बरखा में पिया घरे अइतन बटोहिया।
पिया अतन बुनिया में राखी लिहतन दुनिया में,
अखडेला अधिका सवनवाँ बटोहिया।
आई जब मास भादो, सभे खेली दही कादो,
कृष्ण के जनम बीती असहीं बटोहिया।
आसिन महिनवा के, कड़ा घाम दिनवाँ के,
लुकवा समानवाँ बुझाला हो बटोहिया।
कातिक के मासवा में, पियऊ के पाँसवा में,
हाड में से रसवा चुअत बा बटोहिया।
अगहन- पूस मासे, दुख कहीं केकरा से?,
बनवाँ सरिस बा भवनवाँ बटोहिया।
मास आई बाघवा, कँपावे लागी माघवा,
त हाइवा में जाइवा समाई हो बटोहिया।
पलंग बा सुनवाँ, का कईनी अयगुनवाँ से,
भारी ह महिनवाँ फगुनवाँ बटोहिया।
अबीर के घोरी घोरी, सब लोग खेली होरी,
रँगवा में भँगवा परल हो बटोहिया।
कोईली के मीठी बोली, लागेला करेजे गोली,
पिया बिनु भावे ना चइतवा बटोहिया।
चढी बइसाख जब, लगन पहुँची तब,
जेठवा दबाई हमें हेठवा बटोहिया।
मंगल करी कलोल, घरे- घरे बाजी द्रोल,
कहत 'भिखारी' खोजै पिया के बटोहिया।³

वरीय अभिनेता और हिन्दी के प्राध्यापक डॉ. जावेद अख्तर खाँ ने 'नेमी स्मरण' तहत बिहार का रंगमंच पर बीज वक्तव्य रखते हुए कहा, 'भिखारी ठाकुर का बिदेशिया नाटक बिहार के रंगमंच की शुरुआत है उसी प्रकार जैसे भारतेन्दु हरिश्चंद्र को हिन्दी रंगमंच की शुरुआत माना जाता है। भिखारी ठाकुर के सारे नाटक महिलाओं को केन्द्र में रख कर मंचित हुए, जो अपने में महत्त्वपूर्ण योगदान है।'⁴

भिखारी ठाकुर रचनावली के संपादक प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र नारायण यादव के मुताबिक 'उन्नतसर्वी शताब्दी के उत्ताराद्ध से लेकर वीसवीं शताब्दी के चौथे दशक तक देश अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक आजादी हेतु सघन संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष को तीव्रता प्रदान करने की चिंता प्रत्येक

*शोधार्थी, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) भारत

देशवासी में घर कर गई थी। विदेशी सत्ता से मुक्ति के अभियान में जुटी जनता राजनीतिक स्तर पर ही नहीं सांस्कृतिक स्तर पर भी आत्म चिंतन व आत्मावलोकन के दौर से गुजर रही थी। दोनों आंदोलन साथ-साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। देश केवल राजनीतिक आजादी के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक बदलाव हेतु भी तैयार हो रहा था। इस बदलाव को ऊर्जा एवं गति गाँधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेताओं से प्राप्त हो रही थी। उनके लोक जागरण ने एक तरफ आजादी की तीव्र माँग के स्वर को सघन बनाया तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक एवं सामाजिक बदलाव की जमीन भी तैयार की। वस्तुतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से सम्पन्न देश ही राजनीतिक आजादी हेतु संघर्ष करने में सक्षम हो सकता था। संस्कृति एवं स्वतंत्रता में अन्योन्याश्रित संबंध है, संस्कृति की कुक्षि से ही आजादी का बीज अंकुरित होता है। सांस्कृतिक चेतना से सम्पन्न व्यक्ति गुलाम रह ही नहीं सकता। संस्कृति आजादी की भूख को तीव्रता प्रदान करती है। इस प्रकार किसी राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में संस्कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान है और इस संस्कृति की निर्मित में उस देश और समाज की दीर्घकालीन कलात्मक साधना होती है, यह साधना सतत प्रवाहमान रहती है। आजादी के पूर्व और पश्चात् भी इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के निर्माताओं और चेतन स्वरूप के सर्जकों में थे भिखारी ठाकुर। भिखारी के नाटकों में दर्शकों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। वे न केवल लिखते थे बल्कि स्वयं अभिनय भी करते थे। विवाह के अवसरों पर सफेद मिरजई और धोती पहनते थे। सिर पर सफेद पगड़ी बाँधते थे। ललाट पर चंदन, गले में माला, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में छड़ी लेकर जब भिखारी पंडित का स्वांगाभिनय करते तो उनकी कलात्मक ऊँचाई के सामने बैठा दर्शक समाज कुछ समय के लिए पूरे निजी प्रपंच को विस्मृत कर उनको देखता रह जाता या कहे समाधिस्थ हो जाता था, यही तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रसदशा या सिद्धावस्था है।¹⁵

भिखारी ठाकुर आधुनिक हिन्दी रंगमंच के पेशेवर जमात के पुरोधा के रूप में प्रकट होते हैं। जिनके सामने अपनी नाच मंडली के दर्जनों लोगों की रोजी रोटी की चिंता थी लिहाजा उन्हें तत्कालिक नाच मंडलियों से खुद को अलग रखना था और उनकी रस में लिप्त भी रहना था। इसके लिए जरूरी था नाच मंडलियों की परिपाटी से अलग गीत-नृत्य-नाटक परोसना कि अधिक से अधिक सट्टा मिल सके। वो जाने अनजाने में नाट्य प्रशिक्षण शाला रेपट्री के संचालक भी बन जाते हैं। विदेशी शासन में अपनी नाट्य मंडली बना कर आम जनता के सुख दुख को अभिव्यक्त करना उनकी अद्भुत संगठन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। कलाकारों को संगठित कर उनको अभिनय, गायन और नृत्य का प्रशिक्षण देते, साज और संगीत का तालमेल देखते। कैथी लिपि में कुछ कुछ लिख भी लेते थे बहुत कुछ अलिखित और कलाकारों के 'परजेंस ऑफ माईड' पर निर्भर होता था। पात्र खासकर विदूषक कब कहाँ क्या बोल बैठेगा यह भिखारी, उनके नचदेखुआ और यहाँ तक स्वयं वो विदूषक भी नहीं जानता था। बरसात के तीन महिने तक तैयारी और नौ महिने तक मंडली ले जहाँ तहाँ प्रस्तुति चाहे वो आरा के ठाकुर साहब का बगान हो या कलकत्ता या फिर झरिया की कोईलरी।

पहले आरा अब छपरा के कुतुब दियारा में 18 दिसम्बर 1887 को एक अति पिछड़े नाई परिवार में दल सिंगार ठाकुर और शिवकली देवी की छः संतानों में दूसरे नंबर पर भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। इनके बड़े भाई बहोर ठाकुर थे। एक के बाद एक पत्नियों की असामयिक मृत्यु के कारण भिखारी ठाकुर ने तीन शादियाँ की थीं। अपना परिचय देते हुए भिखारी ने

लिखा है-

कुतुबपुर ह मोकाम, हई जात के हजामा
छपरा से तीन कोस दिआर में बाबूजी।
पूरब के कोना पर, गंगा के किनारे पर,
जाति-पेशा बाटे विद्या हीन बानी बाबूजी।⁶

इनकी काव्य भाषा स्वाभाविक तौर पर भोजपुरी रही और देश दुनिया में भोजपुरी भाषा की मिठास, शालीनता और अभिव्यक्ति की अपार शक्ति को स्थापित करने में इनकी रचनाओं का सानी नहीं है। अपनी मातृभाषा भोजपुरी को आप घर का गुर करार देते हैं- 'मातृ भाषा घर का गुर है।'

भिखारी ठाकुर के अधिकारी विद्वान, भिखारी ठाकुर रचनवली के संपादक, पूर्व निदेशक, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना फिलवक्त एम एल सी प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र नारायण यादव ने रचनावली में इनके द्वारा लिखित कुल 29 रचनाओं की सूची प्रस्तुत की है जो लोक नाटक, भजन-कीर्तन-गीत-कविता के रूप में हैं। इनके नाटकों में बिदेशिया, भाई विरोध, बेटा-वियोग, विधवा-विलाप, कलियुग प्रेम, राधेश्याम बहार, गंगा-स्नान, पुत्र बध, गबरघिचोर, बिरहा बहार, नकल भांड आ नेटुआ के, ननद भौजाई और भजन-कीर्तन-गीत-कविता में शिव विवाह, भजन कीर्तन: राम, रामलीला गान, माताभक्ति, आरती, बुढ़शाला के बेयान, चौवर्ण पदबी, नाई बहार, शंका समाधान, विविध और भिखारी ठाकुर: परिचय आदि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार गबर घिचोर, बिदेशिया और बेटा वियोग तथा अन्य रचनाएं जो आज सात समुद्र की देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर मॉरिशस, फिजी, गुयाना सहित दुनिया भर में पहुँच गई हैं और इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नाटककार के रूप में स्थापित कर रही हैं।

भारत के मध्यकाल में साम्प्रदायिकता, धार्मिक आडम्बर, शोषण भरे कर्मकांड और जातीय विद्वेष के विरोध की जो पुरजोर आवाज हिन्दी के संतकवि कबीर ने गुरु गंभीर ढंग से प्रस्तुत की थी और यह साहित्यिक आंदोलन के रूप में निर्वाह चली आ रही थी उसे उल्लसर्वी शताब्दि में भिखारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बुलंद किया सन् 1919 - 1965 तक लोक नाटकों तथा सैकड़ों भजन, कीर्तन, गीत कविता की रचना की और नाट्यमंडली का विधिवत् गठन कर अभिनय, गायन, वादन, नृत्य एवं व्यवस्था की दृष्टि से निरंतर प्रशिक्षित किया और गाँव गाँव घूम घूम कर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का संदेश फैलाया। बिदेशिया में पति वियोगिनी नारी, भाई विरोध में संयुक्त परिवार का विघटन, विधवा विलाप में विधवा के प्रति सामाजिक अत्याचार, गंगा स्नान में धार्मिक आडम्बर, पुत्र बध में नारी चरित्र के विचलन, गबरघिचोर में मानव को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता, पिया निसईल में नशाखोरी और उसके दुष्परिणाम, बुढ़शाला के बेयान में वृद्धों की उपेक्षा जैसे विषयों को प्रखरता से प्रस्तुत कर नवजागरण के संवाहक बनते हैं।

भिखारी ठाकुर की रचनाएं प्रमुख रूप से नारी विमर्श की जीवंत और सशक्त उदाहरण हैं। ये नारी मुक्ति के महान गायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी रचनाओं का 75 फिसदी नारी विमर्श को समर्पित है। इनकी रचनाओं में नारी के विविध रूप आये हैं- जैसे बालिका के रूप में नारी, विवाहिता नारी, वियोगिनी नारी, माँ के रूप में, प्रेयसी के रूप में आदि। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नारियाँ भारतीय परंपरागत नारी चरित्र की उदाहरण हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी जहाँ अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है तो वहाँ पति को परमेश्वर मानती हैं, एक वृद्ध, बीमार और सम्पन्न किसान के हाथों बिक कर भी निष्ठापूर्व अपने पति की सेवा करती हैं। माता रूप में नारी के

प्रति भिखारी ठाकुर की बड़ी निष्ठा है।

वृद्ध वर के हाथों बेंच दी गई उपातो का आर्तनाद-

गिरिजा कुमार करु दुखवा हमार पार,

दर- दर दरकत बा लोर मोर हो बाबूजी।

पढ़ल- गुनल भूलि गइलस, समदल भेंडा भइलस

सउदा बेसाहे में ठगइलस, हो बाबूजी।

केई अइसन जादू कइलस, पागल तोहार मति भइल

नेटी काटी के बेटी भसिअवल हो बाबूजी।

रोपेया गिनाइ लिहलस, पगहा धराइ दिहलस

चेरिया के छेरिया बनवलैस हो बाबूजी।⁷

बिदेशिया में गवना करा कर पति के श्रम प्रवर्सन और 14 वर्षों तक चिट्ठी चपाटी भेजने और न ही लौट कर आने के कारण बिगरहिणी प्यारी सुंदरी की पीडा-

कवने अयगुनवा पियवा हमें बिसरवलन, पिया हमें बिसरवलन हो,

कि पिया के मतिया बउराइल हो रामा

जइसे सपनवा अपना पियाजी के देखलीं, अपना पियाजी के देखलीं हो,

जिउआ में सनाक देना समाइल हो रामा

जब हम जनतीं तब पिया का पाछा लगतीं, हम पिया का पाछा लगतीं हो,

जरिये के हउए हमार भुलाइल हो रामा

कहत भिखारी पियवा फाँसी देके भगलन, पियवा फाँसी देके भगलन हो,

अहजल में मनवा बा टंगाइल हो रामा।⁸

भिखारी ठाकुर का जन्म समाज के पिछड़े नाई जाति में हुआ था लिहाजा उन्होंने इस समाज की त्रासदी को गहराई से जाना भोगा समझा था फलतः

इनकी रचनाओं में दलित विमर्श प्रचूर मात्रा में उपलब्ध होता है।

भिखारी ठाकुर को ज्यादा प्रसिद्धि 84 वर्ष की अवरथा में 10 जुलाई 1971 को उनके ईहलोक से पलायन के बाद मिलनी शुरु हुई जैसा कि उन्होंने खुद कहा-

अबहीं नाम भईल बा थोरा, जब ई छूट जाई तन मोरा।

तेकरा बाद पचास बरिसा. तेकरा बाद बीस- दस तीसा।

तेरा बाद नाम होई जइहन, पंडित, कवि, सज्जन यश गइहना।⁹

अस्तु, विद्वत आलोचकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भिखारी को भोजपुरी और लोक संस्कृति तक ही सीमित नहीं रखते हुए अब भी उन्हें इस दायरे से पृथक कर भी देखने की कृपा की जाए तो हिन्दी साहित्य और हिन्दी रंगमंच की श्रीवृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजीव: सूत्रधार, पृष्ठ 33।
2. इप्ता: लोकसंस्कृति और सद्भाव विशेषांक (2014), पृष्ठ 31।
3. भिखारी ठाकुर रचनावली, पृष्ठ 38।
4. बिहार इप्ता द्वारा नेमी चंद जैन की जन्मशती पर ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान सभागार में 16 फरवरी 2020 को आयोजित विचार गोष्ठी में डॉ0 जावेद अख्तर खॉं का बीज वकतव्या।
5. भारतीय जननाट्य संघ (इप्ता), छपरा स्मारिका 2010, पृष्ठ 11।
6. भिखारी ठाकुर रचनावली, पृष्ठ 90।
7. भिखारी ठाकुर रचनावली, पृष्ठ 90।
8. भिखारी ठाकुर रचनावली, पृष्ठ 52।
9. भिखारी ठाकुर रचनावली, पृष्ठ 319।

भारतीय संस्कृति

डॉ. सुनीता शुक्ला*

प्रस्तावना - सुप्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार मिस्टर डाइवेल ने लिखा है कि 'भारतीय संस्कृति महासमुन्द्र के समान है जिसमें उनके नदियाँ आकर विलीन हो जाती है।' एक अन्य विद्वान विचारक मिस्टर सी० ई० एम० जोड ने लिखा है कि 'मानव जाति को भारतीयों में सबसे बड़ी चीज जो वरदान के रूप में दी है, वह यह है कि भारतवासी हमेशा ही अनेक जातियों के लोगों और अनेक प्रकार के विचारों के बीच समन्वय करने को तैयार रहे हैं। सभी प्रकार की विविधताओं के बीच एकता कायम करने की उनकी लियाकत और ताकत लाजबाब रही है।' भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सतत् गतिशीलता, लचीलापन और जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ एवं श्रेयकर हो उसे आत्मसात करने की इसकी शक्ति ने इसे अद्भुत निखार प्रदान किया है। इसमें अनेक संस्कृतियों के मूल तत्वों का निचोड़ है, विश्व के अद्भुत चिन्तन का समिश्रण है। इसी सन्दर्भ में 19वीं शताब्दि में अपनी अपूर्व भारत भक्ति से सारे यूरोप को चौंका देने वाले मैक्समूलर ने एक जगह लिखा है कि 'अगर मैं अपने आप से यह पूँछूँ कि केवल यूनानी रोमन और यहूदी भावनाओं एवं विचारों पर पलने वाले हम यूरोपीय लोगों के आन्तरिक जीवन को अधिक समृद्ध पूर्ण और अधिक विश्वसनीय, संक्षेप में, अधिक मानवीय बनाने का नुस्खा हमें किसी जाति के साहित्य में मिलेगा तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी उँगली हिन्दुस्तान की ओर उठ जाएगी।' इसी प्रकार बीसवीं सदी के चिन्तक और अखिल मानवता के उपासक रैम्या रोला ने लिखा है कि 'अगर इस धरती पर कोई ऐसी जगह है, जहाँ सभ्यता के प्रारम्भिक दिनों से ही मनुष्यों के सारे स्वप्न आश्रय और पनाह पाते रहे हों तो वह जगत हिन्दुस्तान है।'

भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति बड़ी ही प्रचण्ड थी। इसने सदैव पैसा लचीला रूप पसन्द किया जो प्रत्येक नयी संस्कृति से लिपटकर उसे अपनी बना सके। नीग्रो से लेकर हूणों तक आने वाली जातियाँ इसी लचीलेपन के कारण हिन्दू समाज में खप गईं। उसने अनेक संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया। इस्लाम जो अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र रखने का मसूबा लेकर चला था वह भी भारत आकर परिवर्तित हो गया। भारतीय मुसलमान धर्म के मामले में अपनी सत्ता स्वतंत्र रखने में बहुत दूर तक सफल हुए लेकिन संस्कृति की दृष्टि से अब भारतीय यही है। इतिहासकार स्मिथ ने तुर्कों के सम्बन्ध में लिखा है कि 'इन विदेशी लोगों ने भी अपने आने वाले शकों के समान ही हिन्दू धर्म की पाचन शक्ति के सम्मुख घुटने टेक दिए एवं बहुत शीघ्र हिन्दुत्व में विलीन हो गए।' जवाहर लाल नेहरू ने भी लिखा है कि 'इरानी और यूनानी, पार्थियन और वेक्टियन, सीथियन और हूण, तुर्क और ईसा की आरम्भिक सदियों में आने वाले इसाई, यहूदी और पारसी, ये सबके सब, एक के बाद एक भारत में आए और उनके आने से समाज ने हल्के कम्पन का अनुभव किया, मगर उनका कहीं अलग अस्तित्व नहीं बचा।'

15वीं शताब्दी राजनीतिक विशृंखलताओं एवं अराजकताओं से होकर गुजराती है। तैमूर के भारत में भीषण नरसंहार (1398-99) के उपरान्त अराजक स्थिति में थोड़ी शक्ति संग्रह करके स्वतंत्र राज्य स्थापना सामान्य बात थी। तैमूरी शासकों ने भारतीय संस्कृति को नया मोड़ दिया। काबुल के शासक जहाखदीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के युद्ध में (1526) दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी (1517-26) को परास्त कर तैमूरी वंश अर्थात् मुगल वंश की स्थापना की। पिछले सुल्तानों की तुलना में मुगलों ने अधिक उदार तथा अधिक सफल शासन प्रणाली की स्थापना की उन्होंने जो वेशभूषा प्रचलित की वह इस समय भी विद्यमान है और विदेशों में हमारे दूत जिस वेष में भारतीयता व्यक्त करते हैं। उसमें मुगलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव डाल चुकी है और ऐसी विरली ही स्थानीय भाषा होगी जिसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों का भण्डार न हो। इन शब्दों के समावेश से उन भाषाओं का शब्द कोश बड़ा है और उनकी व्यंजना- शक्ति में वृद्धि हुई है। संगीत, स्थापत्य तथा चित्रकारी में जितनी उन्नति उस समय हुई आज भी प्रशंसनीय तथा स्तुत्य है। इन सबका भी आधुनिक सांस्कृतिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है।

संस्कृति का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। सभ्यता संस्कृति का ही एक अंग है। यदि संस्कृति साध्य हैं तो सभ्यता साधन। व्यक्ति जिन-जिन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को विकसित रूप प्रदान करता है, उन सबका समावेश हम संस्कृति में करते हैं।

संस्कृति मानव को निरापद और स्थायी ही नहीं प्रत्युत अनेक महत्वपूर्ण उपादानों द्वारा उत्कृष्ट बनाने वाले समस्त व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहारों, कार्यकलापों, विचारों, आस्थाओं, अनुभूतियों तथा आदेशों आदि का एक शक्तिशाली पुञ्ज है। वह मानव का साक्ष्य भी है और अवश्यम्भावी लक्ष्य भी। मानव समष्टि की अनन्त जीवन परम्परा की अविच्छिन्न गति है। वह नित्य विकास की दिशा में एक अविच्छिन्न प्रवाह है। वह उत्तराधिकार में प्राप्त सांस्कृतिक उपलब्धियों को परिष्कृत एवं वैशिष्ट्य प्रदान करती है। वह मानव समाज की ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें समाज के व्यक्ति समभागी होते, उसे सीखते तथा एक पीढ़ी तक क्रमशः प्रेषित करते जाते हैं। मानवता को पल्लवित करने की पद्धति ही संस्कृति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० ईश्वरी प्रसाद- हिस्ट्री ऑफ मीडियावल, इंडिया, संस्करण-1948
2. डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी हिस्ट्री ऑफ मीडियावल इंडिया
3. डॉ० अवध बिहारी पांडेय- पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, संस्करण-1

भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन

डॉ. विनिता भालसे * डॉ. गिरधारीलाल भालसे**

प्रस्तावना - भारत एक विकासशील देश है यहाँ 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवासरत् है जो कृषि व अन्य संसाधनों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ वर्षों तक ग्रामीणों का आर्थिक जीवन स्तर अत्यंत कष्टप्रद रहा। बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी आदि समस्याएं विद्यमान थीं। तत्कालीन सरकार द्वारा पंचवर्षीय व अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों के आर्थिक जीवन को सुधारने का प्रयास किया। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्यों के द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये जिससे ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार देखने को मिला। ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने लगा।

भारत में ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जा रहा है उनमें से निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है।

- 1. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-** ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 20 नवम्बर 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में ग्रामीण फीडर को प्रथक करना कृषि एवं गैर कृषि फीडर को प्रथक करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सक्षम बनाना आदि सम्मिलित है। शासन ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए बजट में 33,453 करोड़ का प्रावधान किया है।
- 2. किसान विकास पत्र योजना-** 18 नवंबर 2014 को वित्त मंत्री द्वारा किसान विकास पत्र को पुनः जारी करने की योजना आरम्भ की। इस योजना के माध्यम से व्यक्ति 1000, 5000, 10,000 तथा 50,000 के किसान पत्रों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं तथा इसमें 100 महिने में निवेश क का धन दुगुना करने की योजना का प्रावधान है।
- 3. राष्ट्रीय उन्नत भारत योजना-** शिक्षा को गाँवों से जोड़ने तथा समावेशी विकास के लिए 11 नवम्बर 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भारतीय प्रबंधक संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), और भारतीय विज्ञान संस्थान व अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ना आदि सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान, आजीविका मिशन, जन-धन योजना, मेक इन इण्डिया एवं डिजिटल इण्डिया जैसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को जोड़ने की योजना है।
- 4. सांसद आदर्श ग्राम योजना-** इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर

2014 को की गई। इस योजना में सांसदों को 5 वर्ष में किसी एक गाँव को विकसित कर आदर्श ग्राम बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाना तथा इसमें गरीबी उन्मूलन सहित विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है जिससे जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश के समस्त किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा किसानों को सुखे के दौरान सिंचाई की चिन्ता से मुक्त कराना शामिल है।

6. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा राज्यों व संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता देकर स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएँ प्रदान कराना शामिल है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1972-73 में इस योजना को प्रारंभ किया। तत्पश्चात वर्ष 1986 में पेयजल तथा इससे संबंधित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की।

7. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना- यह योजना जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित, सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप था। इसमें विभिन्न योजनाओं JRY, NREP, RLEGP को नियोजित कर दिया गया था। सितम्बर, 2001 में 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' को भी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।

8. अन्नपूर्णा योजना- यह योजना निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु प्रारंभ की गई। वर्ष 2002-03 से यह योजना राज्यों को अंतरित कर दी गई।

9. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना- केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ दिया गया था। आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए योजना को मूर्त रूप प्रदान किया।

10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)- इस योजना में केन्द्र सरकार ने नागरिकों को (जिनमें कम से कम एक तिहाई स्त्रियाँ होंगी) 100 दिन के रोजगार (वर्ष में) की गारंटी प्रदान की है। यदि किसी व्यक्ति को योजना के तहत काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश में तथा 1 अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) भारत

तत्पश्चात् काम के बदले अनाज और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया है।

11. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना- इस योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई। इसके तहत उन गांवों का चयन किया जाता है जहाँ पचास प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की हो। अनुसूचित जनजाति वर्ग के इन गांवों में विकास एवं निर्धनता निवारण नियमों के अन्तर्गत 10 लाख की राशि आवंटित की जाती है।

12. जननी सुरक्षा योजना- 12 अप्रैल 2005 को इस योजना को प्रारंभ किया इसमें एनआरएचएम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में मातृ मृत्यु व शिशु-मृत्यु दर में कमी करना प्रमुख उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है।

13. शिक्षा का अधिकार कानून- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 (अ) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसका उद्देश्य 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। इस योजना के द्वारा निजी विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन हेतु 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आरक्षित है।

14. साक्षर भारत मिशन- 8 दिसम्बर 2009 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लिंग असमानता को दूर करना। इसमें 85 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी तथा कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

15. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु वाले खाताधारी पात्र होंगे जिसमें दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति शामिल है। उक्त खाताधारी को 12 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम देकर 2 लाख रु. का सुरक्षा बीमा निश्चित किया गया है।

16. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी खाताधारी पात्र होंगे। इस योजना में बीमित व्यक्ति को 330 प्रति सदस्य प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होता है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित के परिवार को दो लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान है।

17. अटल पेंशन योजना - इसका उद्देश्य वृद्धावस्था को सुरक्षित आय प्रदान करता है। इसमें यदि अभिदाता 18 से 40 वर्ष की आयु में अंशदान करता है तो वह पेंशन का लाभ ले सकता है। पेंशन प्राप्त करने के लिये इस योजना में एक हजार से पांच हजार रुपये के बीच निर्धारित पेंशन मिलने का प्रावधान है।

भारत में ग्रामीण विकास हेतु सरकारों द्वारा वे विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता आदि मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। सरकार द्वारा इन योजनाओं का समय समय पर क्रियान्वयन किया जाना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला है। 'मेक इन इण्डिया', स्वच्छ भारत अभियान व 'डिजिटल इण्डिया' जैसी सरकार की नवीन संकल्पनाओं से जनता की प्रत्यक्ष सक्रियता व सहभागिता देखने को मिली है। निश्चित ही इन योजनाओं का भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा।

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न बाधाएँ- भारत एक कृषि प्रधान देश है। विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखना अत्यधिक चुनौतिपूर्ण कार्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को योजनाओं के माध्यम से दुरुस्त करने में निम्न कठिनाईयां विद्यमान हैं :-

1. शासन की नीतियों/योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाने में कर्मचारियों/अधिकारियों की उदासीनता।
2. शासकीय योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार।
3. ग्रामीण जनता में शिक्षा व जागरूकता की कमी।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में राजनीतिक दखल अंदाजी।
5. योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त संसाधनों की कमी।

सुझाव एवं निष्कर्ष- वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु कई योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व कर्मचारियों/अधिकारियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हुई है किन्तु आज की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि आदि मूलभूत ज्वलंत समस्याएं यथावत् बनी हुई हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों की अनेकों योजनाओं के संचालन के उपरांत भी मूल समस्याओं को दूर न कर पाना चिन्ता का विषय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. करेन्ट अफेयर्स, मासिक पत्रिका, जुलाई - 2015, पृष्ठ-73-74
2. करेन्ट अफेयर्स, मासिक पत्रिका, जुलाई - 2015, पृष्ठ-75
3. 'पंचायिका', पंचायतों की मासिक पत्रिका, अंक-06, जून-2015, पृष्ठ-23

संवेदना के आदिम स्रोतों के बीच नये गीत स्वर का प्रस्फुटन

डॉ. हरि नारायण राम*

प्रस्तावना – स्व० ठाकुर प्रसाद सिंह ने संधाल परगने के आदिवासियों के मन में होने वाले बोध एवं संवेदना को देखा, जाना और सुना है। अगर संधाल परगना में वे न जाते तो उनमें शायद गीत का वह स्वर नहीं फूटता जो फूटा है। जिस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि में क्रोच की पीड़ा को देखकर एक-एक कविता के स्वर फूटे थे। उसी तरह से ठाकुर प्रसाद सिंह ने भी संधाल परगने के आदिवासियों के जीवन की आर्त और करुण कहानियों ने एक नया स्वर भर दिया जो 'वंशी और मादल' के रूप में साहित्य जगत के सामने है। उनकी कविताओं में दो बातें मुख्य हैं, आदिम संवेदना के प्रति उन्मुखता जो लोकायत परम्परा और लोक साहित्य की प्राण रेखा खींचती है और इस संवेदना के सामान्तर एक सहजाद छन्द बोधा उन्होंने कविता की मौलिक अपील को लोकायत छन्द से टूट रहा था और गीति काव्य के भीतर एक जड़ता का उन्मेष संस्कृति के आदिम बीजों के भीतर दूढ़ने की चेष्टा की है। कविता का सम्बन्ध संगीत और छन्द से टूट सा रहा था और गीति काव्य के भीतर एक जड़ता का आवेश आ रहा था। ऐसे में ठाकुर प्रसाद सिंह भारतीय साहित्य की सनातन प्रेरणाभूमि लोकायता के ओर मुड़े। उन्होंने 'वंशी और मादल' की भूमिका में लिखते हैं: - 'मुझे परिस्थितियाँ पूरब के आदिवासियों के देश में ढकेल ले गयी। यूरोप के प्रसिद्ध चित्रकार गोगों को जिस 'आदिम उद्देश' के लिए 'टाहिटी' द्वीप में प्रवास करना पड़ा वह मुझे संधालों के बीच अनायास ही मिल गया।'¹

भारतीय साहित्य में जब-जब जड़ता प्रबल हुई है नये प्राण और ताजगी के लिए साहित्यकार लोकायत परम्परा की ओर मुड़ा है। अतः बात तो कोई नयी नहीं है परन्तु आरोपित एवं बेगाने जीवन दर्शन में अभ्यस्त हिन्दी पाठक को 'वंशी और मादल' को पढ़कर लोकायत परम्परा की आन्तरिक रस क्षमता के प्रति कुछ सुखद आश्चर्य हुआ था। वस्तुतः लोकायत परम्परा की रस धारा तो हमारे अन्दर भी सक्रिय है, छोर से छोर महा नगरीय परिवेश में भी वैसे ही जैसे 'मृग की नाभि माहि कस्तूरी वन-वन फिरत उदासी।' लेकिन आदिवासी अंचल में यह रस धारा स्पष्ट है। आदिवासी इसे आसानी से जान पहचान सकते हैं। 'वंशी और मादल' का प्रकाशन इस तथ्य की प्रामाणिकता को स्पष्ट कर गया। 'वंशी और मादल' (संग्रह) का हिन्दी में आगमन उतनी ही बड़ी घटना है जितना उपन्यास के क्षेत्र में फणीश्वर नाथ 'रेणु' कृत 'मैला आँचल' का प्रकाशन। 'वंशी और मादल' साहित्य में प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि इसमें जीवन को रसवादी दृष्टि से देखने की चेष्टा की गयी है। जीवन की अन्तर्निहित आनन्द धारा एवं जीजिविषा का उद्घाटन इस कृति का उद्देश्य रहा है। तृतीय तार सप्तक के कवि केदार नाथ सिंह जी के गीतों में लोक रस की जो सौंधी सुगन्धि है उसकी मूल प्रेरणा 'वंशी और मादल' से ही ली गयी है।

आदिम संवेदना के वाक्य सरल होते हैं, भाव उलझने से हीन स्पष्ट होते हैं, राग-विराग में तीव्रता होती है और जीवन के प्रति स्वस्थ विमुक्त और अवदमनहीन दृष्टि होती है तथा सबसे बढ़कर यह बात है कि अभिव्यक्ति सादी है। सरलता, स्पष्टता, तीव्रता, अवदमनहीन और सादगी में ही आदिम कविता का अस्तित्व निहित है। आदिम संवेदना संधाली लोकगीतों में वर्तमान है श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने उसे उद्दीपन आलम्बन और कथन भंगिमा के सरलीकरण द्वारा खड़ी बोली में उतारने की चेष्टा की है। संवेदना और भाषा दोनों की दृष्टियों से इन कविताओं का संधाली लोक गीतिका से वही संबंध है जो सूरसागर का 'श्रीमद् भागवत' से है न उससे ज्यादा और न उससे कम। साथ ही ये गीत भी सूरसागर के पदों की तरह मौलिक कृतियाँ हैं।

ठाकुर प्रसाद सिंह की कविताओं की मौलिक 'अपील' अर्थ के प्रति नहीं अपितु अनुभूति के प्रति है। उनकी पूरी की पूरी लड़ाई जड़ता से संघर्ष की है। कवि जड़ता के प्रति पक्ष संवेदना का सिपाही है। 'सेमुएल टेलर कोलरिज' ने कहा है कि काव्यानन्द एक बौद्धिक आनन्द है। 'वंशी और मादल' की कविताएँ जीवन की व्याख्या नहीं अपितु जीवन के अनुभव को प्रस्तुत करती हैं। अनुभव तो एक सरल एवं सामान्य प्रक्रिया है परन्तु यही अनुभव जब विस्तृत हो जाता है और किसी सार्वभौम संवेदना का सतीर्थ हो जाता है। वंशी और मादल सरल अविमिश्रित अविक्ल और सादे अनुभवों की कविता है। इसी से यह बुद्धि प्रधान नहीं, रस प्रधान है। ये कविताएँ रस के सादे और स्वस्थ रूप को व्यक्त करती हैं और इनकी रस परम्परा लोकायत मुखी है। इसका आभासा इनके अन्दर प्रयुक्त चित्रखण्डों, बिम्बों की सूची देखकर हो जाता है। यथा पाँच जोड़ बाँसुरी, आधे अचरा पर सोता हुआ प्रिय, खजूर की घनी पातों वाली राह, तीरविद्ध लोटता हुआ घायल कुरंग, रात्रि अभिसार के पगचिन्ह और उन पग चिन्हों में निथराया हुआ वर्षा जल, साखू के झरते पात और उदास कोयलें के सपनों का उत्तर, लोक चम्पागढ़, उत्तारी हवा में बूँदों की झालर, पिया के देश की दूरी, दस दिन के पाँव और दस दिन की नाव, आँगन में सिन्दूर का पेड़ और काजल की लता, रन बन में एकान्त में बजती बंशी, पिछवाड़े लाल चन्दन का पेड़, तट का घना-घना कूल और अनेक ऐसे बिम्बचित्र हैं जो हमें सीधे-साधे लोक जीवन की रस परम्परा से जोड़ते हैं। इन बिम्बों की सरल, सादी सांकेतिकता को पंक्तियों के ऐसे भावों से बुन दिया गया है कि कहीं भी किसी बनावट, शास्त्रीयता और कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता और सहजता इन कविताओं में इन्हीं बिम्बों की शक्ति के कारण इतनी क्षमता सम्पन्न हो उठी है कि एकाध 'आउटर साइड' बाहरी बिम्ब भी इसकी संगति में आकर अपना बेगानापन छोड़कर अपने जैसे हो गये हैं। नीचे एक कविता का उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें कविता में एक 'बाहरी' बिम्ब यूकिलिप्टस वृक्षों से उठता हुआ झर-झर पवन स्वर

पूरी कविता में ऐसा खप गया है कि गोरा यह कोई देशी बिम्ब हो। देखने में बेगानापन नहीं लगता है।

‘झर-झर-झर
जैसे युक्लिप्टस के स्वर
बरसे बादल बस एक प्रहर
ओरी मेरी चुई रात भर
नन्हें छत्रक दल के ऊपर
इन्द्रदेव तेरा गोरा जल
मेरे द्वार विहँसता सुन्दर
तेरे स्वर के बजते मादल
बादल रात-रात भरा।’²

इस प्रकार की कविता में पंक्तियों का अर्थ स्तर गौरव और मुख्य दोनों होता है। अर्थ की यह झंकार ही मन के अवचेतन में विम्बों और ध्वनियों की प्रति क्रियाओं की शृंखला रचती हुई बहुत दूर तक चली जाती है।

महाकाव्य परम्परा में सारे अंशों, कोणों और आकृतियों को स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती है। कवि सदैव किसी वर्णन को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत करता है। परन्तु गीति काव्यों में, विशेषतः लोकायत गीत काव्य में कवि रक्त स्थान देता चलता है और दो-चार रोमांचक बिन्दुओं और रेखाओं से ही भाव की आकृति प्रस्तुत कर डालता है। रिक्त स्थानों के भीतर एक नयी कथा का विस्तार या आविष्कार हो जाता है जो सतही अर्थ में वर्तमान नहीं है। उदाहरण के लिए:-

‘नदिया का घना-घना कूल है
वंशी से वेंधों मत प्यारे
यह मन तो विधा हुआ फूल है।
नदिया का घना-घना कूल है।’³

प्रथम पंक्ति के अर्थ के सभी द्वितीय, तृतीय पंक्तियों के अर्थ का कोई पूर्वापर संबंध नहीं है। नदिया का घना-घना कूल पूर्व स्मृति की कचोट और वर्तमान का एक प्रलोभन है। जिसमें नायिका का मन संघर्षरत है, दोनों का प्रतीक है। समस्त भाव चित्र में बार-बार दुहराये जाने के कारण इसका रंग तीव्र हो जाता है और इस तीव्रता के प्रतिपक्ष में हैं नायिका के मन के सारे छाया प्रकाश के वे विविध रूप जो अर्थ की ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं।

कुल मिलाकर ठाकुर प्रसाद सिंह कोमल एवं सहज संवेगों के कवि हैं। तीव्र और उत्कठ संवेगों को उन्होंने कविता में नहीं चुना है। आदिम संवेदना भावुकता से अधिक संवेगों पर आश्रित रहती है। इसका प्रेम काव्य भाव महामानव रूमान आदि के द्वारा लिजलिजा या हवाई नहीं हो पाता है। वह सहज और स्वरथ प्रेम है जो नयी वसय के दो स्वस्थ देह और मन वाले प्राणियों में सम्भव होता है। जैसे पाँच जोड़ बांसुरी और कब से तुम गा रहे जैसे प्रसिद्ध कविताओं में भावुकता नहीं संवेग सक्रिय है। आदिम संवेदना का रस बोध ही संवेग प्रधान होता है क्योंकि प्रकृति में संवेग और सहज वृत्ति ही सक्रिय होती है। ठाकुर प्रसाद सिंह की कविता उस अलगाव से अपने को मुक्त कर सहज और आदिम जीवन से जा जुड़ी है। जो जीवन और साहित्य के बीच सभ्यता के विकास के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज आधुनिकता एक प्रकार के अलगाव को रच रही है, तो मार्क्सवाद दूसरे प्रकार का। इस परिवेश में जीवन को सहज रूप से स्वीकारने के लिए ठाकुर प्रसाद सिंह आदिम और लोकायत के प्रति समर्पित हैं। ‘वंशी और मादल’ आदिम और लोकायत के भीतर निहित गीतात्मक शक्ति के आविष्कार का फल हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वंशी और मादल-ठाकुर प्रसाद सिंह पृ० 8
2. वंशी और मादल-ठाकुर प्रसाद सिंह पृ० 22
3. वंशी और मादल-ठाकुर प्रसाद सिंह पृ० 12

पश्चिमी मध्यप्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार झा*

प्रस्तावना - 'पर्यटन रोजगार का एक स्रोत है विशेषतः उन क्षेत्रों के लिए जिनमें रोजगार के वैकल्पिक साधन सीमित हैं।' - प्रैडेलिक

वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी औद्योगिक समृद्धि से मापा जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर आज तक वही देश विकसित हुए हैं। जिन्होंने अपना ध्यान उद्योगों की ओर केन्द्रित रखा है। विगत कुछ दशकों में औद्योगिक वर्ग के अंतर्गत नवीनतम उद्योग का पर्दापण हुआ है जो पर्यटन उद्योग के रूप में सामने आया है।

आज पर्यटन आर्थिक विकास के लिये रीढ़ की हड्डी है। अतः हर प्रकार के आर्थिक विकास के लिये पर्यटन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस उद्योग के माध्यम से हर देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियाँ संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था के पर्यटन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस उद्योग के माध्यम से हर देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियाँ संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था में पर्यटन के आर्थिक मुल्यों का मुल्यांकन इसके राष्ट्रीय आय में किए गए योगदान विदेशी मुद्रा विनिमय, अर्जन, सरकारी राजस्व में योगदान तथा सृजित किए गए रोजगार के अवसरों से किया जा सकता है। इस प्रकार बहुत से देशों में पर्यटन राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तथा उन देशों के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही किसी भी देश के क्षेत्रीय विकास में उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण तत्व होता है। विनियोजन की सम्भावनाओं से हुए औद्योगिक विकास की तुलना में पर्यटन उद्योगों से उत्पन्न विस्तार बहुत अधिक होता है। पर्यटन के माध्यम से उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होता है। जो उन्नत काल से आधुनिकता से कोसों दूर हैं। परंतु उन क्षेत्रों का विकास होना आरंभ हो जाता है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र उभर के सामने आते हैं जो उस राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक स्रोत बन जाते हैं एवं राष्ट्र में अंतर्गत क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखने में सहायक होते हैं। पर्यटन उद्योग का मुख्य आधार विविधता है। इसके तीन मुख्य अंग स्थान, परिवहन एवं आवास हैं। अन्य निर्यात करने वाले उद्योगों की भाँति पर्यटन उद्योग के विकास में अधिकनियोजन की आवश्यकता नहीं है एवं इस उद्योग के विस्तार में तो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ स्वयं अपना स्थान बनाने लगी हैं।

पर्यटन उद्योग के विषय में एक मान्यता यह है कि यह एक चिमनी रहित उद्योग है।

पर्यटन उद्योग का महत्व :

1. पर्यटन का राष्ट्रीय आय में योगदान।
2. पर्यटन विदेशी विनियोग का मुख्य स्रोत।
3. पर्यटन एवं रोजगार

4. पर्यटन उद्योग अन्य उद्योगों के लिए प्रोत्साहन।

पर्यटन उद्योग की परिभाषा: पर्यटन एक आर्थिक क्रिया है, विभिन्न अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरह क्रिय से भी माँग की उत्पत्ति होती है तथा अन्य उद्योगों की बाजार की प्राप्ति होती है। इसलिये पर्यटन के दो मुख्य क्षेत्र वर्गीकृत किये गये हैं।

1. **स्थिर क्षेत्र :** इसके अंतर्गत वे सभी अधिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं क्योंकि माँग को आकर्षित करने एवं परिवहन व्यवस्था से संबंधित है।

2. **अस्थिर क्षेत्र :** इसके अंतर्गत अल्पकालीन प्रवास आवास सुविधा, खान-पान की माँग जैसी क्रियाएँ हैं।

'पर्यटन एक आर्थिक उत्पाद है जो मानवीय माँग की पूर्ति करता है तथा माँग और पूर्ति के उच्चावचन के अनुसार ही इसके बाजार की उत्पत्ति हुई है।'

रैन्ड्रीसीजक्राइड ने कहा है कि **'पर्यटन आधुनिक अर्थशास्त्र का चतुर्थ आयम है।'**

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय से संबंधित लोगों की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना। साथ ही अध्ययन क्षेत्र से पर्यटन व्यवसायों से संबंधित समस्याओं को जानना एवं समाधान हेतु उपाय खोजना।

अध्ययन क्षेत्र - पश्चिमी मध्यप्रदेश को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है। प्रशासकीय आधार पर यह इंदौर, उज्जैन संभाग के 13 जिलों को लिए हुए है। और इन जिलों में जो भी पर्यटन केन्द्र हैं उनका अध्ययन किया गया है।

अध्ययन विधि - अध्ययन प्राथमिक आकड़ों पर आधारित हैं व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिस हेतु पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायों का सर्वेक्षण किया गया जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जाना जा सके।

पर्यटन केन्द्र पर बाजार व्यवसाय की स्थिति - पर्यटन केन्द्र पर स्थित बाजार न केवल आगन्तुक पर्यटकों की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है साथ ही यह बाजार पर्यटन केन्द्र के आसपास रह रहे स्थाई निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। अतः बाजार का स्वरूप इसमें क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनकी उपलब्धता पर्यटन उद्योग की अधोसंरचना का अभिन्न अंग है। पर्यटन केन्द्र पर स्थित बाजार अपनी सेवाएँ न केवल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपितु स्थानिक लोगों के लिए असंख्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं।

पश्चिमी मध्यप्रदेश के पर्यटन केन्द्रों पर बाजार व्यवसाय की स्थिति का मूल्यांकन करे तो केन्द्र में स्थित वृहद एवं विकसित नगर इंदौर है जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ अपने उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा के लिये देश विदेश में जाना जाता है। सुविधाओं की दृष्टि से इंदौर नगर में बेहतर से बेहतर आवास व्यवस्था तीन एवं चार पाँच सितारा होटल, परिवहन जो हवाई, सड़क, रेल मार्ग तीनों ही सुविधा उपलब्ध है एवं खानपान के लिये कई साधारण से उच्च स्तर के रेस्त्रा एवं होटल है। इसके अलावा निकट ही देवास एवं उज्जैन प्रथम श्रेणी के नगर है जो आवश्यकता अनुसार पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराते है। किंतु अध्ययन क्षेत्र के अन्य पर्यटन केन्द्रों के बाजार व्यवसाय की स्थिति इसके ठीक-ठीक विपरीत है कारण महेश्वर, ओंकारेश्वर, माण्डू, धार, झाबुआ सभी स्थलों को मुख्य थोक बाजार एवं केन्द्र स्थल इंदौर ही है। अपितु स्थानिक तौर पर दैनिक जरूरतों की सामग्री साग-सब्जी, किराना, उपहार सामग्री, फूल-प्रसाद (धार्मिक केन्द्र पर) परिवहन, आवास एवं खान-पान वस्त्र आभूषण चिकित्सा एवं शिक्षा के साथ-साथ संचार तथा बैंक सेवा आदि उपलब्ध है।

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का सामाजिक-आर्थिक स्तर - पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगो का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन हेतु अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी मध्यप्रदेश के अंतर्गत आने वाले समस्त पर्यटन केन्द्रों पर निर्देशित विधि द्वारा समग्र रूप से सर्वेक्षण कार्य किया गया। यह व्यवसाय दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं से लेकर परिवहन आवास, खान-पान एवं मनोरंजन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन इन व्यवसायियों की शैक्षणिक योग्यता, परिवार का व्यवसायिक स्तर, व्यवसाय का प्रकार एवं मासिक आमदनी आदि में उपलब्ध आँकड़ों के माध्यम से किया गया है। व्यवसायों को किसी एक विशेष पर्यटन केन्द्र से न लेते हुए संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश को एक साथ किया गया है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार व्यवसाय के प्रकार में

1. आवास	-	5.6 प्रतिशत
2. खानपान	-	23.6 प्रतिशत
3. परिवहन	-	14.2 प्रतिशत
4. मनोरंजन	-	11.00 प्रतिशत
5. पुजा अर्चना कर्मकाण्ड	-	6.3 प्रतिशत
6. दैनिक जरूरत	-	39.3 प्रतिशत

अधिकांश दैनिक जरूरत हेतु व्यवसाय में लगे हुए थे।

व्यवसाय में लगे अधिकांश व्यवसायी की आयु 30 से 50 वर्ष के मध्य पाया गया जिसमें 95 प्रतिशत पुरुष और 5 प्रतिशत स्त्री थी। शैक्षणिक स्तर को देखे तो माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक 38.1 प्रतिशत एवं स्नातक 21 प्रतिशत व्यवसायी थे निरक्षर व्यवसायी भी 10 प्रतिशत पाये गये। व्यवसाय में लगे लोगो ने परिजनो का व्यवसायिक स्तर में आकड़ो का अवलोकन करने पर पता चला कि 45 प्रतिशत तो व्यापार में ही लगे हुए थे अपितु कृषि कार्य ये 15.4 प्रतिशत एवं 6.1 प्रतिशत शासकीय-अर्धशासकीय व अशासकीय सेवा में पाये गये। व्यवसाय स्थल 77.2 प्रतिशत स्वयं का भवन, 22.8 प्रतिशत किराये का पाया गया।

व्यवसाय में लगे परिजनो की संख्या अधिकांश घर से 2 से 4 सदस्य अपने पैतृक व्यवसाय में जुड़े पाये गये। नगरो में संख्या बड़े होटलों और कारोबारियों को छोड़ दे तो 2 से 4 कर्मचारियों को औसत स्थानों पर कार्य करते पाया गया।

व्यवसाय से प्राप्त आय - व्यवसायियों से जब उनके आये के संदर्भ में पूछा

गया तो अधिकतर व्यवसायियों ने तो स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जिन्होंने उत्तर दिया उनमें फुटकर विक्रेता ने 5000 से 25000 व बड़े व्यवसायियों ने 25000 से लाखो तक कि आमदनी बताई।

अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं - पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण अंग पर्यटन केन्द्र पर स्थित बाजार होता है। पर्यटकों की अधिकांश आवश्यकताएं इन्हीं बाजारों से पूरी होती है। आर्थिक संदर्भ में दृष्टि करे तो पर्यटन माँग उत्पन्न करता है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में पर्यटन के द्वारा एक वृहद बाजार की स्थापना हो जाती है। जबकि कुछ क्षेत्रों में अनुपुरक बाजार की। सर्वेक्षण पर आधारित वर्तमान अध्ययन में पर्यटन बाजार की गतिविधियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ प्रकाश में आयी है। जो निम्नानुसार है:-

1. पर्यटन की अवधि का कम होना।
2. आवागमन के साधनों का सीमित होना।
3. पर्यटकों की संख्या कम होना।
4. नये बाजार हेतु स्थान की समस्या।
5. बिचौलियों एवं अभिकर्ता की समस्या।
6. व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध न होना।
7. कर भुगतान संबंधित समस्या।

निष्कर्ष एवं सुझाव - पश्चिमी मध्यप्रदेश में पर्यटन से संबंधित व्यवसाय कि अपार संभावनाएँ है। साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय में अनेक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। चुकि अधिकांश पर्यटन स्थल दुरस्थ क्षेत्र में होने के चलते पर्यटन स्थल पर लघु स्तर का बाजार तथा सेवाएँ विकसित होना अनिवार्य है। जिससे पर्यटकों का आगमन उस स्थान को सभी ऐसी स्थितियों में इन स्थलों पर रोजगार की अपार संभावनाएँ पर्यटन व्यवसाय प्रदान कर सकता है।

वर्तमान अध्ययन से सर्वेक्षित व्यवसायों का सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य या मिली जुली प्रवृत्ति प्राप्त हुई जिससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि इन क्षेत्रों में रोजगार कि तो अपार संभावना है परंतु शासन प्रशासन का समुचित ध्यान न देना इन क्षेत्रों में विकास के मार्ग में बाधा है। इन व्यवसायों की जो समस्याएँ है जिनका उल्लेख किया जा चुका है। उस समस्या का निराकरण करते हुए व्यवसाय बड़ाने हेतु उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, छोटे व्यवसायों को कर में छुट, बिचौलियों से मुक्ति एवं सुरक्षा के साथ-साथ उन स्थानों पर जहाँ एकदम सघन बाजार है वहाँ व्यवसाय स्थल हेतु उचित स्थान बाजार हेतु उपलब्ध करवाना मुख्य सुझाव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. A.A. Abbasi % Geographical Basis of Tourism Pangea Publication, Indore 1997
2. अमेटा पंकज : मालवाके परमार शासको की राजस्व व्यवस्था, ऐकेडमी कोर, इंडियन न्यूमोसे मेस्टिम एंड सिब्लमोग्राफी, इंदौर, 2001
3. भट्ट शशिकांत : माण्डवगढ़ कला व स्थापत्य, भारतीय मुद्रा व मुद्रिता अकादमी, इंदौर, 2003
4. गुप्ता कमल : इंदौर, ओंकारेश्वर महेश्वर, मांडू दर्शन, प्राची पब्लिकेशन, इंदौर
5. गुप्ता पापियादास : पर्यटन एक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ आकदमि, 2004
6. कपूर विमल कुमार : पर्यटन भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन, 1997
7. मुंशी अशोक कुमार : माण्डू दर्शिका, भैरव प्रकाशन, धार, 2001

8. रावत ताज :पर्यटन विकास के विविध आयाम्। तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली , 2002
9. शुकल अजीतकुमार : उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग तिवारी पब्लिकेशन शाहदरा दिल्ली, 1991
10. तिवारी विनय कुमार : दर्शनीय मध्य प्रदेश, सलिल पब्लिशर्स भोपाल
11. वर्मा राजेन्द्र : मध्यप्रदेश जिला गजेटियर जिला धार प्रथम संस्करण, 1994
12. समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, नईदुनियाँ

अवस्थापनात्मक तत्व एवं ग्रामीण विकास : विकास खण्ड कन्नौज का प्रतीकत्माक अध्ययन

डॉ. विकल कुमार *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के लिए मात्र कृषि ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि अवस्थापनात्मक कारकों जैसे औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण, नगरीकरण, यंत्रीकरण, विद्युतीकरण आदि ऐसे अनेकों तत्व संसाधन ग्रामीण विकास के लिए अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर बढ़ते जनभार एवं उसकी सीमितताओं का प्रतिफल ही है कि लोग अन्य अवस्थापनात्मक तत्वों की ओर अवसर ढूढ़ रहे हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में सांस्कृतिक एवं अवस्थापनात्मक तत्वों की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है।

भौगोलिक पृष्ठभूमि – उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर मण्डल के कन्नौज जनपद में स्थित कन्नौज विकासखण्ड अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विश्वविख्यात है। यह कन्नौज जनपद का सबसे पूर्वी भाग है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 290.22 वर्ग कि.मी. है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 275.72 वर्ग किमी. तथा नगरीय क्षेत्रफल 14.5% है।

विकासखण्ड कन्नौज गंगा के मैदानी भाग में अवस्थित है जिसका धरातल प्रायः समतल है तथा ढाल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ है जो भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादक क्षेत्र में आता है इसके अलावा यहाँ की फूलों की खेती भी प्रसिद्ध है जिसपर यहाँ का इत्र उद्योग फल-फूल रहा है।

विकासखण्ड कन्नौज की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय मानसूनी है। फलतः अपजाऊ मिट्टी तथा अच्छी वर्षा के कारण यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। कन्नौज जिले के उत्तर तथा उत्तर-पूर्व दिशा की ओर गंगा नदी प्रवाहित होती है इसके अलावा तालाब, नहर तथा कुएँ भी हैं जो कृषि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकासखण्ड कन्नौज की कुल जनसंख्या 290242 (2011 की जनगणना के अनुसार) है जो जिले की 17.52% है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 205380 व्यक्ति जबकि नगरीय जनसंख्या 84862 है यहाँ कुल नगरीकरण 29.24% है। यहाँ की साक्षरता प्रतिशतता 78.86% (72613 व्यक्ति) है जिसमें स्त्री साक्षरता 61.58% जबकि पुरुष साक्षरता 70.83% है।

सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों का विकास – विकासखण्ड कन्नौज में ग्रामीण विकास हेतु सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक अवस्थापनात्मक कारकों के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर किसानों अथवा ग्रामीणों के लिए संस्थागत सुविधाओं का वर्णन विश्लेषण एवं समुचित विकास हेतु लघु स्तरीय नियोजन अति आवश्यक है। इसके लिए उत्तम बीज,

जैव रासायनिक निवेश, कृषि यंत्रों की मरम्मत की सुविधा, कृषि बाजार, हाट, वित्तीय एवं संचार सुविधाएं, शीत गृह भण्डार- एवं भण्डारण, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, शैक्षिक संस्थान चिकित्सालय आदि सुविधाओं का सम्यक अध्ययन एवं नियोजन करने का प्रयास किया गया है। अतः यहाँ के ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु अवस्थापनात्मक कारकों का ग्रामीण विकास पर प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास किया गया है, जो निम्न हैं-

सिंचाई – अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य को सम्पन्न कराने में सिंचाई अति महत्वपूर्ण कार्य है। सिंचाई हेतु प्रमुख अवस्थापना तत्वों में नलकूप तथा तालाब, हैं। छोटे स्तर पर सिंचाई के लिए नियोजित रूप में तालाबों का निर्माण भी किया जा रहा है जहाँ जल का संचय करके सिंचाई कार्य किया जा सकता है। सिंचाई में निजी नलकूपों का योगदान सर्वाधिक है (91.82%) जबकि राजकीय नलकूपों का योगदान मात्र 8.17% है, बाकी 0.02% कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित है।

यातायात एवं संचार – परिवहन स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया का एक चरण है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देश भर में फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है। जोकि परिवहन के साधनों द्वारा ही सम्भव है। अध्ययन क्षेत्र की वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य रूप से सड़क एवं रेल ही है। जबकि जलमार्ग नगण्य है।

(1) सड़क परिवहन – सड़कें अध्ययन क्षेत्र का सबसे प्राचीन परिवहन मार्ग हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नदियों पर पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण तथा उनको पक्का करने की गति में तीव्रता आयी, जिससे क्षेत्र में सड़कों का जाल सा बिछ गया है। यह विकासखण्ड जनपद का सदर विकासखण्ड है, जहाँ अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख नगरीय केन्द्र कन्नौज स्थित है, जिसे जनपद मुख्यालय होने का सौभाग्य प्राप्त है। विविध प्रशासनिक, शैक्षणिक, वाणिज्यिक कार्यों की मांग व आवश्यकता की पूर्ति हेतु यहाँ सड़कों का विकास अधिक हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग तथा अन्य सड़कें भी हैं।

तालिका- 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

विकासखण्ड कन्नौज के अन्तर्गत कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 321 किमी है जिसमें 318 किमी लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। इसके अलावा खड़न्जा का निर्माण भी किया गया है जिनके माध्यम से गाँवों से गाँवों को तथा छोटे गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। कन्नौज प्रादेशिक राजमार्ग नं0- 22 (जी0टी0 रोड) द्वारा कानपुर से तथा प्रादेशिक राजमार्ग नं0-21 द्वारा इटावा-हरदोई से जुड़ा है। इस विकासखण्ड में एक जनपद

* असि. प्रोफेसर (भूगोल) आदर्श कन्या स्ना0 महाविद्यालय, जियापुर बरूआ जलांकी, टाण्डा, अम्बेडकरनगर (उ.प्र.) भारत

मुख्यालय सहित कुल 7 बस स्टॉप है।

(2) रेल परिवहन - यहाँ रेलमार्ग का अभाव है जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग में एक मात्र रेलवे लाइन है जो कि फर्रुखाबाद से कानपुर को जाती है जो सदर विकासखण्ड कन्नौज से होकर गुजरती है इसकी कुल लम्बाई 4.3 किमी है। इस विकासखण्ड में एक रेलवे स्टेशन कन्नौज तथा एक हॉल्ट स्टेशन है।

(3) संचार - संदेश, विचार एवं सूचनाओं इत्यादि के आदान-प्रदान को संचार कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन की तरह संचार भी आवश्यक है जो सार्वजनिक संचार माध्यम तथा जनसंचार माध्यम के दो रूपों में होता है। सार्वजनिक संचार माध्यम के अन्तर्गत डाक, तार तथा दूरभाष आदि आते हैं। ये सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के साथ उद्योगों को बढ़ावा देते हैं जबकि जनसंचार के अन्तर्गत रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ तथा सिनेमाघर आते हैं। जो सूचना, ज्ञान, विचारों, भावनाओं तथा शिल्प आदि का संकेत, चिन्हों, शब्दों, चित्रों तथा आरेखों द्वारा प्रभावशाली प्रसारण करते हैं। देश में प्रकाशित समस्त हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार पत्र यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

विकासखण्ड कन्नौज में वर्ष 2012-13 में डाकघरों की संख्या 21 है जिसमें 15 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6 नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जबकि 1 तारघर कन्नौज मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ 45 पीओसीओ तथा 3586 टेलीफोन सेवाएं क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

खाद्यान्न आपूर्ति - विकास खण्ड कन्नौज में 73 ग्राम पंचायतों में कुल 77 सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। जिनके वितरण प्रतिरूप से ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक दुकान उपलब्ध है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को सस्ते दामों पर खाद्य एवं अखाद्य पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं।

शिक्षा - शिक्षा जनसंख्या की महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता होती है जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं तकनीकी विकास में सर्वाधिक पड़ता है। यह मानव को महामानव की श्रेणी में प्रतिस्थापित करने का कार्य करते हुए उसे उचित अनुचित का निर्णय करने की पूर्ण क्षमता प्रदान करती है। सम्पूर्ण विश्व इसकी सार्थकता को समझकर अपनी मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन लाने में संलग्न है। शैक्षणिक विकास हेतु सरकारी नीतियों, सर्वशिक्षा अभियान आदि के परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। 31 मार्च 2013 में प्राथमिक विद्यालयों में मिश्रित (बालक और बालिका) की संख्या 129, उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक वर्ग) के 35 एवं (बालिका वर्ग) के 6, माध्यमिक विद्यालय (बालक वर्ग) 4 एवं (बालिका वर्ग) के 1 विद्यालय, स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय 5 है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या 1 है।

तालिका-2 : विकासखण्ड: कन्नौज शिक्षण संस्थान- 2013

क्र.	शिक्षण संस्थान	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	129
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक वर्ग)	35
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका वर्ग)	6
4	माध्यमिक विद्यालय (बालक वर्ग)	4
5	माध्यमिक विद्यालय (बालिका वर्ग)	1
6	स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय	5
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1

स्वास्थ्य - शासन का यह दृष्टिकोण है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएँ निकटतम स्थान पर सुनिश्चित करायी जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद की केन्द्रीय नीति के अनुसार राष्ट्रीय विकास के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य परिश्रमशील होना अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के नागरिकों को शासन की ओर से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

स्वास्थ्य - विकासखण्ड कन्नौज जिला मुख्यालय होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित है यहाँ 7 एलोपैथिक चिकित्सालय, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है जो केवल नगरीय क्षेत्र में ही हैं, जबकि 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में एवं 1 नगरीय क्षेत्र में है। इसके अलावा 3 आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थित है जो केवल विकासखण्ड को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जनपद को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

अतः अवस्थापनात्मक तत्व किसी देश या प्रदेश के अर्थव्यवस्था में विकास हेतु अनिवार्य दशायें प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास हेतु आवश्यक तत्वों जैसे- आर्थिक, सामाजिक संस्थागत व प्रशासनिक इत्यादि को अवस्थापनात्मक तत्व कहा जाता है, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उत्पादक तत्वों से न होकर किसी भी प्रकार के उत्पादन हेतु वांछित दशाओं से होता है, इसलिए अवस्थापनात्मक तत्वों के निर्माण एवं विकास का कार्य राज्य सरकार के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उत्तर भारत भूगोल पत्रिका Vol.43 No.4, Dec.2013
2. Parekh, Bhalchandra Sadashiva: India: Economic Geography NCERT, New Delhi P. 151
3. कुरुक्षेत्र- अगस्त 2018
4. सांख्यिकी पत्रिका कन्नौज वर्ष - 2013
5. सामाजार्थिक विकास पत्रिका, कन्नौज वर्ष - 2013

तालिका- 1 - विकासखण्ड कन्नौज : पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0) - 2011-12

पक्की सड़कों की लम्बाई		सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या (जनसंख्यावार)		
कुल लम्बाई (किमी)	लोक निर्माण विभाग	1000 से कम वाले ग्राम	1000 से 1499 वाले ग्राम	1500 से अधिक वाले ग्राम
321	318	43	28	38

ग्रामीण समाज में जजमान और कामिन जातियों के मध्य सम्बन्धों में कटुता

डॉ. ऋतु श्रीवास्तव*

प्रस्तावना - अन्तर्जातीय सम्बन्ध जैसे विवाह, खान-पान व उच्चता-निम्नता के नियमों से ऐसा पता चलता है कि प्रत्येक जाति के लोगों के सम्बन्ध अपनी जाति तक ही सीमित हैं, किन्तु वास्तविका यह है कि प्रत्येक जाति दूसरी जाति पर निर्भर है। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। एक जाति अपनी सेवायें अन्य जातियों को और बदले में अन्य जातियों से भी अपने लिए सेवाएँ जुटाती हैं। जातियों की पारस्परिक निर्भरता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि अनेक रूपों में देखी जा सकती हैं। प्रत्येक जाति संस्तरण में अपनी स्थिति के आधार पर दूसरी जातियों के प्रति भूमिका निभाती है।

भारतीय ग्रामों में जातियों की पारस्परिक निर्भरता को विभिन्न आधारों पर देखा जा सकता है जैसे:- आर्थिक आधार पर अन्तर्जातीय संबंध, इसी प्रकार जाति संस्तरण, धार्मिक कृत्य, प्रभुजाति के आधारों पर भी अन्तर्जातीय सम्बन्ध तय होते हैं।

भारतीय ग्रामीण समाज में प्रारम्भिक समय में अन्तर्जातीय सम्बन्धों की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के कार्यात्मक रूप से विभिन्न जातियों के बीच पृथक्ता की एक दीवार खड़ी कर देना। किन्तु वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज की स्थिति यह है कि गांव में अन्तर्जातीय सम्बन्धों के परम्परागत स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं इसका मुख्य कारण औद्योगीकरण और शिक्षा का तेजी से बढ़ता हुआ प्रचार प्रसार जो निम्न जातियों तथा ग्रामीण समाजों में बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न जातियों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा है। जिससे सेवाओं की परम्परागत प्रणाली का विघटन होने लगा है।

वर्तमान समय में अन्तर्जातीय सम्बन्धों के स्वरूप न तो पूर्णतया विशुद्ध और मौलिक रह गये हैं तथा न ही इसके अन्तर्गत बाध्यता का ही गुण रह गया है। गांव में अब अन्तर्जातीय सम्बन्धों के अवशेष केवल आंशिक रूप से जजमानी व्यवस्था के रूप में ही विद्यमान रह गये हैं।

लुईड्यूमा (1961) ने अपनी पुस्तक 'होमोहाइरार्किक्स' में अन्तर्जातीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में पवित्रता और अपवित्रता का उल्लेख किया है। इन्होंने पवित्रता और अपवित्रता को परस्पर विरोधी धारणाएं स्वीकार करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज में जातीय संस्तरण का एक प्रमुख आधार मानते हैं। ड्यूमा कहते हैं कि अपवित्रता से पवित्र होने का सर्वाधिक प्रचलित उपाय स्नान है।

ऑस्कर लेविस (1954) ने दिल्ली के पास रामपुर गांव की जजमानी प्रथा का अध्ययन किया और पाया कि यहां की जातियां परम्परागत रूप से जजमानी व्यवस्था द्वारा परस्पर सम्बन्धित है। विवाह, जन्म, मृत्यु तथा

विभिन्न उत्सवों के अवसर पर प्रजा जातियों की सेवा करती है और यजमान उन्हें विभिन्न प्रकार से भुगतान करता है। किन्तु वर्तमान समय में दिया जाने वाला पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं होता था। धीरे-धीरे विभिन्न जातियों के मध्य पाये जाने वाला सम्बन्ध समाप्त होता गया।

W.H. वाइजर (1957) ने करीमपुर गांव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि नाई व नाई की पत्नी अपने यजमानों की साल भर सेवा करती थीं और बदले में यजमान उन्हें कुछ पैसा, वस्त्र भी देते थे। जिससे उनकी जीविका नहीं चल पाती थी। पिछले कुछ वर्षों से नाईयों ने पारिश्रमिक की अपर्याप्ता के कारण यजमानों की सेवा करना छोड़ दिया। जिससे कामिन (प्रजा) जातियों और यजमानों के मध्य सम्बन्धों में शिथिलता आ गयी है।

मैक्लिम मैरयट (1952) इन्होंने उत्तर-प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी का सर्वेक्षण करके एक लेख (Economic Weekly) में प्रस्तुत किया है। इन्होंने किशनगढ़ी गांव की समाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए बताया कि आज ग्रामीण जातियों में पद और व्यक्तियों में इज्जत के लिए तीव्र प्रतिद्वन्द्विता दिखाई देने लगी है, जिससे विभिन्न जातियों के मध्य परम्परागत सम्बन्धों के स्वरूप तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तथा जजमानी व्यवस्था टूटती जा रही है।

योगेश अटल (1989) ने मध्यप्रदेश के सागर जनपद के खीरिया नामक गांव के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों और महात्मा गांधी की कृपा दृष्टि के कारण स्वतंत्र भारत की अस्पृश्य जातियां अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान और तकलीफों के निराकरण के लिए संगठित हुई हैं, उनमें चेतना और जागरूकता आयी है।

जे.बी. चिताम्बर (1975) ने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि आज के गांव में यन्त्रीकरण, आधुनिक उर्वरक के प्रयोग, नवीनतम उन्नत बीज सिंचाई के समुचित साधन आदि के कारण गांव के पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो गयी है तथा वे प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए उच्च जातियों के समान्तर आना चाहते हैं, किन्तु उच्च जाति के लोग न तो सम्मान देते हैं, और न ही उनके बदले हुए अस्तित्व की पहचान देना चाहते हैं।

इसी के फलस्वरूप उच्च और पिछड़ी जातियों के मध्य तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिस कारण विभिन्न जातियों के मध्य पाये जाने वाले अन्तः पारस्परिक सम्बन्धों में कटुता आ गयी है।

वर्तमान समय में जजमानी प्रथा टूट रही है और उसके स्थान पर मौद्रिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। मुद्रा के प्रचलन, शिक्षा के प्रसार, यातायात के साधनों

* प्रवक्ता (समाजशास्त्र) आर्दश कन्या पी0जी0 कालेज, जियापुर बरुआ जलांकी टाण्डा, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) भारत

का विकास, औद्योगीकरण, नगरीकरण, परम्परागत मूल्यों में कमी, निम्न जातियों को दी जाने वाली सुविधाएं, समानता की भावना और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण जातियों के परम्परागत कार्यों और सम्बन्धों में परिवर्तन आ रहे हैं। व्यवसाय अब परम्परागत नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। जजमानों के प्रति कामिन जातियों की श्रद्धा भी समाप्त हुई है और अब इनके सम्बन्धों में प्रगाढ़ता नहीं रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Lewis Oscar : Caste And the Jajmani System

2. Lewis Oscar : Village life in Northern India (1958)
3. Lewis Dumont : Cast Race and Stratification: Reflection of a Social Arthropologist Contribution to Indian sociology (1961)
4. Marriot Mackim : Western medicine in a village of north India, Health, Culture and Community
5. Wiser, W.H.(1957) : The Hindu Jajmani System Lucknow Publishing House, P.187

स्वतंत्रतापूर्व जनजातियों में प्रचलित सामाजिक अपराध के प्रमुख कारणों का एक ऐतिहासिक अध्ययन (आलीराजपुर रियासत के विशेष संदर्भ में)

डॉ. भूरबाई बघेल *

शोध सारांश - अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों में एक प्रमुख समस्या अपराध प्रवृत्ति की है जो कि अत्यंत गंभीर है जिसके कारण क्षेत्र के विकास में अनेक बाधाएँ आयी हैं। अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों की मूल आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा, मकान का हल स्वतंत्रता के 60 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी न होने से इन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन ही अपराध प्रवृत्ति का मुख्य कारण रहा है जिससे ये अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर प्रेरित हुए।

यही कारण है कि यह समाज अपनी विशिष्ट समाज की व्यवस्था, धर्म और धार्मिक अंधविश्वासों तथा आर्थिक संरचनाओं के कारण आधुनिक समाज में काफी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि क्षेत्रीय व भौगोलिक विषमता के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में अपने को तथा परिवार को जीवित रखने के लिए अपराध जैसी सामाजिक बुराई को भी करना धर्म व कर्म समझते हैं।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश के सुदूर पश्चिम में आलीराजपुर-गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित और अपेक्षित पिछड़ा एवं जनजाति बहुल, रियासत मानी जाती है। पूरा क्षेत्र अपराधिक गतिविधियों से त्रस्त है। परंतु अपराध का मुख्य केन्द्र आलीराजपुर रियासत व उनके परगने चांदपुर, नानपुर, उमराली, सोंडवा कट्टीवाड़ा, भाभरा आदि है। मध्यप्रदेश के आलीराजपुर रियासत अपराध की दृष्टि से एशिया में प्रसिद्ध है। अपराधों के मामलों में काफी कुख्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात है।

जनजाति बाहुल्य आलीराजपुर रियासत अन्य तमाम क्षेत्रों की भाँति अपराधी क्षेत्रों में परंपरावादी रहा है। यहाँ दीर्घ काल से ही चोरी, लूट डकैती जैसे - अपराध होते रहे हैं। अपराधी झुंड (समूह) के रूप में प्रायः पैदल आते हैं। और अपराध करके अपने क्षेत्र में आपस लौट जाते हैं।

क्षेत्र की जनजातियों में अपराध कारित किये जाने वाली घटनाओं की समस्याओं के समाधान के जो प्रयत्न हुए हैं। वे अधिकांशतः राजनैतिक एवं भावनापूर्ण ही रहे हैं। क्षेत्र की जनजातियों में अपराध प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक विघटन, प्राकृतिक विशेषताएँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक, अंधविश्वास, मान्यताएँ, जो इन्हें बदला लेने अपराध कृत्य में सहभागी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।

अध्ययन क्षेत्र में पाये जाने वाले अपराध के प्रमुख कारण :-

कृषि उपज पर दुष्प्रभाव - कृषि की रियासत की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। कृषि की सफलता एवं असफलता से यहाँ के लोगों के आचरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

रियासत में सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अभाव होने के कारण कृषि वर्षा पर निर्भर है। जिस वर्ष मानसून की अनुकूलता के कारण पर्याप्त वर्षा हो जाती है, तो फसल अच्छी प्राप्त होती है। लोगों की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं। यह पाया गया है कि सफल कृषि में अपराधिक घटनाएँ बहुत कम संख्या में होती हैं। जब कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण अथवा

फसलों में घातक बीमारी लग जाने से कृषि उपज नहीं के बराबर प्राप्त होती है। तब चोरी एवं लूट की वारदातों में आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि हो जाती है। अपने साक्षात्कार में वरिष्ठ अधिवक्ता **श्री गिरधारीलाल वाणी** ने बताया कि आलीराजपुर रियासत में अपराध एवं वर्षा में गहरा ताल्लुक है। जैसे-जैसे मानसून आने में विलम्ब हो जाता है वैसे-वैसे चोरी, लूट, डकैती, की वारदातें बढ़ती चली जाती है।

रोजगार के सीमित अवसर - वर्तमान तकनीकी युग में सम्मानजनक रोजगार पाने के लिए उच्च शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट के कारण देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। शिक्षित लोगों को ही रोजगार प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। देश में अनेक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। रोजगार के बहुत ही सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं - **प्रथम** - उन्हें बहुत कम आय प्राप्त होती है। जिनकी सहायता से भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, अतः वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराधों का सहारा लेने लगते हैं।

द्वितीय - लोग उन्हें हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें वांछित सम्मान नहीं मिलता है। इससे उन लोगों में समाज के प्रति लगाव खत्म हो जाता है बल्कि उनमें कटुता बढ़ती जाती है और वे असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

अंधविश्वास - जिन्हें न तो तर्कों एवं तथ्यों के द्वारा प्रमाणित किया जा सके और न ही विवेक बुद्धि स्वीकार करें, उन्हें अंधविश्वास की संज्ञा दी जाती है, जैसे भूत, प्रेत, डाकन, चुड़ैल, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र आदि। भारत में वैसे तो अंधविश्वासों का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, किंतु आलीराजपुर रियासत में शिक्षित एवं जनजाति बहुत क्षेत्रों में इनका प्रकोप अत्यधिक है। इस क्षेत्र में अंधविश्वासों के चलते अनेक अपराध हो जाते हैं। व्यवहार न्यायधीन (वर्ग-1) **श्री दीपक कुमार त्रिपाठी** के शब्दों में 'अंधविश्वासी

* (इतिहास) स्कूल ऑफ सोशल साइंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

हाने के कारण अंधविश्वासी किसी भी स्त्री को डाकनी (चुडेल) समझकर उसकी हत्या कर देते हैं।'

'**डाकनी**' को एक प्रकार से '**जादूगरनी**' कह सकते हैं। इसके बारे में आदिवासियों की मान्यता है कि यह लोगों को बीमार बनाकर या अन्य तरीकों से मारती हैं। सभी लोग भयभीत रहते हैं तथा घृणा करते हैं।

ताड़ के वृक्षों से प्राकृतिक नशा प्रवृत्ति - यह सत्य है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में शराब व ताड़ी का आमचलन है तथा फैशन की वस्तु बन गई है। ताड़ी का नशा प्राकृतिक कहलाता है क्योंकि यह एक ताड़ के पेड़ से सीधे प्राप्त होता है। उच्च शिक्षित एवं उचित सोसायटी के लोग भी खुलेआम इसका सेवन करते हैं। दोनों में एक फर्क यह है कि शिक्षितों एवं अमीरों के लिए एक व्यसन है। नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले घटकों में अशिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। नशाखोरी अंततः अपराध की जननी बनती है। आलीराजपुर रियासत के समस्त परगनों में होने वाले अपराधों के लिए नशीले पदार्थ।

अशिक्षा - मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा की दृष्टि से आलीराजपुर रियासत मध्यप्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। आलीराजपुर रियासत के नगरीय क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति अत्यंत दयनीय विषय है। पुरुष साक्षरता नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के दोगुनी से अधिक है। महिला साक्षरता नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। यह भी कारण है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में नृशंस हत्याओं के काण्ड अधिक घटित होते हैं।

शिक्षा मनुष्य के भले बुरे का निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न करती है तथा उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत इंसान बनाती है। आज के युग में अशिक्षा के एक अभिशाप है, इसमें आलीराजपुर रियासत का आदिवासी समुदाय बुरी तरह ग्रस्त है। अशिक्षा अपराध का सीधा संबंध है।

प्रकृति एवं कानून का भय न होना - अशिक्षित व्यक्ति को प्रकृति व कानून की जानकारी नहीं होती है। वह यह नहीं जान पाता है कि कौन से कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और कौन से कृत्य अपराध की श्रेणी से बाहर है। फलतः यह कार्य की प्रगति एवं परिणाम नहीं जान पाता है। तथा अनजाने में अपराध कर बैठता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता **श्री त्रिलोकचन्द्र जैन - का कथन है** - कि 'अशिक्षा के कारण आदिवासियों में विवेक एवं तर्क बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है जिससे वे भला-बुरा नहीं सोच पाते हैं तथा गलत कदम उठा लेते हैं।'

मद्यपान - यह सर्वमान्य तथ्य है कि मद्यपान तथा सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। मद्यपान के मामले में आलीराजपुर रियासत बहुत आगे है। ताड़ी तथा देशी शराब यहां के सर्वाधिक नशीले पेय हैं। समय के साथ विदेशी शराब भी अपनी पैठ बड़ा रही है।

ताड़ी, ताड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाने वाला रस है। आलीराजपुर रियासत के संपूर्ण क्षेत्र में ताड़ के पेड़ बहुतायत में हैं। ताड़ की शाखाओं में कटाव बनाकर वहां '**कुपले**' (एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन) टांग दिए जाते हैं। इन कटावों में से बूंद-बूंद कर रस टपकता है। तथा रात भर में कुपले रस से भरे जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व तक यह रस 'नीरा' कहलाता है। यह बहुत स्वादिष्ट तथा पौष्टिक रहता है। सूर्य की किरणें पड़ने पर इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा यह नशीला पेय बन जाता है।

प्रति वर्ष फरवरी से मई चार माह ताड़ी का सीजन रहता है, अर्थात् इन दिनों ताड़ के पेड़ों में रस बहुत अधिक मात्रा में बनता है। जब तक ताड़ी उपलब्ध रहती है तब तक अधिकांश आदिवासी ताड़ी का जमकर सेवन

करते हैं। बिक्री के लिए भी उपलब्ध होती है, जो बहुत सस्ती (प्रायः 5 रुपये गिलास) होती है।

महुओं से बनी देशी शराब इस क्षेत्र में चलन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। कई लोग भट्टिया लगाकर शराब बनाते हैं। यह भी कम कीमत पर उपलब्ध है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ है कि आलीराजपुर रियासत में 90 प्रतिशत आदिवासी नशा करते हैं, तथा 70 प्रतिशत आदतन नशेड़ी होते हैं। ये शराब के इस कदर आदि हो गए की जी तोड़ मेहनत करने के बाद इन्हें जो मजदूरी मिलती है। उससे अपनी एवं अपने परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपेक्षा उन्हें शराब पर खर्च कर डालते हैं।

आक्रोश एवं उत्तेजना में वृद्धि - शिक्षा व्यक्ति को धैर्यवान तथा विवेकवान बनाती है। शिक्षित व्यक्ति क्रिया एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले सामान्यतः उसके संबंध में सोचता-विचारता है और फिर विवेक सम्मत ढंग से अपनी बात रखता है। इसके विपरीत अशिक्षित व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित हो जाता है तथा आक्रोश में आकर अपराध कर बैठता है इस मान्यता के अपवाद हो सकते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के भाभरा परगने में पदस्थ उपनिरीक्षक **श्री गवली** ने बताया कि 'आदिवासी समाज में जो शिक्षित हो चुके हैं उनके सोचने का ढंग बदल चुका है, तथा वे बात को समझने का प्रयास करते हैं परंतु अशिक्षित लोगों की शिक्षा की स्थिति अभी भी लगभग आदिम ही बनी हुई है। उनके द्वारा छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित होकर बड़ा कदम उठा लेने की घटना प्रायः हो जाती है।'

बहकावे में आ जाना - शिक्षा से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समझ बढ़ जाती है। शिक्षित व्यक्ति अन्य लोगों के मनोभावों को काफी हद तक समझ लेता है, तथा सामान्यतः किसी के बहकावे में नहीं आता है। शिक्षित लोगों को किसी के विरुद्ध आसानी से भड़काया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत अशिक्षित व्यक्तियों को लोग बड़ी सरलता से बहका लेते हैं, क्योंकि सामान्यतः अशिक्षित व्यक्ति न तो स्वयं शांतिर होते हैं, और न ही अन्य लोगों की चालाकी को समझ पाते हैं।

निर्धनता - जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि आलीराजपुर रियासत में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है तथा कृषि एवं मजदूरी इनकी आजीविका के प्रधान साधन हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी कृषि भूमि का विभाजन होने से अधिकांश जोत लाभदायक बन गयी है। कृषकों को जो उपज प्राप्त होती है वह लागत तक जैसे-तैसे भोजन की आवश्यकता को पूर्ण कर सके।

यह एक सर्व स्वीकृत तथ्य है कि वह भूखमरी व गरीबी के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह निराशा एवं उत्साह हीनता के कारण अपराध करने पर विवश हो जाता है।

कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों से बाध्य होकर अपराध कर बैठता है तो दो कारणों से वह स्वयं को पुनः अपराध करने से नहीं रोक पाता है, **प्रथम**-चोरी, लूट, डकैती के माध्यम से थोड़ी ही देर में इतना धन मिल जाता है जो कई दिनों की मजदूरी से अधिक होता है। इसमें पकड़े जाने की जौखिम अवश्य रहती है। जिसका भय दो-चार सफल वारदातों के साथ ही अपराधी के दिमाग से उतरने लगता है। **द्वितीय** - जैसा कि जी.टी.वी. द्वारा प्रसारित सेन्टर स्टेज कार्यक्रम में आलीराजपुर के विशेष सन्दर्भ में अपराधों पर स्थानीय सोशल वर्कर एवं भोपाल स्थित पत्रकार श्री पुष्पेन्द्र सौलंकी ने बताया कि भील-भिलाले तो अपराधी नहीं होते किंतु पुलिस और फॉरेस्ट

वाले छोटी-छोटी बातों में प्रकरण बनाकर कोर्ट कचहरी तक उन्हें ले जाते हैं। वकीलो की मोटी फीस भरने के लिए जमानत प्राप्त करते हैं। उन्हें अपराधों की शरण लेना पड़ती है। अपराध कोर्ट फिर अपराध और फिर कोर्ट यह अंतहीन दुष्क्रम चलता ही रहता है।

रंजिश या अदावत - आलीराजपुर रियासत के संपूर्ण क्षेत्रों में हत्या का प्रमुख कारण रंजिश है। यहां होने वाली कुल हत्याओं में 60 प्रतिशत से अधिक के लिए रंजिश उत्तरदायी हैं। रंजिश या अदावत का अर्थ है - दो या अधिक पक्षकारों में किसी बात को लेकर दुश्मनी उत्पन्न होना तथा उस पुरानी दुश्मनी का हिंसक बदला लेना। यह दुश्मनी कई पीढ़ियों पुरानी हो सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतति इसे पोसती रहती है।

जोर, जोरू तथा जमीन के मामले - भारतीय शास्त्रकारों ने जर अर्थात धन, जोरू अर्थात स्त्री एवं जमीन को झगड़े की मुख्यजड माना है। यह बात सही भी है। आज अखिल विश्व में अपराधिक प्रकरणों के पीछे इन तीनों में से कोई न कोई तो उपस्थित रहता है आलीराजपुर रियासत भी इसका अपवाद नहीं है।

धन के लेनदेन के मामले प्रायः विवादों को जन्म लेते हैं लिये गये ऋण का समय पर अथवा तकाजों के बाद भी भुगतान नहीं किये जाने पर उसकी बलात वसूली का प्रयास किया जाता है जिससे खून खराबे की स्थिति बन जाती है। पैतृक धन के बंटवारे को लेकर भी लड़ाई झगड़े होते हैं।

स्त्री के सम्मान का प्रश्न भारतीय समाज में आदिकाल से ही संवेदीनशील रहा है। स्त्रियों के साथ की गई छेड़-छोड़ एवं जबरदस्ती में समाज में कई बार भयावह हादसों को जन्म दिया है। आदिवासियों में किसी की विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष के घर में जा बैठती है, ऐसा होने पर पति एवं उसके परिजन उस पुरुष के घर-परिवार वालों पर हमला कर देते हैं जिससे कई बार अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

आलीराजपुर रियासत की अधिसंख्य जनता कृषि करती है, अतः जमीन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान होती है। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक भूमि के विभाजन के वक्त भाईयों में भी विवाद हो जाता है, जिसकी परिणति कई बार हत्याकांड पर होती है।

हथियारों की उपलब्धता - आलीराजपुर रियासत में होने वाले अपराधों का प्रमुख कारण है - आदिवासियों को तीर-कमान एवं हथियारों की मौजूदगी के कारण आदिवासी उपहानि, हत्या का प्रयत्न एवं हत्या तथा लूट जैसे अपराध कार्य करते हैं।

शोषण में वृद्धि - अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों तथा दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। उनकी अज्ञानता एवं नासमझी का नाजायज फायदा उठाते हुए, चालाक लोग उनका जमकर शोषण करते हैं। दीर्घकाल तक शोषित होते रहने से उनके मन में कटुता एवं बदले की भावना घर कर जाती है इसका परिणाम कई बार शोषक की हत्या के रूप में सामने आता है।

सुझाव :

1. आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए शीघ्र ही शासन और समाजसेवी संस्थाओं को ठोस कदम उठाना चाहिए। राहत कानून आदि बनाकर उन्हें और अधिक विकसित होने का अवसर दिया जावे।
2. भूमिहीनपरिवारों का शासन की ओर से भूमि वितरण की जावे। जिससे

वे कृषि को आधार बनाकर अच्छे से जीवन जी सके।

3. महाजनों और साहूकारों पर ऋण देने संबंधी आवश्यक, बंधन, नियम, धारा होना चाहिए, जिससे आदिवासी शोषण से मुक्ति पा सके।
4. बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देकर अधिक लाभ से जोड़ा जावे। जिससे शोषण ऋणग्रस्तता के जीवन से मुक्त हो सके।
5. अंधविश्वासों और अन्य सामाजिक रस्मों पर होने वाले धन के दुरुपयोग रोके जाने संबंधी विधान बनाए जावे तथा जागरूकता संबंधी कैंप आयोजित किये जावे।
6. सामाजिक जीवन की विसंगतियों को दूर करने के लिए जनजाति समाज में शिक्षा की अनिवार्यता घोषित हो तथा साथ ही अधिक से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाये एवं ग्रामीण अंचलों में तत्काल प्रभावी की जाये, जिसके कल्याणकारी परिणाम प्राप्त हो सके।
7. शराब जैसी खर्चीली एवं अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मादक वस्तुओं पर तथा उसके सेवन पर भी रोक लगा दी जावे, जिससे बचत की भावना व राशि की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संयोजन कर जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।

निष्कर्ष - पश्चिमी मध्यप्रदेश की आदिवासी जनजातियों में प्रमुख रूप से भील, भिलाला एवं बारेला प्रमुख हैं जिनका पैतृक व्यवसाय एवं जीविका पार्जन का स्रोत कृषि एवं मजदूरी है। अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए इन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि क्षेत्रीय भौगोलिक विषमता के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में अपने को तथा परिवार को जीवित रखने के लिए अपराध जैसी सामाजिक बुराई को भी करना धर्म एवं कर्म समझते हैं।

उपरोक्त शोध में यह ज्ञात हुआ है कि रियासत के आदिवासी वर्ग के कुछ अपराधी स्वभागत अपराधी हैं, जो कि हर समुदाय में होते हैं। क्षणिक उत्तेजना शराब व ताड़ी की तरंग में जाने-अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। ताड़ी उस प्रदेश में बहुतायत पायी जाती है। अधिकतर अपराध आर्थिक मान्यताओं के कारण घटित होते हैं। वहीं पर उन अपराध के लिये भौगोलिक दशाओं का अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने निवास भोजन एवं उपार्जन का भौगोलिक दशाओं में ही क्रियाशील रहते प्राप्त करता है। यही प्राकृतिक व भौगोलिक दशाएं मानव के सम्मुख विविध सम्मुख प्रकार्य हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ-सूची :-

1. मौखिक सर्वे साक्षात्कार : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल वाणी आलीराजपुर।
2. मौखिक सर्वे साक्षात्कार : श्री पुष्पेन्द्र सौलंकी सोशलवर्कर अलीराजपुर
3. मौखिक सर्वे साक्षात्कार : श्री दीपक कुमार त्रिपाठी न्यायधीश (वर्ग-1) आलीराजपुर
4. मौखिक सर्वे साक्षात्कार : श्री विपुल श्रीवास्तव सी.एस.पी., आलीराजपुर (म.प्र.)
5. जी.टी.वी. द्वारा प्रसारित सेन्टर स्टेज कार्यक्रम का अंश।
6. नई दुनिया, इन्दौर से प्रकाशित जगदीश नीमा के आलेख का अंश।
7. नई दुनिया इन्दौर 23/01/1995, लेख झाबुआ जिले में वारदातों के पीछे क्या हैं ?